

प्रेषक-

रमेश कुमार यादव
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय कक्ष सं०-२
जनपद कौशाम्बी।

सेवा में

महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा

जिला जज
कौशाम्बी

बिषय- तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी द्वारा प्रदत्त वार्षिक प्रविष्टि
2020-2021 के संदर्भ में-

महोदय,

उपरोक्त बिषय के सम्बंध में सादर निवेदन है कि तत्कालीन
जिला जज कौशाम्बी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में मेरे विरुद्ध
प्रतिकूल टिप्पणी किया गया है जिसके विरुद्ध प्रत्यावेदन माननीय
प्रशासनिक न्यायमूर्ति जनपद न्यायालय कौशाम्बी महोदय के समक्ष प्रस्तुत
करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न
प्रत्यावेदन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, जनपद न्यायालय कौशाम्बी
महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर-

दिनांक- 16.07.2021

भवदीय
R. Yadav
16.07.21

(रमेश कुमार यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय कक्ष सं०-२
कौशाम्बी।
आई.डी.नं०-5953

708/1 दिनांक 16.07.2021
धनसारित

जिला न्यायाधीश
कौशाम्बी संलग्नक: यथोपरि-
16.07.2021

प्रत्यावेदन

विषय:— तत्कालीन जिला जज, कौशाम्बी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 मे की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के संदर्भ मे-

समक्ष,

माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में माननीय महोदय से विनम्र निवेदन के साथ प्रार्थना है कि तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे द्वारा मुझे वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 में वार्षिक प्रविष्टि प्रदान की गयी है।

(संलग्नक संख्या- 1 वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2019-2020 एवं
संलग्न संख्या-2 वार्षिक प्रविष्टि 2020-2021 की प्रति)।

1. यह कि तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 मे मेरे कार्य, व्यवहार एवं आचरण के सम्बन्ध मे की गयी प्रतिकूल प्रविष्टियों/अभियुक्तियों के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तरवार कथन निम्नवत है-

वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के भाग एक के पांचवे प्रस्तर में वर्णन इस प्रकार है-

5. Place of Posting.

Remark. Kaushambi. Posting details during self assessment period . Not Available.

महोदय,

वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 मे जिला जज द्वारा अभिलिखित उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य मे सादर निवेदन है कि तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी के समक्ष मेरे द्वारा प्रेषित स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 दिनांकित-05.04.2021 के प्रस्तर 9 में प्रोफॉर्मा नं0 09 संलग्न किये जाने का उल्लेख है। स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 के प्रस्तर 9 के साथ संलग्न प्रोफॉर्मा नं0 09 मे वित्तीय वर्ष 2020-2021 मे मेरे द्वारा जनपद न्यायालय कौशाम्बी मे पदधारित न्यायालयों का विवरण अंकित है, जिसके



अनुसार प्रविष्टि अवधि दिनांक-01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य में दिनांक-01.04.2020 से 06.08.2020 तक न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस. सी/एस.टी. एक्ट तथा दिनांक-07.08.2020 से 31.03.2021 तक प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी के पद पर कार्यरत था।

(संलग्नक संख्या-3 स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 एवं संलग्नक संख्या-4 स्व-आंकलन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रोफॉर्मा नं0 9 की छाया प्रति)।

उपरोक्त संलग्नकों से स्पष्ट है कि प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में मेरे द्वारा जनपद न्यायालय कौशाम्बी में पदधारित न्यायालयों का विवरण संलग्न किया गया है, अतः इस खण्ड में तत्कालीन जिला जज द्वारा कौशाम्बी में स्व-आंकलन की समयवधि में जनपद न्यायालय कौशाम्बी में कार्य करने से सम्बंधित विवरण उपलब्ध न होने के सम्बंध में किया गया कथन असत्य है। प्रविष्टि में उल्लिखित उपरोक्त कथन से यह साबित होता है कि तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी ने मेरे द्वारा प्रेषित स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 का अवलोकन नहीं किया है।

2. यह की वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के प्रस्तर 01 Remarks given by the District Judge के उपरान्त विभिन्न प्रस्तरों में अभिलिखित कथन व प्रदत्त प्रविष्टि का विवरण निम्नवत है -

1.(a) Integrity of the Officer- whether beyond doubt, doubtful or positively lacking?

Note- If the officer's integrity is doubtful or positively lacking, it may be so stated with all relevant fact, reason(s) & supporting material.

Remark- Positively lacking. (S.T.No. 315/2012 U.P. State Vs. Taiyab Jafri and others, Crime No. 120/2012 u.s. 147,302,201,120B IPC, P.S. Puramufti, District Kaushambi) In the above case, oral complaint has been made by the complainant and his counsel but no written



complaint has been made due to fear of the Officer, as the officer has threatened the complainant.

महोदय,

इस प्रविष्टि के संदर्भ में माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि जनपद न्यायालय कौशाम्बी में प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 दिनांक-01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य में दिनांक-01.04.2020 से 06.08.2020 तक न्यायालय अपर जिला जज /विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी. एक्ट तथा दिनांक-07.08.2020 से 31.03.2021 तक प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी के पद पर कार्यरत था जहाँ अनेक सत्र परीक्षणीय वाद विचाराधीन थे। संदर्भित सत्र परीक्षण संख्या 315/2012, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम तैयब जाफरी एवं अन्य, अपराध सं०-120/2012, धारा 147.302,201,120बी भा०दं०सं० थाना पूरामुफ्ती जिला कौशाम्बी का प्रकरण वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 दिनांक-01.04.2020 से 31.03.2021 के मध्य मेरे द्वारा पदधारित न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस. सी/एस.टी. एक्ट अथवा न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी में से किस न्यायालय से सम्बन्धित है तथा उक्त वाद की अद्यतन स्थिति क्या है ? इसका कोई विवरण न तो जिला जज की प्रविष्टि में उल्लिखित है और न ही उक्त प्रकरण में मेरे विरुद्ध की गयी कथित मौखिक शिकायत का कोई विशिष्ट तथ्य प्रविष्टि के साथ संलग्न है।

उक्त प्रविष्टि से यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता कि संदर्भित सत्र परीक्षण के वादी अथवा अभियुक्तगण में से किस पक्षकार एवं उसके किस अधिवक्ता द्वारा जिला जज से मौखिक शिकायत की गयी थी तथा यह भी स्पष्ट नहीं होता शिकायतकर्ता अथवा उसके अधिवक्ता ने किस विषय विशेष पर जिला जज से मेरे विरुद्ध कथित मौखिक शिकायत किया था।

यह कहना गलत है कि मैंने कथित शिकायतकर्ता अथवा उसके अधिवक्ता को धमकाया था। जिला जज किसी भी न्यायालय से किसी भी पत्रावली का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। यदि कथित शिकायतकर्ता अथवा कथित शिकायतकर्ता के अधिवक्ता को संदर्भित प्रकरण में मुझसे किसी प्रकार की कथित शिकायत रही होती तो संदर्भित प्रकरण का सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में पत्रावली के स्थानान्तरण हेतु जिला जज से निवेदन



किया गया होता तथा उक्त कथित शिकायत के आधार पर जिला जज कौशाम्बी के द्वारा अर्द्ध-प्रशासकीय पत्र अथवा मौखिक रूप से पीठासीन अधिकारी के रूप में मुझसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया होता। जिला जज द्वारा संदर्भित प्रकरण में मुझसे न ही मौखिक और न ही अर्द्ध-प्रशासकीय पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। जिला जज के द्वारा कथित शिकायत के आधार पर मुझसे स्पष्टीकरण दिये जाने की अपेक्षा न किये जाने तथा शिकायतकर्ता अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा संदर्भित पत्रावली का स्थानांतरण सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में किये जाने हेतु जिला जज से निवेदन न किये जाने तथा कथित शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेकर संदर्भित पत्रावली को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में स्थानांतरण हेतु जिला जज द्वारा आदेश पारित न किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि कपोलकल्पित आधारों पर बिना किसी तथ्य व साक्ष्य के मेरी निष्ठा को प्रश्नांकित किया गया है।

इस प्रविष्टि के परिप्रेक्ष्य में जिला जज के द्वारा मुझे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस प्रविष्टि में संदर्भित कथित मौखिक शिकायत का कथन, तथ्य एवं साक्ष्य से समर्थित नहीं है। बीस वर्षों की सतत न्यायिक सेवा में रहते हुये मेरे द्वारा पारित किसी भी न्यायिक विनिश्चय/निर्णय के विरुद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी प्रकार की कभी कोई टिप्पणी करके मुझे संसूचित नहीं किया है। मैंने अपनी बीस वर्षों की सतत न्यायिक सेवा में ईमानदारी, सत्य एवं निष्ठा के साथ न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुये न्यायिक विनिश्चय किये हैं। उपरोक्त के आधार पर जिला जज द्वारा इस खण्ड में प्रदत्त प्रविष्टि एवं की गई अभियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

1. (b) If he is fair and impartial in dealing with the public and Bar?

Remark. No.

महोदय,

इस प्रविष्टि के सम्बंध में माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में बार एसोसिएशन के किसी अधिवक्ता अथवा



जनता के किसी नागरिक ने मेरे विरुद्ध कोई शिकायत जिला जज से नहीं किया है और न ही जिला जज ने मुझसे इस सम्बंध में कभी कोई लिखित अथवा मौखिक स्पष्टीकरण ही प्राप्त किया है। आम जन-मानस एवं बार एसोसिएशन के साथ निष्पक्ष रहकर मैंने अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन किया है। जिला जज की इस खण्ड में प्रदत्त प्रविष्टि किसी तथ्य अथवा साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

1. (c) If he is cool minded and does not lose temper in court.

Remark. No. He keeps fire-arm openly on dias and tried to show-off the same.

महोदय,

इस प्रविष्टि के सन्दर्भ मे माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि जनपद न्यायालय के किसी भी कर्मचारी, वादकारी, बार एसोसिएशन कौशाम्बी के किसी अधिवक्ता अथवा अन्य किसी के द्वारा मुझे अग्नेयास्त्र खुलेआम डायस पर लेकर बैठने तथा उसे दिखाने के सम्बंध में जिला जज से शिकायत किये जाने के सम्बंध मे कोई कथन प्रविष्टि मे नहीं किया गया है, और न ही इस तथ्य का कोई प्रमाण प्रविष्टि के साथ संलग्न है। मैंने अग्नेयास्त्र लेकर कभी न्यायालय कक्ष मे प्रवेश नहीं किया, अतः डायस पर अग्नेयास्त्र लेकर बैठने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैंने सदैव शान्त मन से पूरे संयम के साथ न्यायालय मे अपने न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन किया है। इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति किसी तथ्य अथवा साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

1. (f) Whether Judgement on facts and on law are on the whole sound, well-reasoned and expressed in good language?:

Remark. No.



1. (f) (i) Marshalling of facts;

Remark. (i) Judgements by the officer have been delivered without marshalling of facts.

1. (f) (ii) Application of evidences;

Remark- (ii) Judgements by the officer have been delivered without through and proper scrutiny of evidence on record.

1. (f) (iii) Application of law.

Remark. (iii) Finding are not based upon evidence and law.

महोदय,

उपरोक्त प्रविष्टि के संदर्भ में सादर निवेदन है कि स्व-आकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 के साथ मेरे द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 149/2016, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कंचन, मु0अ0सं0 107/2016 धारा, 302,201 भा0दं0सं0 थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी में पारित निर्णय दिनांकित-26.02.2021, सत्र परीक्षण संख्या 10/2017, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम योगेश सिंह, मु0अ0सं0 244/2016 धारा, 302 भा0दं0सं0, थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी में पारित निर्णय दिनांकित-25.02.2021, सत्र परीक्षण संख्या 77/2019, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय उर्फ संजू आदि, मु0अ0सं0 40/2019 धारा, 302/34 भा0दं0सं0, थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी में पारित निर्णय दिनांकित-01.01.2021 की प्रतियाँ संलग्न की गयी हैं, जिसे इस प्रत्यावेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है।

(संलग्नक संख्या-5 सत्र परीक्षण संख्या 149/2016, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कंचन, मु0अ0सं0 107/2016 धारा, 302,201 भा0दं0सं0 थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी में पारित निर्णय दिनांकित-26.02.2021 , संलग्नक संख्या-6 सत्र परीक्षण संख्या 10/2017, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम योगेश सिंह, मु0अ0सं0 244/2016 धारा, 302 भा0दं0सं0, थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी में पारित निर्णय दिनांकित-25.02.2021, एवं संलग्नक संख्या-7 सत्र परीक्षण संख्या 77/2019, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय उर्फ संजू आदि, मु0अ0सं0 40/2019 धारा, 302/34

भा0दं0सं0, थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी मे पारित निर्णय दिनांकित-01.01.2021की छाया प्रतियों)।

उपरोक्त प्रकरणों मे पारित निर्णय के साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-2021 मेरे द्वारा पारित समस्त न्यायिक विनिश्चय कम्प्यूटर पर अपलोड किये गये है।

इस सम्बंध में तत्कालीन जिला जज द्वारा न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का दिनांक-17.02.2021 को किये गये वार्षिक निरीक्षण मे किया गया उल्लेख प्रासंगिक है। जिला जज ने न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का दिनांक-17.02.2021 को किये गये वार्षिक निरीक्षण के पृष्ठ 15 पर वर्णित तथ्य इस प्रकार है-

“ 35 ए ता डी. पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने को पूरे दिन व्यस्त रखने हेतु पर्याप्त कार्य प्रतिदिन नियत किया गया है और प्रतिदिन पर्याप्त कार्य किये जाने का प्रयास किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावलियों में विधि पूर्वक सुनवाई करके सम्यक कार्यवाही की गयी है।.....। ”

(संलग्नक संख्या- 8 जिला जज द्वारा न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का दिनांक-17.02.2021 को किये गये वार्षिक निरीक्षण की छाया प्रति)।

जिला जज द्वारा न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का दिनांक-17.02.2021 को किये गये वार्षिक निरीक्षण मे पत्रावलियों मे सुनवाई करके सम्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में अभिलिखित उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि मेरे द्वारा पत्रावलियों मे विधिपूर्ण सुनवाई की जाती रही है।

उल्लेखनीय है कि स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2019-2020 (संलग्न संख्या-1) के साथ मेरे द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-411/2010 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति संतोष कुमार मु0अ0सं0-31/1997, धारा-323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा-3 (1)(x) एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना, मंझनपुर



जनपद कौशाम्बी मे पारित निर्णय दिनांक-01.10.2019, व दो अन्य न्यायिक निर्णय संलग्न करके तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे के समक्ष प्रेषित किया गया था। स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2019-2020 के साथ संलग्न सत्र परीक्षणीय निर्णय के लेखन का स्वरूप उसी भाँति का है जिस प्रकार वर्ष 2020-2021 स्व-आंकलन प्रपत्र के साथ संलग्न न्यायिक निर्णयों मे है। तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री विवेक कुमार दुबे ने वर्ष 2019-2020 मे मेरे द्वारा पारित निर्णयों के सम्बंध मे अभियुक्ति निम्नवत किया है-

1. (f) Whether Judgment on facts and on law are on the whole sound, well-reasoned and expressed in good language?:

Remark. Yes.

1. (f) (i) Marshalling of facts;

Remark. (i) Judgements by the officer have been delivered after good marshalling of facts.

1. (f) (ii) Appreciation of evidences;

Remark. (ii) Judgements by the officer have been delivered after thorough scrutiny of evidence on record.

1. (f) (iii) Application of law.

Remark. Finding are based upon evidence on record and applicable laws supported by cogent reasons.

स्व-आंकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 के साथ दृष्टांत स्वरूप संलग्न उक्त प्रकरणों में मेरे द्वारा पारित निर्णय से स्पष्ट है कि मैंने वाद के तथ्यों को समेकित करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करके निर्णय पारित किया है तथा विधि का सम्यक समावेश करके निर्णय मे निष्कर्ष दिया है। अतः वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के प्रस्तर 1. (f) (i), 1. (f) (ii), तथा 1. (f) (iii) मे जिला जज द्वारा किया गया आंकलन व की गई अभियुक्ति बने रहने योग्य नहीं है।

1. (g) Whether disposal of work is adequate. (Give percentage and reasons for short disposal, if any)

Remark. No. Against the Target Unit of 204.88 the Officer has done 153.85 units of work i.e. output is 75.09 %. According to explanation of the Officer----"As per Hon'ble High Court's Guidelines regarding Covind-19, protocol & closure of courts from 23-03-2020 to 12-8-2020 recording of evidence and final disposal of cases were not possible. Due to above mentioned reasons target unit was not achieved.

महोदय,

इस प्रविष्टि के सम्बंध मे सादर निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में टारगेट यूनिट 204.88 के सापेक्ष मेरे द्वारा 153.85 यूनिट अर्थात 75.09 प्रतिशत कार्य किया गया है। टारगेट यूनिट के सापेक्ष कार्य न होने का स्पष्टीकरण मेरे द्वारा स्व-आकलन पत्र में अभिलिखित किया गया है, जिस पर जिला जज ने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं किया है। बिगत बीस वर्षों की सतत न्यायिक सेवा मे मैंने सदैव टारगेट यूनिट से अधिक यूनिट का कार्य किया है। स्पष्टीकरण मे वर्णित तथ्यों के कारण वित्तीय वर्ष 2020-2021 मे टारगेट यूनिट के सापेक्ष कार्य नहीं हुआ है।

1. (h) Control over the Office and Administrative capacity and tact:

Remark. Not proper.

महोदय,

इस सम्बंध में तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी द्वारा दिनांक-17.02.2021 को न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का किये गये वार्षिक निरीक्षण, संलग्नक संख्या- 8 मे किया गया उल्लेख प्रासंगिक है। जिला जज कौशाम्बी ने मेरे द्वारा पदधारित न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का दिनांक-17.02.2021 को किये गये वार्षिक निरीक्षण के पृष्ठ 15 पर यह कथन किया है कि-

‘पीठासीन अधिकारी का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण न्यायालय एवं

कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों पर है।'

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी का दिनांक-17.02.2021 को किये गये वार्षिक निरीक्षण में अभिलिखित उपरोक्त कथन से साबित है कि न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों पर मेरा पूर्ण प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण होना तत्कालीन जिला जज द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति बने रहने योग्य नहीं है।

1. (i) Relations with members of the Bar(mention incidents, if any):

Remark. Derogatory and limitless.

महोदय,

सादर निवेदन है कि बार एसोसिएशन कौशाम्बी के किसी सदस्य/अधिवक्ता ने मेरे द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किये जाने अथवा व्यवहार उचित न होने से सम्बन्धित किसी घटना का उल्लेख इस प्रविष्टि में जिला जज ने नहीं किया है। बार एसोसिएशन के किसी सदस्य/अधिवक्ता के साथ मैंने कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। बार एसोसिएशन के सदस्यों, अधिवक्ता का मैंने सदैव सम्मान किया है, उनसे हमारा सम्बंध सदैव सौहार्दपूर्ण रहा है। इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति किसी तथ्य व साक्ष्य से समर्थित नहीं है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

1. (j) Behaviour in relation to brother Officers(mention incidents, if any):

Remark. Derogatory and limitless.

महोदय,

सादर निवेदन है कि न्यायालय में कार्यरत किसी भी न्यायिक अधिकारी से मेरे द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने सम्बंधी किसी घटना का उल्लेख इस प्रविष्टि में जिला जज ने नहीं किया है। जनपद न्यायालय कौशाम्बी में कार्यरत किसी भी न्यायिक अधिकारी के साथ मैंने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया है और न ही किसी न्यायिक अधिकारी से मेरे

सम्बंध खराब रहे। इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति किसी तथ्य व साक्ष्य से समर्थित नहीं है। अतः इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

1. (I) His punctuality and regularity in sitting on the dais in court during court hours?

Remark. No. The officer is habitually late-comer and used to left the court before court-hours. He used to fill the daily-sitting wrongly, despite the fact that he is advised several times, orally.

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में मेरे न्यायालय आने, विश्राम कक्ष तथा न्याय कक्ष में बैठने के सम्बंध में डेली सिटिंग की छाया प्रति संलग्नक के रूप में प्रत्यावेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है।

(संलग्नक संख्या-9 डेली सिटिंग की छाया प्रति)।

उल्लेखनीय है कि प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में कोविड-19 के काल में 01.04.2020 से इस जनपद से स्थानांतरण की तिथि दिनांक-15.09.2020 तक की अवधि में तत्कालीन जिला जज ने सभी न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति हेतु पृथक रजिस्टर बनवाया था तथा अपने समक्ष न्यायिक अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाते थे।

न्यायालय आने, विश्राम कक्ष तथा न्यायालय में बैठने के सम्बंध में डेली सिटिंग के अवलोकन से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में न्यायालय के कार्य दिवसों पर न्यायालय आने, विश्राम कक्ष तथा न्यायालय में बैठने के समय से सम्बन्धित डेली सिटिंग पर जिला जज/उनके निर्देशाधीन अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित है। डेली सीटिंग के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक न्यायालय में उपस्थित रहकर मैंने अपने न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन किया है। न्यायालय में समय से न आने, न्यायालय कार्यावधि के पूर्व न्यायालय छोड़ने अथवा गलत ढंग से डेली सिटिंग

भरने के सम्बंध में जिला जज ने मुझसे कभी भी मौखिक रूप से कोई शिकायत नहीं किया और न ही अर्द्ध-प्रशासकीय पत्र के माध्यम से मुझे चेतावनी ही दिया है। इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति तथ्य एवं साक्ष्य के प्रतिकूल है। अतः इस खण्ड में जिला जज द्वारा किया गया प्रतिकूल कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

1. (m) Whether amenable to the advice of the District Judge and other superior officers?

Remark. No.

महोदय,

सादर निवेदन है कि वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में जिला जज द्वारा ऐसी किसी घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य संलग्न किया है जो इस तथ्य को स्थापित कर सके कि जिला जज अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी के सुझाव का मैंने जानबूझकर अनादर किया था। विगत बीस वर्षों की सतत न्यायिक सेवा के दौरान किसी भी जिला जज ने उनके अथवा वरिष्ठ अधिकारियों साथ मेरे द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने अथवा उनके सुझाव का अनादर करने के सम्बंध में कभी कोई टिप्पणी नहीं किया है। न्यायिक सेवा में रहते हुये मैंने अपने सम्मानित जिला जजों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के उचित सुझाव का सदैव आदर किया है। इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई अभियुक्ति का समर्थन किसी घटना के तथ्य व साक्ष्य से नहीं होता। अतः इस खण्ड में जिला जज द्वारा की गई प्रतिकूल अभियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

3. State of Health, with remarks, if any?

Remark. Not good. The Officer takes leaves (Casual Leave, Earned Leave and Medical Leave) on the ground of ill-health.

महोदय,

सादर निवेदन है कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी में मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया जिसके कारण दिनांक-27.11.2020 से 13.12.2020 तक संघरोग अवकाश पर था। पुनः पोस्ट कोविड-19 संक्रमण



की बीमारी से आयी कमजोरी के कारण स्वास्थ्य लाभ हेतु मेरे द्वारा दिनांक-05.05.2019 से 19.05.2021 तक अर्जित अवकाश एवं दिनांक-09.06.2021 से 04.07.2021 तक चिकित्सक की सलाह पर चिकित्सा अवकाश लिया गया है। संयुक्त जिलाचिकित्सालय कौशाम्बी मे दिनांक-05.07.2021 को मेरा चिकित्सीय परीक्षण किया गया तथा चिकित्सक द्वारा मुझे कार्य करने हेतु स्वस्थ होने के सम्बंध मे स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

(संलग्न संख्या-10 संयुक्त जिलाचिकित्सालय कौशाम्बी के चिकित्सक के चिकित्सीय परिसाक्ष्य दिनांकित-08.06.2021, संलग्न संख्या-11 चिकित्सीय परिसाक्ष्य दिनांकित-24.06.2021 एवं संलग्न संख्या-12 संयुक्त जिलाचिकित्सालय कौशाम्बी के चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र दिनांकित-05.07.2021 की छाया प्रति)।

संयुक्त जिला चिकित्सालय कौशाम्बी के चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि मैं कार्य करने हेतु पूर्णतया स्वस्थ हूँ। मुझे वर्तमान समय में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। मैं पूर्णतया शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होकर अपने न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। मेरे अवकाश पर रहने की परिस्थितियाँ स्पष्ट हैं। अतः इस खण्ड मे जिला जज द्वारा की गयी प्रतिकूल अभियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

4- यह की वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के स्तम्भ 4 मे विभिन्न खण्डों मे अभिलिखित कथन तथा जिला जज द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों के सम्बंध मे प्रस्तरवार आख्या निम्नवत है-

The Officer is indisciplined, discourteous and great player of victim cards.

महोदय,

सादर निवेदन है कि तत्कालीन जिला जज ने इस खण्ड में बिना किसी तथ्य व साक्ष्य के मुझे अनुशासनहीन, अवज्ञाकारी तथा विक्टिम कार्ड प्लेयर होना दर्शाया है। मैं एक न्यायिक अधिकारी हूँ, कोई कार्ड प्लेयर नहीं हूँ। एक न्यायिक अधिकारी को जिला जज द्वारा विक्टिम कार्ड प्लेयर कहा जाना उचित नहीं है। जिला जज द्वारा मुझे विक्टिम कार्ड



प्लेयर के रूप में अभिहित किया जाना आपत्तिजनक है।

He leaves the station regularly with or without permission, despite the fact that Type-V Residence has been allotted to him. In his above residence, he allowed an out-sider single lady to reside, about which oral objections were raised by Advocates and Public.

महोदय,

सादर निवेदन है कि जिला जज ने बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने के सम्बंध में कोई साक्ष्य प्रविष्टि के साथ संलग्न नहीं किया है।

कोविड-19 की बीमारी व महामारी से बचाव हेतु मेरा पूरा परिवार मेरे पैतृक गृह जनपद प्रयागराज स्थित ग्राम अंजना, पोस्ट सैदाबाद, तहसील हंडिया में निवास कर रहा है। कोविड-19 के काल में अपने पैतृक आवास पर जाने हेतु मैंने सदैव नियमानुसार प्रार्थना पत्र देकर तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय को छोड़ा है।

मैं तीन पुत्रियों, जिनमें से एक विवाहित एवं दो अविवाहित तथा एक पुत्र का पिता हूँ। जनपद न्यायालय कौशाम्बी के परिसर में कुल 6 नग न्यायिक अधिकारी आवास निर्मित है, जिसमें से दो आवास भूतल पर, दो आवास प्रथम तल पर तथा दो आवास द्वितीय तल पर निर्मित है। उक्त आवासों का अवांटन करते समय मेरी वरिष्ठता को नजर अंदाज करके दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुझे द्वितीय तल पर स्थित जे-5 आवास तत्कालीन जिला जज द्वारा अवांटित किया गया है जिसमें मैं सपरिवार आवासित हूँ।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री विवेक कुमार दुबे ग्राम- चाँदोपारा, विकास खण्ड- सैदाबाद, जनपद प्रयागराज के मूल निवासी हैं तथा मेरा पैतृक गृह निवास ग्राम-अंजना, विकास खण्ड- सैदाबाद, जनपद प्रयागराज में है। ग्राम सभा चाँदोपारा से लगी हुई ग्राम सभा- देवली में मेरी ससुराल है। तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे का घर मेरे ग्राम सभा अंजना से लगभग 12 किमी० दूर



है। श्री विवेक कुमार दुबे तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी का मेरी ग्राम सभा से संलग्न ग्राम सभाओं में अनेक रिश्तेदारियाँ हैं। तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे मेरे परिवार के सभी सदस्यों से परिचित हैं। जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे इस तथ्य से भलीभाँति परिचित हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी में मेरे सगे ज्येष्ठ भ्राता श्री कमलेश कुमार यादव की पुत्री डा० अर्चना यादव चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

(संलग्नक संख्या-13 डा० अर्चना यादव की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रमाण की छाया प्रति)।

मेरी सगी भतीजी डा० अर्चना यादव का परिवार के सदस्य के रूप में मेरे शासकीय आवास जे-5 मंझनपुर कौशाम्बी पर आना-जाना निरंतर होता रहता है। मेरी सगी भतीजी को 'आउट साइडर लेडी' के रूप में सम्बोधित करते हुये मेरी वार्षिक प्रविष्टि माननीय न्यायालय को प्रेषित की गयी है जो आपत्तिजनक है। जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे के इस स्तम्भ में उक्त प्रकार की टिप्पणी से मुझे घोर मानसिक पीडा हुई है, जिस पर माननीय महोदय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाना आवश्यक है।

The officer used to send unwarranted, derogatory and limitless whatsapp messages/ messages through his mobile number and through some unknown mobile number.

महोदय,

प्रविष्टि में किये गये उपरोक्त कथन के सम्बंध में माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि जिला जज कौशाम्बी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के साथ ऐसा कोई अभिलेखीय प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि मेरे द्वारा अपने अथवा किसी अज्ञान नम्बर से जिला जज को अवांक्षनीय मैसेज/व्हाट्सअप मैसेज भेजा गया है। जिला जज द्वारा इस स्तम्भ में की गयी टिप्पणी किसी साक्ष्य से समर्थित नहीं है। अतः जिला जज कौशाम्बी द्वारा इस स्तम्भ में की गयी टिप्पणी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

During Covid-19 pandemic period, every kind of

incooperation was made by the Officer, intentionally.

महोदय,

कोविड-19 महामारी के काल में माननीय न्यायालय तथा जिला जज के आदेश के आधीन मेरे द्वारा अपने न्यायिक कर्तव्य का सम्यक् निर्वहन किया गया है। कोविड-19 महामारी के काल में अपने न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन में मैंने सदैव जिला जज का सहयोग किया है। बार एसोसिएशन के किसी भी अधिवक्ता अथवा वादकारी ने महामारी काल में मेरे द्वारा रुचि लेकर न्यायिक कार्य न करने का कोई अभियोग नहीं लगाया है। जिला जज ने इस खण्ड में अभियुक्ति बिना किसी तथ्य अथवा साक्ष्य के अभिलिखित किया है।

He also played dramatic character/role and different types of indiscipline (Administrative Order No. 89 dated 26-4-2021 Administrative Order No. 70 dated 26-3-2021 Report of Central Nazir dated 23-4-2021, Administrative order No. 107 dated 03-05-2021, Report of Central Nazir dated 07-06-2021 Administrative Officer dated 25-06-2021, Administrative Order No 162 dated 29-06-2021) and created several types of problem for the Judgeship, during that period, while at that time there was acute shortage of Judicial Officers.

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रविष्टि में उल्लिखित जिला जज के Administrative Order No. 89 dated 26-4-2021 Administrative Order No. 70 dated 26-3-2021 Report of Central Nazir dated 23-4-2021, Administrative order No. 107 dated 03-05-2021, Report of Central Nazir DATED 07-06-2021 Administrative Officer dated 25-06-2021,



Administrative Order No 162 dated 29-06-2021 प्रविष्टि के साथ संलग्न नहीं है। उपरोक्त वर्णित प्रशासकीय आदेशों, प्रशासनिक अधिकारी तथा केन्द्रीय नाजिर की आख्या के बावत प्रथम बार जानकारी मुझे चिकित्सा अवकाश से दिनांक-05.07.2021 को वापस मुख्यालय आने पर ई-सर्विस पोर्टल पर संदर्भित प्रविष्टि उपलब्ध होने के सम्बंध में कम्प्यूटर अनुभाग से जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त वार्षिक प्रविष्टि डाउन लोड किये जाने पर हुई।

प्रविष्टि में उल्लिखित विभिन्न प्रशासनिक आदेशों, प्रशासनिक अधिकारी तथा केन्द्रीय नाजिर की आख्या न्यायालय के कार्यालय में प्राप्त होने के सम्बंध में मेरे द्वारा रीडर न्यायालय अपर जिला जज कक्ष सं0 2 कौशाम्बी से आख्या आहूत की गयी।

(संलग्नक संख्या- 14, रीडर, न्यायालय अपर जिला जज कक्ष सं0 2 कौशाम्बी के आख्या की प्रति)।

न्यायालय अपर जिला जज कक्ष सं0 2 कौशाम्बी के रीडर ने अपनी आख्या में स्पष्ट किया है कि जिला जज के प्रशासकीय आदेश संख्या 89 दिनांकित-26.04.2021 के अतिरिक्त प्रविष्टि में उल्लिखित अन्य कोई प्रशासकीय आदेश, प्रशासनिक अधिकारी तथा केन्द्रीय नाजिर आख्या न्यायालय के कार्यालय को नहीं हुई है।

प्रशासकीय आदेश संख्या 89 दिनांकित-26.04.2021 में दिनांक-23.04.2021 एवं 26.04.2021 को मेरे न्यायालय में उपस्थित न आने पर टिप्पणी की गयी है, जिसके सम्बंध में माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि दिनांक-27.04.2021 को न्यायालय वापस आने पर मेरे द्वारा दिनांक-23.04.2021 एवं 26.04.2021 के लिए आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने के लिए जिला जज कौशाम्बी को प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे जिला जज द्वारा स्वीकार किया गया है।

जनपद न्यायालय कौशाम्बी का प्रशासनिक कार्यालय तथा नजारत अनुभाग जिला जज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। मैं इस जनपद न्यायालय में कभी प्रभारी अधिकारी नजारत नहीं रहा हूँ। प्रविष्टि में उल्लिखित उपरोक्त विभिन्न प्रशासनिक आदेशों, प्रशासनिक अधिकारी तथा केन्द्रीय नाजिर की आख्या के सम्बंध में जिला जज कौशाम्बी



के द्वारा मुझसे कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है। पुनःप्रविष्टि में उल्लिखित प्रशासकीय आदेश संख्या-70 दिनांकित-26.03.2021 के अतिरिक्त अन्य प्रशासकीय आदेश , प्रशासनिक अधिकारी तथा केन्द्रीय नाजिर के आख्या का सम्बंध वार्षिक प्रविष्टि वर्ष-2020-2021 से नहीं है। अतएव जिला जज द्वारा प्रविष्टि में उपरोक्त प्रशासकीय आदेशों, प्रशासनिक अधिकारी तथा केन्द्रीय नाजिर की आख्या के सम्बंध में कथन अवांक्षनीय है।

Officer has very bad reputation amongst advocates, litigants and society.

महोदय,

उपरोक्त कथन के सम्बंध में सादर निवेदन है कि वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के खण्ड 01 (d) के निम्न कथन-

His private character is such as to lower him in the estimation of the public and adversely affects the discharge of his official duties?

के संदर्भ में जिला जज ने अभियुक्ति के स्तम्भ में No लिखा है।

बार एसोसिएशन कौशाम्बी के अधिवक्तागण, वादकारियों तथा समाज में मेरी ख्याति खराब होने का कोई भी प्रमाण न तो प्रविष्टि के साथ संलग्न है और न ही दृष्टांत स्वरूप किसी प्रकार का विशिष्ट कथन प्रविष्टि में जिला जज ने अंकित किया है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि कभी किसी अधिवक्ता, वादकारी अथवा समाज के किसी सदस्य ने मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत जिला जज अथवा माननीय न्यायालय से किया है। वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के खण्ड 01 (d) में जिला जज ने स्वतः यह स्वीकार किया है कि मेरा चरित्र ऐसा नहीं है जो जनता के मध्य मेरे पद की गरिमा को दूषित करता है अथवा न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन को प्रभावित करता है। अतः जिला जज द्वारा इस खण्ड में मेरे विरुद्ध की गयी टिप्पणी निरस्त किये जाने योग्य है।



The officer does not deserve to continue in this great and pious judicial service.

महोदय,

प्रविष्टि मे किये गये उपरोक्त कथन के सम्बंध मे माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि तत्कालीन जिला जज द्वारा सेवा मे मेरे बने रहने के संदर्भ मे की गई अभियुक्ति गलत व अवांक्षनीय है।

एक जिला जज से अपेक्षित होता है कि वह न्यायालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के मध्य समान विचार धारा से समान व्यवहार करेगा तथा किसी भी न्यायिक अधिकारी अथवा कर्मचारी के मध्य भेदभाव नहीं करेगा। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि जनपद न्यायालय कौशाम्बी में तत्समय कार्यरत अपर जिला जज श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री राजीव रंजन एवं श्री प्रमोद कुमार चतुर्थ का स्थानांतरण इस वर्ष गैर जनपद में हो गया। स्थानांतरण के फलस्वरूप उक्त अधिकारीगण की जनपद न्यायालय से दिनांक-12.04.2021 को विदाई हो गयी तथा उक्त अधिकारीगण अपने स्थानांतरित जिलों मे चले गये। उनके चले जाने के बाद दिनांक-19.04.2021 को जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे ने अपने व्यक्तिगत मोबाइल नं0 9670688283 से व्हाट्सअप ग्रुप मैसेज से एक पत्र पोस्ट किया जो मुझे अपने व्यक्तिगत मो0 नं0 8881804123 पर प्राप्त हुआ।

तत्कालीन जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे के ग्रुप मैसेज के कथन इस प्रकार हैं-

“प्रिय

प्रमोद !

कललेश !

राजीव !

सच तो यह है कि जब से आप लोग गये हैं, मैं बहुत अन्मयस्क रहता हूँ और छोटी छोटी बात पर बिलावजह कोधित हो जाता हूँ, यानी अपने को नियन्त्रित या संतुलित नहीं कर पा रहा हूँ।

ये सब बातें मेरे मूल स्वभाव के विपरीत हैं। आने वाले नए अधिकारी भी मेरी इस स्थिति को समझते रहें और मुझे नैतिक बल देते हुए, मुझसे सहानुभूति रखें क्योंकि मुझे यह अपराध बोध भी हो रहा है कि वर्तमान समय, परिस्थितियों व दशा के कारण, मैं नये जजेज के साथ अपना नैतिक कर्तव्य व धर्म नहीं निभा पा रहा हूँ। पिछले दो वर्षों से एक एक



दिन, एक माह की तरह लगे लेकिन अब एक एक दिन, एक एक वर्ष की भांति लग रहे हैं।”

(संलग्नक संख्या-15, जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे द्वारा अपने व्यक्तिगत मोबाइल नं० 9670688283 से प्रकाशित व्हाट्सअप ग्रुप मैसेज की छाया प्रति)।

उपरोक्त वर्णित ग्रुप मैसेज में अंकित कथन इस तथ्य का परिचायक है कि उक्त न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद तत्कालीन जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे का मानसिक संतुलन उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक-30.06.2021 तक ठीक नहीं रहा।

जिला कचेहरी में प्रचलित सूचना यह रही है कि उक्त अवधियों में वह मुख्यालय पर अपने शासकीय आवास पर बने रहे तथा प्रविष्टि में दर्शित प्रशासकीय आदेशों से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन जिला जज ने अपने शासकीय आवास पर रह कर दिनांक-28.06.2021 तक कुल 162 प्रशासकीय आदेश निर्गत किये हैं।

जनपद न्यायालय परिसर में यह चर्चा आम रही कि उक्त अधिकारीगण के स्थानांतरित हो जाने के बाद दिनांक-12.04.2021 से 30.06.2021 को सेवा निवृत्त होने की तिथि तक तत्कालीन जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे अपने पदीय कर्तव्य के अनुरूप न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन हेतु जनपद न्यायालय में नहीं आये। उक्त अवधियों में उनके द्वारा न्यायालय आकर न्यायिक कार्य संपादित किये जाने के सम्बंध में माननीय महोदय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है। तदहेतु जनपद न्यायालय कौशाम्बी में लगाये गये सी.सी.टी.वी. कैमरे का अवलोकन तथा न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अधिवक्तागण से भी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

जो न्यायिक अधिकारी मुख्यालय पर शासकीय आवास में रहकर तीन माह तक न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन हेतु न्यायालय न आये तथा वेतन आहरित करे तो यह कहा जा सकता है कि ऐसे न्यायिक अधिकारी ने निष्ठापूर्वक अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है।



अवलोकन से स्पष्ट है न्यायिक गरिमा के अनुरूप अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे द्वारा न करने के कारण उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक-30.06.2021 को बार एसोसिएशन कौशाम्बी के पदाधिकारी तथा अधिवक्तागण उनसे इतना कुपित व क्रोधित थे कि जनपद न्यायालय के मुख्य द्वार पर अधिवक्ताओं ने उनका पुतला दहन किया तथा चकमण करके उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाया जिसके कारण वह अपने न्यायिक कार्य के अंतिम दिवस पर भी न्यायालय में प्रवेश नहीं कर सके तथा उन्हें अपने शासकीय आवास से बिना विदाई पुलिस सुरक्षा में अपने गृह जनपद जाना पड़ा।

(संलग्नक संख्या-16 दैनिक समाचार आज में प्रकाशित समाचार दिनांकित-01.07.2021 की प्रति)।

उपरोक्त के सम्बंध में समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्य, तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे का बार एसोसिएशन कौशाम्बी के सदस्यों व अधिवक्ताओं से उनके सम्बंध तथा उनके मध्य उनकी कार्य शैली को प्रमाणित करता है।

जिला जज कौशाम्बी के सेवानिवृत्ति होने की तिथि दिनांक-30.06.2021 को चिकित्सा अवकाश पर रहने के बावजूद जनपद न्यायालय कौशाम्बी में कार्यरत वरिष्ठ अपर जिला जज के निर्देश पर कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी के अवाहन पर सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ मैं उनके शासकीय आवास पर अपहरान्ह 2:15 बजे पहुंचा। अधिकारियों के साथ उनके शासकीय आवास पहुंचने पर जिला जज ने किसी भी न्यायिक अधिकारी से मिलने से मना कर दिया। एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं होती अपने दरवाजे पर बुला करके अपने कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों का अपमान करें। तत्कालीन जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे का उक्त व्यवहार यह दर्शित करता है कि उनका जनपद न्यायालय कौशाम्बी में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारियों के मध्य समान नहीं रहा।

तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे को मुझे सेवा में बने रहने योग्य न होने के सम्बंध में अभियुक्ति अभिलिखित करने का नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं



परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे सेवानिवृत्ति के उपरांत सेवा से सम्बन्धित लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, फिर भी मैं उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूँ।

विशिष्ट कथन

महोदय,

सादर निवेदन के साथ अवगत कराना है कि जिला जज कौशाम्बी के पद पर कार्यरत रहते हुये श्री विवेक कुमार दुबे द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 की प्रविष्टि भी मुझे प्रदान की गयी है, जिसकी प्रति माननीय महोदय के सुलभ अवलोकन हेतु संलग्नक संख्या-1 के रूप में इस प्रत्यावेदन के साथ सादर संलग्न किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रविष्टि मे तत्कालीन जिला जज द्वारा जिन स्तम्भों/खण्डों मे प्रतिकूल प्रविष्टि/अभियुक्ति अभिलिखित की गयी है उसके सापेक्ष वर्ष 2019-2020 मे उनके द्वारा प्रदत्त प्रविष्टि एवं की गई अभियुक्ति का विवरण इस प्रकार है-

1.(a) Integrity of the Officer- whether beyond doubt, doubtful or positively lacking?

Remark. Beyond doubt.

1. (b) If he is fair and impartial in dealing with the public and Bar?

Remark. Yes.

1. (c) If he is cool minded and does not lose temper in court.

Remark. Yes.

1. (f) Whether Judgment on facts and on law are on the whole sound, well-reasoned and expressed in good language?:

Remark. Yes.

1. (f) (i) Marshalling of facts;

Remark. (i) Judgements by the officer have been delivered

offer good marshalling of facts.

1. (f) (ii) Appreciation of evidences;

Remark. (ii) Judgements by the officer have been delivered after thorough scrutiny of evidence on record.

1. (f) (iii) Application of law.

Remark. Finding are based upon evidence on record and applicable laws supported by cogent reasons.

1. (h) Control over the Office and Administrative capacity and tact:

Remark . Very effective.

1. (i) Relations with members of the Bar(mention incidents, if any):

Remark . Courteous and impartial.

1. (j) Behavior in relation to brother Officers(mention incidents, if any):

Remark. Very Good.

1. (l) His punctuality and regularity in sitting on the dais in court during court hours?

Remark. The Officer is punctual and regular in sitting on dais in courts during court hours.

1. (m) Whether amenable to the advice of the District Judge and other superior officers?

Remark. Yes.

2. Over all assessment of the merit of the officer (Outstanding, Very Good, Good, Average, Poor)

Remark. Very Good.

3. State of Health, with remarks, if any?

Remark. The Officer has Good health.

4. Other remarks, if any;

Remark. The officer is well disciplined, courteous and obedient.

तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे द्वारा वर्ष 2019-2020 की उपरोक्त वार्षिक प्रविष्टि माननीय न्यायालय को प्रेषित की गयी तथा तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, जनपद न्यायालय कौशाम्बी महोदय ने मेरी प्रविष्टि इस प्रकार अभिलिखित किया है-

Overall assessment- Outstanding.

Integrity- Certified.

उल्लेखनीय है कि इस जनपद मे जिला जज के रूप मे कार्यरत रहते हुये श्री विवेक कुमार दुबे का स्थानांतरण पीठासीन अधिकारी कामर्शियल ट्रेड टैक्स ट्रिब्यूनल आगरा के लिए हो जाने के फलस्वरूप दिनांक-15.09.2020 को उनके द्वारा जिला जज का पदभार मुक्त किया गया। कामर्शियल ट्रेड टैक्स ट्रिब्यूनल आगरा से पुनः श्री विवेक कुमार दुबे का स्थानांतरण जिला जज कौशाम्बी के रूप मे माननीय न्यायालय द्वारा किया गया तथा दिनांक-07.02.2021 को जिला जज के रूप मे श्री विवेक कुमार दुबे द्वारा पदभार ग्रहण किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 मे मेरे द्वारा न्यायिक कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित विभागों का प्रभार सौपा गया था-

- (i) O/C Administration.
- (ii) Chairman Infrastructure sub committee.
- (iii) O/C Litigation committee.
- (iv) Chairman Grievance committee.
- (v) Member S.C.M.S. committee.
- (vi) Member Promotion/Seniority committee.
- (vii) Member Action Plan committee.
- (viii) Central Information Officer.
- (ix) Human Right Jurisdiction.
- (x) Ex- Officio Member Selection committee.
- (xi) Ex-Officio Member District Level Family Court committee.



दिनांक-15.09.2020 को जनपद न्यायालय कौशाम्बी से तत्कालीन जिला जज श्री विवेक कुमार दुबे के स्थानांतरण के उपलक्ष्य में विदाई का समारोह न्यायिक अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया था। उक्त विदाई समारोह में अपरिहार्य कारणवश मैं उपस्थित नहीं हो सका। अतः दिनांक-07.02.2021 को जिला जज कौशाम्बी का पुनः पदभार ग्रहण करने के उपरान्त तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे ने विदाई समारोह दिनांकित-15.09.2020 में मेरे सम्मिलित न होने से क्षुब्ध होकर O/C Administration को छोड़ कर सारे प्रभार मुझसे ले लिया। (संलग्नक संख्या-17 कार्य वितरण आदेश दिनांकित 07.02.2021 की प्रति)।

उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय के पत्र संख्या-336/Infrastructure Cell दिनांकित-02 जुलाई 2011 में जनपद न्यायालय में कार्यरत वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को Infrastructure Cell का प्रभारी होने का उपबंध किया गया है। दिनांक-07.02.2021 को मैं इस जनपद में सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत था किन्तु तत्कालीन जिला जज ने माननीय न्यायालय की व्यवस्था के प्रतिकूल मुझसे Infrastructure Cell का प्रभार वापस लेकर मुझसे कनिष्ठ तथा अपने चहेते न्यायिक अधिकारी को सौंप दिया गया। न सिर्फ इतना अपितु मेरे साथ सम्बद्ध आशुलिपिक, ऑफिस प्यून तथा अर्दली को भी हटा दिया गया। यह सब कुछ न्यायिक अधिकारियों के समक्ष मुझे नीचा दिखाने तथा मुझे हैरान और परेशान करने के लिए किया गया।

पदभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक-07.02.2021 के उपरान्त तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे का व्यवहार मेरे प्रति दुराग्रहपूर्ण रहने लगा जिसके कारण कोविड-19 काल में पैतृक गृह निवास ग्राम अंजना पोस्ट सैदाबाद, जनपद प्रयागराज मेरे पूरे परिवार के निवासरत रहने की अवधि में मेरे द्वारा मुख्यालय छोड़ने हेतु अनुमति से अभिप्रेत प्रार्थना पत्र दिनांक-04.05.2021 को जिला जज को दिया गया जिसे जिला जज द्वारा युक्तियुक्त आधार के बिना अस्वीकार कर दिया गया।



(संलग्नक संख्या-18, प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.05.2021 एवं उसपर पारित आदेश की प्रति)।

दिनांक-04.05.2021 को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र जिला जज द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने के फलस्वरूप मेरे द्वारा कोविड-19 के समाप्त होने की अवधि तक पैतृक आवास से नित्य न्यायालय आने व जाने हेतु माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिनांक-04.05.2021 को जरिये जिला जज कौशाम्बी प्रेषित किये जाने हेतु जनपद न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय को प्रदान किया गया। माननीय न्यायालय को प्रेषित उक्त प्रार्थना पत्र तत्कालीन जिला जज द्वारा अग्रसारित न किये जाने का कथन सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री दिनेश यादव द्वारा किया गया।

(संलग्नक संख्या-19, माननीय न्यायालय को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक-04.05.2021 की छाया प्रति)।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपने सेवानिवृत्त होने की तिथि दिनांक-30.06.2021 तक तत्कालीन जिला जज कौशाम्बी मुझसे व्यक्तिगत विद्वेष रखते थे तथा मानसिक अवसाद की दशा में रहते हुये वर्ष 2019-2020 में प्रदत्त प्रविष्टि के प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में सम्भावित सभी खण्डों में युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करके अनुचित अभियुक्तियों अभिलिखित किया है।

कदाचित अधीनस्थ न्यायपालिका का मैं ऐसा एकल दुर्भाग्यशाली न्यायिक अधिकारी हूँ जिसे निर्दोष होने के बावजूद जिला जज के कोप भाजन का शिकार होना पड़ा है।

उल्लेखनीय है कि मेरी वार्षिक प्रविष्टि दिनांक-28.06.2021 को तत्कालीन जिला जज द्वारा माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया है जबकि माननीय न्यायालय के-C.L.No. 07/2014/Cf.(C)Allahabad दिनांकित 04-03-2014 के अनुसार जिला जज द्वारा वार्षिक प्रविष्टि 15 अप्रैल तक सम्प्रेषित किया जाना तथा प्रतिकूल प्रविष्टि से सम्बन्धित को संसूचित किया जाना आज्ञापक है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त सर्कुलर लेटर में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप जिला जज

कौशाम्बी द्वारा वर्ष 2020-2021 के लिए मेरी वार्षिक प्रविष्टि 15 अप्रैल 2021 तक माननीय न्यायालय को प्रेषित किया नहीं किया गया है तथा उक्त प्रविष्टि मे मेरे विरुद्ध की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि से मुझे संसूचित भी नहीं किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मेरी वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 माननीय न्यायालय को प्रेषित करने मे तत्कालीन जिला जज ने माननीय न्यायालय के आज्ञापक प्राविधान का उल्लंघन किया है।

इस जनपद में अब तक न्यायिक कार्य करने के दौरान मेरी सत्य निष्ठा को प्रश्नांकित करते हुये एक भी पत्र किसी भी वादकारी, कर्मचारी अथवा अधिवक्तागण ने कभी न ही जिला जज को और न ही माननीय न्यायालय को दिया है। एक न्यायिक अधिकारी के रूप मे मैंने सदैव ईमानदारी, सत्य एवं निष्ठा के साथ अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन किया है। विगत बीस वर्षों की सतत् न्यायिक सेवा मे रहने के दौरान मेरे द्वारा पारित न्यायिक विनिश्चयों/निर्णयों के विरुद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी प्रकरण मे प्रतिकूल टिप्पणी करके मुझे संसूचित नहीं किया है। स्वतः जिला जज कौशाम्बी श्री विवेक कुमार दुबे ने वर्ष 2019-2020 की वार्षिक प्रविष्टि मे मेरे कार्य, व्यवहार एवं आचरण के सम्बंध मे किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणीयुक्त अभियुक्ति नहीं किया है। तत्कालीन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति जनपद न्यायालय कौशाम्बी ने वर्ष 2019-2020 की वार्षिक प्रविष्टि मे सम्पूर्ण आकलन Outstanding तथा सत्य निष्ठा को Certified किया है।

मेरा तथा मेरे परिवार की एक सामाजिक प्रतिष्ठा है। जिला जज की हैसियत से श्री विवेक कुमार दुबे ने मेरे द्वारा प्रेषित स्व-आकलन प्रपत्र वर्ष 2020-2021 का अवलोकन किये बिना तथा दृष्टांत स्वरूप संलग्न न्यायिक विनिश्चयों पर मत स्थिर किये बिना क्षेत्रीय राजनीति से प्रेरित होकर मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं छवि को धूमिल करने तथा मेरी अग्रेतर न्यायिक सेवा को प्रभावित करने के लिए मुझे सुनवाई का अवसर दिये बिना विद्वेषपूर्वक, मानसिक अवसाद की दशा मे बिना किसी तथ्य एवं साक्ष्य को अभिलिखित किये मनमाने तौर पर तथाकथित कपोलकल्पित मौखिक शिकायत के आधार पर दुर्भावना से ग्रसित होकर मेरा समग्र मूल्यांकन Poor अभिलिखित करते हुये मेरी सत्य निष्ठा को



प्रश्नांकित करके माननीय न्यायालय के सर्कुलर लेटर के प्रतिकूल प्रश्नगत प्रविष्टि माननीय न्यायालय को प्रेषित किया है जिसके बने रहने से मेरी अग्रेतर न्यायिक सेवा का प्रभावित होना अवश्यम्भावी है। अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियों में मेरा प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुये श्रीमान जिला जज कौशाम्बी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में मेरे विरुद्ध की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि एवं अभियुक्तियों निरस्त किया जाना न्यायहित में तथा न्यायिक अधिकारी की गरिमा को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु परमावश्यक है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि जिला जज कौशाम्बी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 में मेरे विरुद्ध की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि तथा की गई अभियुक्तियों को निरस्त करते हुये समुचित प्रविष्टि प्रदान करने की कृपा करें।

सादर-

आपका आज्ञाकारी



(रमेश कुमार यादव)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

न्यायालय कक्ष सं०-2

कौशाम्बी।

आई.डी.नं०-5953

दिनांक-16.07.2021

संलग्नक-यथोपरि।

SELF ASSESSMENT APPLICATION

Employee No.:-5953

Handwritten signature and number 46-1

COMPLETION

Months are complete for remarks of DISTRICT JUDGE? Yes

SELF ASSESSMENT FORM PART I

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1. Self Assessment Period | 01/04/2019 - 31/03/2020 | |
| 2. Name of the Officer | RAMESH KUMAR YADAV | |
| 3. Designation | Spl. J. (SC/ST, Pev.of Atroci Act) | |
| 4. Date of Joining Service / Length of Service | 24/03/2001 (19 Years 4 Months and 7 Days) | |
| 5. Place of Posting | Kaushambi
Posting Details During Self Assessment Period
Not Available | |
| 6. Any other charge held during the financial year | DJO at Chandauli Judgeship | |
| 7. Year wise break up of cases | Proforma attached | Attachment Available |
| 8. Courts held during the financial year | Court held during the year | Attachment Available |
| 9. In how many cases have you framed the issues | Nil | |
| 10. In how many cases have you framed the charge | 25 | |
| 11. Number of cases in which Judgment not delivered within 15 days of conclusions of argument | None | |
| 12. Percentage of appeals remanded by the officer | N/A | |
| 13. Inspections | Inspections details | Attachment Available |
| 14. Remarks if any | | |
| 15. Details of the works by the officer | work details | Attachment Available |
| 16. Performance in Lok Adalat | n/a | |

SELF ASSESSMENT FORM PART II

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Brief description of duties | From 1st April 2019 to 10th September 2019 worked as Principal Judge Family Court at Chandauli Judgeship.
From 12th September 2019 to 31st March 2020 worked as Special Judge for SC/ST ACT | |
| 2. Norms set and achieved in respect of disposal of cases. | | |
| | Target | Achievements |
| | 648.52 | 1461.6 |
| 2A. Steps taken to dispose of old matters which are more than 5 years old. | | |
| | Target | Achievements |
| | | Given earlier date as much as possible. call the witnesses early for speedy procedin |
| 2A(i) Pendency of such matters at the commencement of the year. | | |
| | Target | Achievements |
| | 214 | |
| 2A(i) Number of such matters disposed of during the year. | | |
| | Target | Achievements |
| | | 6 |
| 2B. Steps taken to dispose of old matters which are more than 10 years old. | | |
| | Target | Achievements |
| | 29 | Given earlier date as much as possible. call the witnesses early for speedy proceeding |
| 2B(i) Pendency of such matters at the commencement of the year. | | |
| | Target | Achievements |

Attachment Available

29	Target	4	
2B(i)	Number of such matters disposed of during the year.		
i).			
	Target	4	Achievements
2C.	Steps taken to dispose of cases of persons with more than 65 years of age.		
	Target		Achievements
2C(i)	Pendency of such matters at the commencement of the year.		
).			
	Target		Achievements
2C(i)	Number of such matters disposed of during the year.		
i).			
	Target		Achievements
3.	Please state briefly the shortfalls with reference to the targets / objectives referred to at S. No. 02 above. Please specify constraints, if any, in achieving the targets.		
	Target		Achievements
	Target Achieved		
4.	Academic and professional achievements during the year, including degree(s) obtained and/or books/articles published.		
	Target		Achievements
	NO		
5.	Whether attended any workshop, course, programme, etc., organized by Judicial Academy and/or any other organization during the period in question? If so, give details.		
	Target		Achievements
	No	None	
6.	Whether visited Judicial Academy as Faculty Member. If so, give details about the nature of lecture(s) given/topic(s) discussed.		
	Target		Achievements
	NO	None	

Efficient number of cases disposed of by him engaged during full time hours?
 Avoidance of unnecessary adjournments: Disposal of old cases (Give number and year old cases decided);

Judgment Attachments

Judgment Attachment	Uploading Date
State vs Santosh	05/09/2020
Sabeena Parveen vs Md Tahir	05/09/2020
Ashish vs Neetu	05/09/2020

Applying Date

Date 31/07/2020

01-Remarks given by the District Judge regarding:

- 01 (a). Integrity of the Officer- whether beyond doubt, Beyond doubt.
doubtful or positively lacking
- Note- If the officer's integrity is doubtful or positively lacking, it may be so stated with all relevant fact, reason(s) & supporting material.
- 01 (b). If he is fair and impartial in dealing with the public and Bar? Yes.
- 01 (c). If he is cool minded and does not lose temper in court. Yes.
- 01 (d). His private character is such as to lower him in the estimation of the public and adversely affects the discharge of his official duties? No.
- 1 (e). CONTROL OVER THE FILES IN THE MATTER OF:
01 (e)(i)(a). Proper fixation of cause list: Yes.

Whether sufficient number of cases are fixed by
to keep him engaged during full court full
court hours?

Yes.

Avoidance of unnecessary adjournments:

Yes.

Disposal of old cases(Give number and year of
old cases decided):

As Principal Judge, Family Court Chandauli

(01.04.2019 to 11.09.2019)

1. The Officer has decided 01 old case under section 125
Cr.P.C. of 2013.

2.He has also decided 01 old Civil Matrimonial Cases on of
2013.

As ASJ/Special Judge (SC/STAct), Kaushambi.

(12.09.2019 to 31.03.2020)

1.The Officer has decided 01 old Sessions Trials of 2014.

2. He has also decided 05 old SC/ST Act cases (03 of 2010, 01
of 2012 and 01 of 2013).

01 (e)(iv). Progress and disposal of execution cases:

NIL

01 (e)(v). Whether interim order, injunction being granted,
refused or retained for sufficient reasons?

N.A. as no Original Suit is filed in his court.

01 (e)(vi). Are cases remanded on substantial grounds?

No appeal remanded.

01 (e)(vii). Performance with regard to decision of Motor
Accident Claims related to death / injury

No comment on this point is warranted as no petitions were
pending in his court.

01 (f). Whether Judgment on facts and on law are on
the whole sound, well-reasoned and expressed in
good language?:

Yes.

Note:- The following factors should also be indicated in filling up this column:

01 (f)(i). Marshalling of facts;

Judgements by the officer have been delivered after good
marshalling of facts.

01 (f)(ii). Appreciation of evidences;

Judgements by the Officer have been delivered after thorough
scrutiny of evidence on record.

01 (f)(iii). Application of law.

Findings are based upon evidence on record and applicable
laws supported by cogent reasons.

01 (g). Whether disposal of work is adequate.(Give
percentage and reasons for short disposal, if
any)

Yes, the disposal of work is more than adequate as against
the Target Unit of 648.42 the Officer has done 1461.6 units of
work i.e. output is 225.40 %.

Note:- The following factors should also be indicated in filling up this column:

01 (g)(i). Number of cases decided after actual full
contest;

As Principal Judge, Family Court, Chandauli (01.04.2019 to
11.09.2019) 41 cases under section 125 Cr.P.C., 07 cases
under section 126, 127, 128 Cr.P.C, 24 Civil Matrimonial
Cases and 10 Adoption Cases. As ASJ/ Special Judge (SC/ ST
Act), Kaushambi. (01.09.2019 to 31.03.2020) 02 Sessions
Trials, 20 SC/ST Cases,

01 (g)(ii). Number of cases decided wherein all witnesses
of fact turned hostile and the case ended in
acquittal.

4 S. S.T.

01 (g)(iii). Number of civil cases decided on compromises /
alternate dispute resolution.

06 Cases.

01 (g)(iv). Number of cases wherein after conclusion of
arguments and reserving them for judgment,
rehearing was ordered.

NIL

01 (h). Control over the Office and Administrative
capacity and tact:

Very effective.

- 01 (i). Relations with members of the Bar(mention incidents, if any): Courteous and impartial.
- 01 (j). Behavior in relation to brother Officers(mention incidents, if any): Very Good.
- 01 (k). Whether the officer has made regular inspections of his court and offices in his charge and whether such inspections were full and effective? Yes.
- 01 (l). His punctuality and regularity in sitting on the dais in court during court hours? The Officer is punctual and regular in sitting on the dais in court during court hours.
- 01 (m). Whether amenable to the advice of the District Judge and other superior officers? Yes.
- 01 (n). Behaviour towards women(respect and sensitivity exhibited towards them) His behavior towards women is courteous.
2. Over all assessment of the merit of the officer(Outstanding, Very Good, Good, Average, Poor) Very Good
3. State of Health, with remarks, if any? The officer has good health.
4. Other remarks, if any: The officer is well disciplined, courteous and obedient.
5. Name of the District Judge: Vivek Kumar Dubey
15.09.2020

Overall assessment

Shashi Kant Gupta(HON'BLE JUDGE) On an overall assessment,he is rated as an officer of outstanding merits.

Overall assessment Outstanding

Integrity Certified

SEL

PLETION

These are complete for remarks of DJS.

SELF ASS

Self Assessment Period

3. Name of the Officer

4. Designation

5. Date of Joining

SELF ASSESSMENT APPLICATION

संलग्नक नं-२

Employee No.:-5953

COMPLETION

Months are complete for remarks of DISTRICT JUDGE?

Yes

SELF ASSESSMENT FORM PART I

Self Assessment Period	01/04/2020 - 31/03/2021	
2. Name of the Officer	RAMESH KUMAR YADAV	
3. Designation	Addl. District & Sessions Judge	
4. Date of Joining Service / Length of Service	24/03/2001 (20 Years 3 Months and 4 Days)	
5. Place of Posting	Kaushambi	
	Posting Details During Self Assessment Period	
	Not Available	
6. Any other charge held during the financial year	(i) O/C Administration. (ii) Chairman Infrastructure sub committee. (iii) O/C Litigation committee. (iv) Chairman Grievance committee. (v) Member S.C.M.S. committee. (vi) Member Promotion/Seniority committee. (vii) Member Action Plan committee. (viii) Central Information Officer. (ix) Human Right Jurisdiction. (x) Ex-Officio Member Selection committee. (xi) Ex-Officio Member District Level Family Court committee.	
7. Year wise break up of cases	Proforma No-8 Attached.	Attachment Available
8. Courts held during the financial year	Proforma No-09 Attached.	Attachment Available
9. In how many cases have you framed the issues	17 (313 CRPC)	
10. In how many cases have you framed the charge	8	
11. Number of cases in which Judgment not delivered within 15 days of conclusions of argument	No	
12. Percentage of appeals remanded by the officer	NIL	
13. Inspections	Proforma No-14 Attached.	Attachment Available
14. Remarks if any	NIL	
15. Details of the works by the officer	Proforma No-16 Attached.	Attachment Available
16. Performance in Lok Adalat	No Lok adalat was held	

SELF ASSESSMENT FORM PART II

1. Brief description of duties Additional District & Session's Judge.

2. Norms set and achieved in respect of disposal of cases.

Target

Achievements

204.88

153.85

2A. Steps taken to dispose of old matters which are more than 5 years old.

Attachment Available

Target

Achievements

19

02

2A(i) Pendency of such matters at the commencement of the year.

Target

Achievements

19

02

2A(i) Number of such matters disposed of during the year.

Target

Achievements

19

02

2B. Steps taken to dispose of old matters which are more than 10 years old.

2B(i)	30	00	
Pendency of such matters at the commencement of the year.	Target	Achievements	
2B(i)	30	00	
Number of such matters disposed of during the year.	Target	Achievements	
2C.	30	00	
Steps taken to dispose of cases of persons with more than 65 years of age.	Target	Achievements	
2C(i)	NIL	NIL	
Pendency of such matters at the commencement of the year.	Target	Achievements	
2C(i)	NIL	NIL	
Number of such matters disposed of during the year.	Target	Achievements	
3.	NIL	NIL	
Please state briefly the shortfalls with reference to the targets / objectives referred to at S. No. 02 above. Please specify constraints, if any, in achieving the targets.	Target	Achievements	
	204.88	153.85	
		As per Hon'ble High Court's Guide lines regarding Covid-19, protocol & closer of Courts from 23.03.2020 to 12.08.2020 and recording of evidence and final disposal of cases were not possible. Due to above mentioned reasons target unit was not achieved	
4.			
Academic and professional achievements during the year, including degree(s) obtained and/or books/articles published.	Target	Achievements	
	NO	NO	
5.			
Whether attended any workshop, course, programme, etc., organized by Judicial Academy and/or any other organization during the period in question? If so, give details.	Target	Achievements	
	NO	NO	
6.			
Whether visited Judicial Academy as Faculty Member. If so, give details about the nature of lecture(s) given/topic(s) discussed.	Target	Achievements	
	NO	NO	

Attachments

Attachment	Uploading Date
STATE VS KANCHAN	28/06/2021

*Red background attachments are uploaded in return of objection.

Applying Date

Date 28/06/2021

01-Remarks given by the District Judge regarding:

01 (a).	Integrity of the Officer- whether beyond doubt, doubtful or positively lacking	Positively lacking. (S.T.No.315/2012 U.P. State Vs. Taiyab Jafri and others, Crime No. 120/2012 u.s. 147, 302, 201, 120B IPC, P.S. Puramufti, District Kaushambi.) In the above case, oral complaint has been made by the complainant and his counsel but no written complaint has been made due to fear of the Officer, as the officer has threatened the complainant.
---------	--	--

Achievements

Achievements

If the officer's integrity is doubtful or positively lacking, it may be so stated with all relevant fact, (s) & supporting material.

He is fair and impartial in dealing with the public and Bar? No.

If he is cool minded and does not lose temper in court. No. He keeps fire-arm openly on dias and tried to show-off the same.

(d). His private character is such as to lower him in the estimation of the public and adversely affects the discharge of his official duties? No.

1 (c). CONTROL OVER THE FILES IN THE MATTER OF:

01 (e)(i)(a). Proper fixation of cause list: Yes.

01 (e)(i)(b). Whether sufficient number of cases are fixed by him to keep him engaged during full court full court hours? Yes.

01 (e)(ii). Avoidance of unnecessary adjournments: Yes

01 (e)(iii). Disposal of old cases(Give number and year of old cases decided): As Addl. District & Sessions Judge, Court No.1 The Officer has decided 02 old Sessions Trials (01 of 2014 and 01 of 2016).

01 (e)(iv). Progress and disposal of execution cases: No Execution Case was pending in his court.

01 (e)(v). Whether interim order, injunction being granted, refused or retained for sufficient reasons? N.A.

01 (e)(vi). Are cases remanded on substantial grounds? No appeal remanded.

01 (e)(vii). Performance with regard to decision of Motor Accident Claims related to death / injury No comment on this point is warranted as no motor accident claim petitions was pending in his court.

01 (f). Whether Judgment on facts and on law are on the whole sound, well-reasoned and expressed in good language?: No.

Note:- The following factors should also be indicated in filling up this column:

01 (f)(i). Marshalling of facts; (i). Judgements by the officer have been delivered without marshalling of facts.

01 (f)(ii). Appreciation of evidences; (ii). Judgements by the Officer have been delivered without thorough and proper scrutiny of evidence on record.

01 (f)(iii). Application of law. (iii) Findings are not based upon evidence and law.

01 (g). Whether disposal of work is adequate.(Give percentage and reasons for short disposal, if any) No. Against the Target Unit of 204.88 the Officer has done 153.85 units of work i.e. output is 75.09 %. According to explanation of the Officer----- "As per Hon'ble High Court's Guidelines regarding Covind-19, protocol & closure of courts from 23.03.2020 to 12.08.2020 recording of evidence and final disposal of cases were not possible. Due to above mentioned reasons target unit was not achieved."

Note:- The following factors should also be indicated in filling up this column:

01 (g)(i). Number of cases decided after actual full contest; As Addl. District & Sessions Judge/Special Court SC/ST Act. 03 Bail Applications. As Addl. District & Sessions Judge, Court No.1. 05 Sessions Trials, 02 Criminal Revisions and 01 Civil Revis

01 (g)(ii). Number of cases decided wherein all witnesses of fact turned hostile and the case ended in acquittal. Nil

01 (g)(iii). Number of civil cases decided on compromises / alternate dispute resolution. Nil

01 (g)(iv). Number of cases wherein after conclusion of arguments and reserving them for judgment, rehearing was ordered. Nil

01 (h). Control over the Office and Administrative capacity and tact. Not proper.

01 (i). Relations with members of the Bar(mention incidents, if any): Derogatory and limitless.

01 (j). Behavior in relation to brother Officers(mention incidents, if any): Derogatory and limitless.

01 (k). Whether the officer has made regular inspections of his court and offices in his charge and whether such inspections were full and effective?

Yes

01 (l). His punctuality and regularity in sitting on the dais in court during court hours?

No. The officer is habitually late-comer in court before court-hours. He used to come late, wrongly, despite the fact that he is advised orally.

01 (m). Whether amenable to the advice of the District Judge and other superior officers?

No

01 (n). Behaviour towards women(respect and sensitivity exhibited towards them)

His behavior towards women is courteous.

2. Over all assessment of the merit of the officer(Outstanding, Very Good, Good, Average, Poor)

Poor

3. State of Health, with remarks, if any?

Not good.
The Officer takes leaves (Casual Leave, Earned Leave and Medical Leave) on the ground of ill-health.

4. Other remarks, if any:

The Officer is undisciplined, discourteous and great player of victim cards.
He leaves the Station regularly with or without permission, despite the fact that Type-V Residence has been allotted to him.
In his above residence, he allowed an out-sider single lady to reside, about which oral objections were raised by Advocates and Public.
The officer used to send unwarranted, derogatory and limitless whatsapp messages/ messages through his mobile number and through some unknown mobile number. During Covid-19 pandemic period, every kind of incooperation was made by the Officer, intentionally. He also played dramatic character/role and different types of indiscipline (Administrative Order No.89 dated 26. 04.2021, Administrative Order No. 70 dated 26.03.2021, Report of Central Nazir dated 23.04.2021, Administrative Order No.107 dated 03.05.2021, Report of Central Nazir dated 07.06.2021, Administrative Order No.161 dated 25.06.2021, Report of Administrative Officer dated 25.06.2021, Administrative Order No.162 dated 29.06.2021) and created several types of problems for the Judgeship , during that period, while at that time there was acute shortage of Judicial Officers. Officer has very bad reputation amongst advocates, litigants and society.
The officer does not deserve to continue in this great and pious judicial service.

5. Name of the District Judge:

VIVEK KUMAR DUBEY (UP-5441)

APPLICATION

Whether 90 days are complete for re.

SELF ASSESSMENT

1. Self Assessment Financial Year

2. Self Assessment

3. Name

APPLICATION FOR SELF ASSESSMENT

Whether 90 days are complete for remarks of DISTRICT JUDGE?* Yes/No

SELF ASSESSMENT FORM PART- I

1. Self Assessment Financial Year. 2020 - 2021
2. Self Assessment Period. 01.04.2020 - 31.03.2021
3. Name of the Officer. RAMESH KUMAR YADAV
4. Designation. Additional District & Sessio's Judge.
5. Date of Joining Service / Length of Service. 24.03.2001 (20 Years 00 Month 08 Days)
6. Place of Posting. Kaushambi.
7. Any other charge held during the financial year
 - (i) O/C Administration.
 - (ii) Chairman Infrastrucure sub committee.
 - (iii) O/C Litigation committee.
 - (iv) Chairman Grievance committee.
 - (v) Member S.C.M.S. committee.
 - (vi) Member Promotion/Seniority committee.
 - (vii) Member Action Plan committee.
 - (viii) Central Information Officer.
 - (ix) Human Right Jurisdiction.
 - (x) Ex-Officio Member Selection committee.
 - (xi) Ex-Officio Member District Level Family Court committee.
8. Year wise break up of cases. Proforma No-8 Attached.
9. Courts held during the financial year. Proforma No-09 Attached.
10. In how many cases have you framed the issues. 17(313)
11. In how many cases have you framed the charge. 08
12. Number of cases in which Judgment not delivered within 15 days of conclusions of argument. NIL
13. Percentage of appeals remanded by the officer. NIL
14. Inspections. Proforma No-14 Attached.
15. Remarks if any NIL
16. Details of the works by the officer. Proforma No-16(i), 16(ii), 16(iii). Attached
17. Performance in Lok Adalat. 00 Cases decided
Proforma No-17 Attached.

SELF ASSESSMENT FORM PART- II

1. Brief description of duties
Additional District & Session's Judge.
2. Norms set and achieved in respect of disposal of cases.

Target : 204.88

Achievements: 153.87

* Note :- No disposal due to Covid 19 Pandemic since April 2020 to December 2020

Steps taken to dispose of old matters which are more than 5 years old.

Proforma No- 2A

Target : 19	Achievements: 2
2 (A) (i) Pendency of such matters at the commencement of the year.	
Target : 19	Achievements 2
2 (A) (ii) Number of such matters disposed of during the year.	
Target : 19	Achievements Actul-02 Transfer-00
2 (B) Steps taken to dispose of old matters which are more than 10 years old.	
Target : 30	Achievements: 00
2 (B) (i) Pendency of such matters at the commencement of the year.	
Target : 30	Achievements: 00
2 (B) (ii) Number of such matters disposed of during the year.	
Target : 30	Achievements Actul-00 Transfer-00
2 (C) Steps taken to dispose of cases of persons with more than 65 years of age.	
Target : NIL	Achievements: NIL
2 (C) (i) Pendency of such matters at the commencement of the year	
Target : NIL	Achievements: NIL
2 (C) (ii) Number of such matters disposed of during the year.	
Target : NIL	Achievements: NIL
3. Please state briefly the shortfalls with reference to the targets/objectives referred to at S.No. 02 above. Please specify constraints, if any, in achieving the targets.	
Target : 204.88	Achievements: 153.85.60
As per Hon'ble High Court's Guide lines regarding Covid-19, protocal & closer of Courts from 23.03.2020 to 12.08.2020 and recording of evidence and final disposal of cases were not possible. Due to above mentioned reasons target unit was not achieved.	
4. Academic and professional achievements during the year, including degree(s) obtained and/or books/articles published	
Target : No	Achievements: No
5. Whether attended any workshop, course, programme, etc., organized by Judicial Academy and/or any other organization during the period in question? If so, give details.	
Target : Participated in JTRI Training	Achievements: Participated in JTRI Training
6. Whether visited Judicial Academy as Faculty Member. If so, give details about the nature of lecture(s) given/topic(s) discussed.	
Target : No	Achievements: No

[Signature]
05.08.2021

रामेश कुमार यादव

FROM (01.04.2020 TO 31.03.2021)
Proforma No-09.

Courts held during the financial year 2020-2021 by Ramesh Kumar Yadav

From 01.04.2020 - 06.08.2020	Special Judge for Sc/ST Act, Kaushambi.
From 07.08.2020 - 31.03.2021	First Additional District & Session's Judge, Kaushambi.


रामेश कुमार यादव
01/04/2020

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-1, कौशाम्बी।

पीठासीन : श्री रमेश कुमार यादव (एच.जे.एस.)

सत्र परीक्षण संख्या : 149/2016

उत्तर प्रदेश राज्य

अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. कंचन पुत्र शिवसरन बगार

निवासी ग्राम- विहका, थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी।

.....अभियुक्त।

मु०अ०सं०-107/2016

धारा-302, 201 भारतीय दंड संहिता

थाना-पूरामुफ्ती

जनपद-कौशाम्बी।

निर्णय

1. पुलिस थाना-पूरामुफ्ती, जनपद कौशाम्बी द्वारा उपरोक्त अभियुक्त कंचन के विरुद्ध मु०अ०सं०-107/2016, धारा-302, 201 भा.द.स में परीक्षण हेतु आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद कौशाम्बी को प्रेषित किया गया है, जो सत्र उपापण के पश्चात माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अंतरण आदेश के उपरांत विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में लिखित तहरीर में वर्णित अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा शिवसरन बगार पुत्र स्व० कलेशर निवासी ग्राम विहका, थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी का निवासी है। मेरे पुत्र कंचन व बहु गौरी उम्र करीब 30 वर्ष में चरित्र की बातों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था, कई बार हम लोगों ने दोनों को काफी समझाया उन्हीं बातों को लेकर आज रात में समय करीब 02 बजे मेरे लड़के कंचन ने अपनी पत्नी गौरी उम्र करीब 30 वर्ष व पुत्री कु० तराना उम्र 11 वर्ष व कु० तनु उम्र 9 वर्ष तथा तिरषा उम्र 7 वर्ष के उपर मिट्टी का तेल व पेट्रोल डालकर जला दिया है। तीनों लड़कियों की मौके पर ही जलकर मृत्यु हो गयी। मेरा पुत्र कंचन तीनों शवों को छुपाकर घिना किसी को बताये मौके से भाग गया है। मेरी वडू जो गंभीर हालत में जली थी, मेरी पत्नी शांति को पता चलने पर सरकारी एम्बुलेंस से इलाज हेतु एस०आर०एन० अस्पताल इलाहाबाद लेकर गयी। गौरी की भी मृत्यु अस्पताल में हो गयी है। मौके पर घर परिवार के काफी लोग मौजूद थे, तीनों बच्चियों के शव घर पर ही पड़े हैं। उपरोक्त सूचना थानाध्यक्ष पूरामुफ्ती, जनपद कौशाम्बी को देकर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3. वादी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर दिनांकित 18.03.2016 के

आधार पर थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी में दिनांक 18.03.2016 बजे रोजनामचना प्रविष्टि संख्या-009, पर चिक प्रथम सूचना मु0अ0सं0-107/2016, धारा-302, 201 भारतीय दंड संहिता (जिसे आगे वनाम भा0द0सं0 के रूप में निर्णय में लिखा जायेगा) वनाम अभियुक्त कंचन के विरुद्ध दर्ज की गयी। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा उपरोक्त अभियुक्त कंचन के विरुद्ध धारा-302, 201 भा.दं.स में आरोप पत्र राबन्धित न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4- विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्त कंचन के विरुद्ध धारा-302, 201 भा.दं.स में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की।

5 अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने हेतु पी0डब्ल्यू0-1 शिवसरन पुत्र कलेसर निवासी-बिहका, थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी, पी0डब्ल्यू0-2 संजय कुमार पुत्र अमृत लाल निवासी निवासी-बिहका, थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी, पी0डब्ल्यू0-3 श्याम लाल पुत्र खिन्नीलाल निवासी-बिहका, थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी, पी0डब्ल्यू0-4 सरजू प्रसाद पुत्र दक्खिनी निवासी- नौदिया तरहार थाना-लालापुर जनपद-इलाहाबाद, पी0डब्ल्यू0-5 जगदीश कुमार पुत्र विशेशर प्रसाद निवासी-बिहका, थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी, पी0डब्ल्यू0-6 राम नरेश पुत्र स्व0 छोटे लाल निवासी-बिहका, थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी, पी0डब्ल्यू0-7 डा0 यश अग्रवाल, पी0डब्ल्यू0-8 रोहित कुमार पुत्र सरजू प्रसाद निवासी-नौदिया तरहार थाना-लालापुर जनपद-इलाहाबाद, पी0डब्ल्यू0-9 डा0 नफीसुरहमत, पी0डब्ल्यू0-10 उपजिलाधिकारी हरिओम शर्मा, पी0डब्ल्यू0-11 निरीक्षक राकेश कुमार सरोज पी0डब्ल्यू0-12 हे0 का0 देवेन्द्र कुमार सिंह को परीक्षित कराया गया है।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों ने अपने बयान से लिखित तहरीर को प्रदर्श क-1 के रूप में, पंचनामा कु0 तराना को प्रदर्श क-2 के रूप में, फर्द कब्जा लेने पुलिस एक अदद मिट्टी के तेल की पिपिया को प्रदर्श क-3 के रूप में, पंचायतनाम मृतका गौरी को प्रदर्श क-4 के रूप में, पी0एम0 रिपोर्ट कु0 तन्नु को प्रदर्श क-5 के रूप में, पी0एम0 रिपोर्ट कु0 तृषा को प्रदर्श क-6 के रूप में, पी0एम0 रिपोर्ट कु0 तराना को प्रदर्श क-7 के रूप में, पी0एम0 रिपोर्ट श्रीमती गौरी को प्रदर्श क-8 के रूप में, नमूना मोहर को प्रदर्श क-9 के रूप में, पुलिस फार्म नं-379 को प्रदर्श क-10 के रूप में, चिट्ठी आर0आई0 को प्रदर्श क-11 के रूप में, चिट्ठी सी0एम0ओ0 को प्रदर्श क-12 के रूप में, हरिओम ए0सी0एम प्रथम इलाहाबाद द्वारा थाना-कोतवाली इलाहाबाद को प्रेषित चिट्ठी को प्रदर्श क-13 के रूप में, नक्शा नजरी घटनारथल को प्रदर्श क-14 के रूप में तथा आरोप पत्र को प्रदर्श क-15 के रूप में, पंचायतनामा कु0 तराना को

प्रदर्श क-16 के रूप में
आर0आई0 को प्रदर्श क-18
कु0 तराना को प्रदर्श क-19 के रूप में पुलिस फार्म
मृतका कु0 तराना को
क-22 के

प्रदर्श क-16 के रूप में, चिट्ठी सी0एम0ओ0 को प्रदर्श क-17 के रूप, चिट्ठी आर0आई0 को प्रदर्श क-18 के रूप में, नमूना मोहर मृतका कु0 तराना को प्रदर्श क-19 के रूप में, पुलिस प्रपत्र फार्म नं- 13 को प्रदर्श क-20 के रूप में, फोटोनाश मृतका कु0 तराना को प्रदर्श क-21 के रूप में, पंचायतनामा कु0 तन्नु को प्रदर्श क-22 के रूप में, चिट्ठी सी0एम0ओ0 को प्रदर्श क-23 के रूप, चिट्ठी आर0आई0 को प्रदर्श क-24 के रूप में, नमूना मोहर मृतका कु0 तन्नु को प्रदर्श क-25 के रूप में, पुलिस प्रपत्र फार्म नं- 13 को प्रदर्श क-26 के रूप में, फोटोनाश मृतका कु0 तन्नु को प्रदर्श क-27 के रूप में, पंचायतनामा कु0 तिरसा को प्रदर्श क-28 के रूप में, चिट्ठी सी0एम0ओ0 को प्रदर्श क-29 के रूप, चिट्ठी आर0आई0 को प्रदर्श क-30 के रूप में, नमूना मोहर मृतका कु0 तिरसा को प्रदर्श क-31 के रूप में, पुलिस प्रपत्र फार्म नं-13 को प्रदर्श क-32 के रूप में, फोटोनाश मृतका कु0 तिरसा को प्रदर्श क-33 के रूप में, चिक एफआईआर को प्रदर्श क-34 के रूप में तथा नकल जी0डी0 को प्रदर्श क-35 के रूप में साबित किया है।

7. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने दिनांक 18.03.2016 को रात्रि दो बजे अपनी पत्नी गौरी एवं पुत्री तराना एवं तन्नु व तृषा के उपर भिट्ठी का तेल व पेट्रोल डालकर जलाकर हत्या कारित किये जाने तथा उनकी लाशों का विलोपन करने के प्रयास को गलत बताया है। पी0डब्ल्यू0-1, पी0डब्ल्यू0-4, पी0डब्ल्यू0-6, पी0डब्ल्यू0-7, पी0डब्ल्यू0-9, पी0डब्ल्यू0-10 के साक्ष्य के संबंध में कहा है कि कुछ नहीं कहना है। पी0डब्ल्यू0-2, पी0डब्ल्यू0-03, व पी0डब्ल्यू0-8 द्वारा गलत बयान दिये जाने, पी0डब्ल्यू0-5 द्वारा साबित प्रदर्श क-4 के संबंध में कहा है कि गलत बयान दिया है। पी0डब्ल्यू0-11 द्वारा साबित प्रदर्श क-14 तथा वस्तु प्रदर्श 1 ता 3, प्रदर्श क-15 लगायत 33 तथा पी0डब्ल्यू0-12 द्वारा साबित प्रदर्श क-34 व 35 को फर्जी व गलत बयान देने का कथन किया है। अतिरिक्त कथन में अभियुक्त कंचन ने कहा है कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे गलत तरीके से गलतफहमीवश फंसाया गया है।

8. अभियुक्त ने सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया। अभियुक्त को सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया गया परन्तु अभियुक्त की ओर से सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. मैने विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सविरतार परिशीलन किया।

10. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त के द्वारा अपनी पत्नी व तीन नाबालिग लड़कियों को जलाकर हत्या कारित की गयी है, जो अभियोजन द्वारा परीक्षित

साक्षियों के बयान तथा अभिलेखीय प्रमाणों से युक्तियुक्त संदेह से परे अतः अभियुक्त आरोप में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

प्रत्युत्तर में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कथन किया गया कि अभियुक्त ने ऐसी कोई घटना कारित नहीं की जैसा कि अभियोजन द्वारा अभिकथित है। अभियुक्त निर्दोष है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। अभियोजन के परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य तथा अभिलेखीय प्रमाणों से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोप में निर्दोष घोषित करते हुये दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

वचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथानक के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्था का आश्रय लिया है--

1. GAMBER VAISHNAV AND ANOTHER VS STATE OF CHATTISGARH CRIMINAL APPEAL NO 428-30 (2019)2 Supreme Court Cases (Cri) 300 (2019) 4 Supreme court Cases 522

2- Bhim Singh Rup Singh Vs State of Maharashtra Criminal Appeal No 165 of 1970 AIR 1974 SC 286

11. अभियुक्त पर आरोप है कि दिनांक 18.03.2016 को समय लगभग 02.00 बजे रात्रि स्थान वादी का मकान ग्राम बिहका थाना पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी में उसने अपनी पत्नी गौरी उम्र करीब 30 वर्ष व पुत्री कु0 तराना उम्र 11 वर्ष व कु0 तन्नू उम्र 9 वर्ष तथा तिरपा उम्र 7 वर्ष के उपर गिट्टी का तेल व पेट्रोल डालकर जलाकर हत्या कारित किया है तथा उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर उसने अपनी पत्नी गौरी पुत्री तराना तन्नू एवं तथा की हत्या कर उनके लाशों/साक्ष्यों का विलोपन करने का प्रयास करके धारा-302 व 201 भा0द0स0 के अधीन अपराध कारित किया है।

12. अभियोजन कथानक को स्थापित करने हेतु अभियोजन द्वारा परीक्षित पी0डब्ल्यू0-1 शिवसरन पुत्र कलसर वादी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा में शपथ पूर्वक बयान किया कि घटना 18 तारीख तीसरा महीना सन् 2016 की समय 2.00 बजे रात की है। मेरे लड़के कंचन और मेरी बहु गौरी में झगडा होता रहता था। झगडा चरित्र को लेकर होता था। घटना वाली रात में भी दोनों में झगडा हुआ था। उसी रात को मेरी बहु ने गिट्टी का तेल अपने उपर एवं अपने बच्चे के उपर भी डाल लिया तथा आग लगा ली। गिट्टी का तेल अपने पर तथा अपने तीन बच्चों तराना जो लडकी है, तीसरी लडकी उसका नाम नहीं मालूम उस पर तथा दूसरी लडकी तन्नू पर भी डाला था। आग सभी के लगी थी। तीनों लडकियां मौके पर ही जलकर खत्म हो गयी। आग बुझाने पर गौरी जल चुकी थी। मैंने

पूछा कि तुम्हारी हालत ऐसी
जब मेडिकल कॉलेज से जा
गयी। तीनों लडकियों की लाश
थाने पहुँचा वहाँ पर दरखास्त
थी। मैंने दस्ताखत बनाये थे। उसी
तुम्हारी

पूछा कि तुम्हारी हालत ऐसी किसने की तो बताया कि मैंने स्वयं आग लगायी है। जब मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे एव एम्बुलेंस से उतारा तभी गौरी खत्म हो गयी। तीनों लड़कियों की लाश घर पर ही रह गयी। जब मैं ड्यूटी से आया तो धाने पहुंचा, वहां पर दरखास्त लिखी रखी थी। तहरीर किसन कुमार ने लिखी थी। मैंने दस्ताखत बनाये थे। उसी आधार पर रिपोर्ट लिखी गयी थी। गवाह ने तहरीर देखकर कहा कि यही दरखास्त है, जिस पर एफ0आई0आर0 लिखी गयी थी एवं मेरे हस्ताक्षर है। दरखास्त को मैंने पढ़ा नहीं था। तहरीर पर प्रदर्श क-1 डाला गया। मृतका गौरी व उसकी तीनों लड़कियों का पंचायतनामा मेरे सामने नहीं भरा गया था। मैंने पंचनामा के समय मौजूद नहीं था। कागज संख्या-8क/21 ता 8क/22 पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह कू0 तराना का पंचनामा है। इस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। कागज संख्या-8क/40 ता 8क/41 गौरी का पंचनामा है, जिस पर मेरे दस्ताखत नहीं है। मृतका तृषा का पंचनामा कागज संख्या-8क/2 लगायत 3 मेरे सामने भरा नहीं गया था। इस पर मेरे दस्ताखत नहीं है। मेरे लड़के कंचन व बहु गौरी की शादी का करीब 13 साल हुए थे।

13. पी0डब्ल्यू0-2 संजय कुमार पुत्र अमृत लाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.03.2016 को पुलिस वालों ने घटनास्थल से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया मिट्टी की तेल की पांच लीटर की तथा एक प्लास्टिक की दो लीटर की बोतल तथा जली हुयी राख पुलिस वालों ने मेरे सामने कब्जे से लिया था। जली हुई राख डिब्बे में कब्जे में लिया था। पिपिया में मिट्टी के तेल की महक आ रही थी और बोतल से पेट्रोल की महक आ रही थी। कब्जे में लिये गये सामानों को सफेद कपड़े में सील मोहर किया गया था और लिखा पढ़ी करके मुझसे हस्ताक्षर बनवाया गया था। पत्रावली में संलग्न फर्द कागज संख्या--7क पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। दरोगा जी ने मेरा कथान लिया था।

14. पी0डब्ल्यू0-3 श्याम लाल पुत्र खिन्नीलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.03.16 को घटनास्थल से पुलिसवालों ने एक प्लास्टिक पिपिया पांच लीटर तथा एक प्लास्टिक की बोतल दो लीटर तथा एक डिब्बा में राख घटनास्थल से पुलिसवालों ने मेरे सामने कब्जे में लिया था। लिखा-पढ़ी के बाद पुलिस वालों ने मुझसे नीचे हस्ताक्षर बनवाया था। जो कब्जे में सामान लिया गया था, उसको मेरे सामने सील मोहर किया गया था। पत्रावली में संलग्न फर्द कागज संख्या-7क पर बने अपने हस्ताक्षर को देखकर पहचान किया। जिस पर पूर्व में प्रदर्श क-3 डाला गया है।

15. पी0डब्ल्यू0-4 सरजू प्रसाद पुत्र दक्खिनी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैंने अपनी लड़की गौरी की शादी अभियुक्त कंचनके साथ सन् 2003 में किया था। मेरी लड़की गौरी की तीन लड़किया थी तथा घटना

के समय एक बच्चा पेट में था। मेरा दादा कचन मशी लडकी का हजारा व एक बार बीस हजार रूपया दिया था। दिनांक 18.03.16 को मेरे कचन ने गिट्टी का व पेटोल मिलाकर मशी लडकी गोरी व तीनों बच्चों को जलाकर मार डाला। घटना की सूचना थाना-पूरामुफ्ती न मर थाने लालापुर में दिया तब थाने वाले मुझे सूचना दिये थे। तब मैं थाना पूरामुफ्ती आया था। मेशे वेटी गोरी की तीनों बेटियों की लाश पहले मंडानपुर आयी फिर थाना पूरामुफ्ती गयी तब मैंने देखा था। बाद में मेरी लडकी को इलाहाबाद अस्पताल दिखाने ल जा रहे थे तब रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी तब पुलिस वाले मेरी लडकी गोरी की लाश थाने पर लाये थे। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

16. पी0डब्ल्यू0-5 जगदीश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतक गोरी का पंचनामा स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद में हुआ था। उसकी लाश का सर्वसील मोहर करके दरोगा जी ने पंचायतनामा तैयार किया था और उस पर मेरा नि0 अंगूठा लगावाया था। यह घटना लगभग डेढ़ वर्ष की है। उसकी मृत्यु स्वरूप रानी अस्पताल में हुयी थी। कागज संख्या-8क/40 ता 8क/41 पर बने नि0 अंगूठा को देखकर बताया कि इसी पर दरोगा जी ने मेरा अंगूठा लगावाया था, जिसकी पुष्टि किया। जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया।

17. पी0डब्ल्यू0-6 राम नरेश ने अपना मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतक गोरी लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद में हुयी थी। उसके शव को सर्व सील मोहर करके दरोगा पंचायतनामा तैयार किया था। जिस पर दरोगा जी ने मेरा हस्ताक्षर कराया था। कागज संख्या-8क/40 ता 8क/41 जिस पर पूर्व में प्रदर्श क-4 डाला गया है, पर बने हस्ताक्षर को देखकर बताया कि उस पर मेरे ही हस्ताक्षर है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। दरोगा जी ने पंचायतनामा के संबंध में मेरा बयान लिया था।

18. पी0डब्ल्यू0-7 डा0 यश अग्रवाल वर्तमान तैनाती रामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मूरतगंज कौशाम्बी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.03.2016 को मैं सी0एच0सी0 मूरतगंज में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था और पोस्टमार्टम हाउस कौशाम्बी में शव विच्छेदन हेतु ड्यूटी लगी थी। मृतक का शव विच्छेदन उसी दिन 2.00 पी0एम0 से 2.30 पी0एम0 तक किया गया। मृतक का नाम तनु था। जिसके पिता का नाम कचन निवासिनी विहका, थाना-पूरामुफ्ती जनपद-कौशाम्बी उम लगभग 11 वर्ष थी। शव को का0 वृजगाहन राम व अशोक कुमार सिंह द्वारा लाया गया था। शव की पहचान शत्रुधन सिंह व होमगार्ड अनिल कुमार द्वारा किया गया था।

सामान्य परीक्षण

उंचाई-53 सेमी, वजन-27 कि0ग्रा, दूबली-पतली, मृतक के दोनों कानों में

शरीर का काला पड़ा था। कैरोलीन तैली
 बाल्य चोटें
 Pugilistic Posture
 1. शरीर काला पड़ा था। कैरोलीन तैली
 था।
 2. शव का

पीले रंग के छल्ले थे, शव में अकडन मौजूद थी। शव के बाहर से काला था और शरीर Pugilistic Posture में था। दोनों आंखें बंद थी।

बाह्य चोटें

1. शरीर काला पडा था। केरोसीन तेल की सौल आ रही थी। शव पूरी तरह जला था।
2. शव पर लाल रंग की रेखायें उपस्थित थी।
3. शरीर पर फफोले पड गये थे।

बाह्य परीक्षण

केरोसिन के तल की सौल आ रही थी। मरिात्क में Cangection था। खून निकल रहा था। दांत 14/14 थे, जीभ निकली थी। उसी श्वास नली में कार्बन मौजूद था। उसकी परालियां और वेस्ट वॉल ब्लैक थी और 100 प्रतिशत जली थी। श्वासनली में Sooth particles and froth मौजूद थी। हृदय के अंदर गहरे लाल रंग का क्लॉट भरा था। पेट और आंते सूजी थी। पेट में Fluid मौजूद थी। बडी आंत में Faecal matter मौजूद थी। Liver, gall bladder, spleen, pancreas व Kidney congested थी। उसका ब्लेडर खाली था। मृत्यु लगभग 12--15 घंटे पूर्व की थी।

मृत्यु का कारण

मृत्यु पूर्व आयी बर्न इंजरी, शॉक और सेप्टीसीमिया के कारण हुयी थी। चोटें मृत्यु के लिए पर्याप्त थी। शव को 10 प्रपत्रों के साथ लाया गया था। शव विच्छेदन रिपोर्ट कागज संख्या-8क/11 ता 8क/19 को देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हरताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया।

उसी दिन 18.03.2016 को 3.30 पी0एम0 पर कु0 तृशा पुत्री कंचन निवासिनी विहिका थाना-पूरामुफ्ती का शव विच्छेदन किया था। जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष थी। जिसे का0 वृजगोहन राय, व अशोक कुमार सिंह द्वारा लाया गया था। उनकी पहचान शत्रुघन सिंह व अनिल कुमार द्वारा किया गया था।

सामान्य परीक्षण

मृतका की उम्र-7 वर्ष उंचाई 40 सेमी, वजन-21 कि0ग्रा, शव में अकडन मौजूद थी। शव काला पड गया था। शरीर Pugilistic Posture में था।

बाह्य चोटें

1. शव पूरी तरह जला था और केरोसिन तेल की महक आ रही थी
2. शव पर लाल रंग की लाईने मौजूद थी।
3. शरीर पर फफोले पड गये थे।

जीभ निकली हुई थी और श्वासनली में Sooth particles and froth मौजूद थी। हृदय में गहरे लाल रंग का खून भरा था। Liver, gall

bladder, spleen, pancreas व दोनों Kidney का सम्भावित समय 12-15 घंटे पूर्व की थी।

मृत्यु का कारण

मृत्यु पूर्व वर्न इंजरी, शॉक और साप्टीसीमिया के कारण हुयी थी। विच्छेदन रिपोर्ट मेंने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या-8क/30 त 8क/38 है, जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया।

उसी दिन 2.40 पी0एम0 से 3.20 पी0एम0 के बीच कु0 तराना पुत्री कंचन निवासिनी विहिका थाना-पूरामुफ्ती का शव विच्छेदन किया था। जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी। जिसो का0 वृजमोहन राय, व अंशोक कुमार सिंह द्वारा लाया गया था। उनकी पहचान शत्रुघन सिंह व अनिल कुमार द्वारा किया गया था।

बाह्य परीक्षण

उंचाई-54 सेमी, वजन-30 कि0ग्रा, शव में अकडन मौजूद थी।

Pugilistic Posture बॉडी में था व शरीर काला पड गया था।

बाह्य चोटें

1. शव पूरी तरह जला था और कैरोसिन तेल की दुर्गन्ध आ रही थी
2. शव पर लाल रंग की लाईने मौजूद थी।
3. शरीर पर फफोले पड गये थे।

Liver, gall bladder, spleen, pancreas व दोनों Kidney कंजस्टेड थी। मृत्यु का सम्भावित समय 12-15 घंटे पूर्व की थी।

मृत्यु का कारण

मृत्यु पूर्व वर्न इंजरी, शॉक और साप्टीसीमिया के कारण हुयी थी।

पत्रावली में संलग्न कागज संख्या-8क/49 त 8क/57 को देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर प्रदर्श क-7 डाला गया।

19. पी0डब्ल्यू0-8 रोहित कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 18.03.2016 की है, मुझे सूचना मिली थी कि मेरी बहन गोरी के पति कंचन ने पैसे के कारण भिटटी का तेल व पेट्रोल डालकर जला दिया। जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। मेरे कानाई जुआ खेलते थे। इसी कारण मेरे बहन बहनाई में झगडा होता था। इस तरह जलाकर मार डालेंगे मैंने सोचा नहीं था। हमारे दीदी के ससुर न घटना की रिपोर्ट लिखाही थी। सूचना पर मैं भी गया था।

20. पी0डब्ल्यू0-9 डा0 नफीसुर्रहमान बर्तमान तेनाती एम0डी0आई0 हारस्पिटल, इलाहाबाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.03.2016 को मैं एम0डी0आई0 हारस्पिटल, इलाहाबाद में तेनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस इलाहाबाद में शव विच्छेदन हेतु लगी थी। उसी दिन

मृतक श्रीमती गोरी पत्नी
जनपद-कौशांबी का पोस्टमार्टम
सीलबंद हालत में का0 65
जनपद-इलाहाबाद द्वारा लाये गये
थी। मृतक के शव के साथ
जिसमें 5.20

मृतक श्रीमती गौरी पत्नी कंचन उम्र 35 वर्ष निवासिनी बिहका थाना-पूरामुफ्ती जनपद-कौशाग्वी का पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया था। मृतका की लाश को सीलबंद हालत में का० 65 संजय सिंह ओ०पी०एस०आर०एन० कोतवाली जनपद-इलाहाबाद द्वारा लाये गये थे। उसी का० द्वारा मृतक की पहचान की गयी थी। मृतक के शव के साथ अस्पताल के पंजीकरण संख्या-8561 की पर्ची भी थी। जिसमें 5.30 ए०एम० सुबह मृतका को अस्पताल ले जाने का विवरण अंकित था। उसी पर्ची पर डाक्टर द्वारा मृतका की मृत्यु पश्चात अंकित किया गया था। शव का परीक्षण करने पर उरुकी उचाई 152 से०मी० वजन-45 कि०ग्रा०, शारीरिक बनावट मध्यम तथा औसत कद काठी थी। दांत 15/16 था। मृतक के शव पर

बाह्य चोटें

पूरे शरीर पर उपर से नीचे तक superficial deep burn मौजूद थी। जलने के स्थान पर लालिमा (Line of Redness) मौजूद थी।

आंतरिक परीक्षण-

मस्तिष्क और कंजस्टेड थी। स्वसनली कंजस्टेड थी और सूक्ष्म पीरिक्लस मौजूद थे। दोनों फेफड़े और झिल्लियां कंजस्टेड थी। फेफड़ों को काटने पर उसके अंदर सूक्ष्म पर्टिकल्स मौजूद थे। अमाशय में करीब 100 एम०एल० तरल पदार्थ मौजूद था। लीवर, spleen, व दोनों Kidney कंजस्टेड पायी गयी थी। गर्भाशय में 4.5 से०मी०का " Featus" मौजूद था। मृत्यु का संभावित समय पोस्टमार्टम से करीब 1/2 दिन पूर्व का था।

मृत्यु का कारण

Antimortum Burn Injury की वजह से शॉक लगने से थी। मृत्यु कारित करने के लिए मृतका के शरीर पर जो बर्न इंजरी थी, वह पर्याप्त थी। मृतका के शव का पोस्टमार्टम मैंने व डाक्टर ए०के० भौर्या ने संयुक्त रूप से किया था। डाक्टर भौर्या मेरी राय से सहमत थे। मृतका का पोस्टमार्टम करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने हस्तलेख व हरताक्षर में तैयार की थी। जो पत्रावली में मूल रूप से रालग्न कागज संख्या-8क/8 ता 8क/10 है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क-8 डाला गया।

21. पी०डब्ल्यू०-10 हरिओग शर्मा उपजिलाधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.03.16 को मैं ए०सी०एम० इलाहाबाद के पद पर तैनात था। मुझे पुलिस चौकी एस०आर०एन० अस्पताल द्वारा मोबाईल पर सूचना मिली थी। तब मैं एस०आर०एन० अस्पताल गया था और उसी दिन मृतका श्रीमती गौरी पत्नी कंचन पुत्री सरजू प्रसाद उम्र 35 वर्ष महिला निवासिनी बिहका, थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाग्वी की पंचायतनामा भरा था। जब मैं पहुंचा तो मृतका के परिजन व एस०आर०एन० चौकी प्रभारी वृजेश कुमार गौतम एस०आई०

मय हमराही उपस्थित थे। पंचायतनामा व अन्य प्रपत्र पर पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा कागज संख्या-40क/लगायत साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। जिस पर पूर्व से ही प्रदर्श किया है। पंचायतनामा के अन्य प्रपत्र नमूना मोहर कागज फोटोनाश कागज संख्या-8क/45, बिट्टी आर0आई0-8क/46, सी0एम0ओ कागज संख्या-8क/47, फार्म 13 कागज संख्या-8क/48 को देखकर उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क-9, प्रदर्श क-10, प्रदर्श क-11, प्रदर्श क-12, प्रदर्श क-13 डाला गया। मृतका की लाश जली हुई थी। मृतका की लाश को कपड़े में सील मुहर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

22. पी0डब्ल्यू0-11 निरीक्षक राकेश कुमार सरोज पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ने अपनी मुख्य प्रतीक्षा में राशपथ कथन किया है कि दिनांक - 18.03.2016 को मैं एस0ओ0 पूरामुफ्ती के पद पर कार्यरत था। उसी दिन गु0ओ0स0-107/2016 धारा-302,201 भा0ओ0स0 थाना-पूरामुफ्ती बनाम कंचन की विवेचना मुझे प्राप्त हुई और विवेचना ग्रहण करने हुए उस दिन नकल विक. नकल स्पट, बयान दादी मुकदमा शिवचरण वमार का बयान अंकित किया और उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया। पत्रावली में संलग्न नक्शा नजरी घटनास्थल कागज संख्या-6क को देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर प्रदर्श क-14 डाला गया। इसके बाद घटनास्थल से एक अदद मिट्टी के तैल की पिपिया, एक अदद प्लास्टिक की बोतल तथा जली राख कब्जे में लेकर सील मुहर किया गया तथा फर्द लिखकर गवाहों के हस्ताक्षर बनवाये गये। पत्रावली में संलग्न फर्द कागज संख्या-7क को देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क-3 पूर्व से ही पडा है। उसके बाद फर्द गवाहान का बयान अंकित किया गया। इसके पश्चात मुखविर की सूचना पर अभियुक्त कंचन का मनौरी गेट के पास गिरफ्तार किया गया तथा हवालाल में बैठाकर अभियुक्त का बयान लिया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार किया था। दिनांक 04.04.16 को बयान लेखक का0मो0 देवेन्द्र सिंह बयान लेखक तहरीर, श्री कृष्ण कुमार तथा फर्द के गवाहान संजय कुमार व श्यामलाल का बयान अंकित किया गया। बयान शिव प्रसाद व सरजू प्रसाद अंकित किया गया। उसके बाद रोहित व जय प्रकाश का बयान अंकित किया गया। दिनांक 14.04.16 को मूल पी0एम0 मिलने पर उसका अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया तथा पंचायतनामा के गवाहों के बयान अंकित किया गया तथा सभी शवों के पी0एम0 रिपोर्ट का अवलोकन कर केस डायरी में अंकित किया तथा सभी पंचायतनामा का उल्लेख केस डायरी में अंकित किया गया तथा सभी पंचायतनामा भरने वालों का बयान अंकित

दिनांक 15.04.16 को बयान मजीद बयान शिवसरण व किया गया। पंचायतनामा भरने वाले रहमान का बयान अंकित किया गया। डाक्टर एस0 अमजाल का बयान अंकित किया गया। उपरोक्त पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त का आरोप पत्र संख्या-157 में अंकित किया गया।

किया गया। दिनांक 15.04.16 को बयान आरक्षी वृज गोहन व अशोक कुमार तथा बयान मजीद बयान शिवसरण व अन्य पंचायतनामा के गवाहों का बयान अंकित किया गया। पंचायतनामा भरने वाले मजिस्ट्रेट हरिओम शर्मा व डाक्टर नफीसुल रहमान का बयान अंकित किया गया। दिनांक 20.04.16 को पी0एम0 करने वाले डाक्टर एस0 अग्रवाल का बयान अंकित किया गया तथा तमामी विवेचना के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त कंचन के विरुद्ध अंतर्गत धारा-302,201 भा.द.सं आरोप पत्र संख्या-ए67/16 कंप्यूटर द्वारा टंकित कराकर न्यायालय प्रेषित किया गया। पत्रावली में संलग्न कंप्यूटराईज्ड आरोप पत्र कागज संख्या-3क/1 ता 3क/3 को देखकर उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर प्रदर्श क-15 डाला गया। फर्द बरामदगी माल एक अदद मिट्टी के तेल की पिपिया व एक प्लास्टिक की बोतल व एक डिब्बे में जली हुई राख आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिसका सील बंडल खोला गया। यह फर्द बरामदगी मृतका के लाश के पास रा हुई थी, जिस पर कमशः वस्तु प्रदर्श क-1, वस्तु प्रदर्श क-2, वस्तु प्रदर्श क-3 डाला गया। मृतका कु0 तराना पुत्री कंचन चमार निवासिनी बिहका थाना-पूरामुफ्ती जनपद-कौशाम्बी व मृतका तन्नू पुत्री कंचन चमार पता उपरोक्त को पंचायतनामा मेरे साथ कार्यरत एस0आई0 राधेश्याम मिश्रा ने पंचायतनामा की कार्यवाही किया था और लाश को सील मुहर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जिनके लेख व हस्ताक्षर को मैं भली भांति जानता व पहचानता हूँ। पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा कागज संख्या-8क/21 व 22 पर प्रदर्श क-16 तथा संलग्न प्रपत्र सी0एम0ओ0 चिट्ठी 8क/23, प्रतिसार निरीक्षक रिपोर्ट 8क/24, नमूना मोहर 8क/25, फार्म-13 8क/26, फोटोनाश 8क/27 पर कमशः प्रदर्श क-17, प्रदर्श क-18, प्रदर्श क-19, प्रदर्श क-20, प्रदर्श क-21 डाला गया। पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा 8क/59-60 पर प्रदर्श क-22, सी0एम0ओ0 चिट्ठी-8क/61, प्रतिसार निरीक्षक रिपोर्ट 8क-62, नमूना मोहर 8क/63, फार्म-13 8क/64, फोटोनाश 8क/65 जिस पर प्रदर्श क-23, प्रदर्श क-24, प्रदर्श क-25, प्रदर्श क-26, प्रदर्श क-27 डाला गया। मृतका कु0 तिरसा पुत्री कंचन चमार निवासी उपरोक्त का पंचायतनामा मेरे साथ कार्यरत एस0आई0 श्री राधेश्याम मिश्रा ने भरा था। पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा, कागज संख्या-8क/2 व 3 पर प्रदर्श क-28 व सी0एम0ओ0 चिट्ठी 8क/4, प्रतिसार निरीक्षक रिपोर्ट 8क/8 पर कमशः प्रदर्श क-29, प्रदर्श क-30, प्रदर्श क-31, प्रदर्श क-32, प्रदर्श क-33 डाला गया।

23. पी0डब्ल्यू0-12 हे0का0 देवेन्द्र कुमार सिंह थाना-पूरामुफ्ती जिला-कौशाम्बी ने अपनी मुख्य परीक्षा में राशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.03.2016 को मैं थाना-पूरामुफ्ती में वतौर राहायक लेखक के पद पर कार्यरत था। उस दिन वादी श्री शिवशरण द्वारा प्राप्त करायी गयी तहरीर के आधार पर

मु0अ0स0-107/2016 धारा-302.201 भा0द0स0 थाना-पूरामुफ्ती
 पंजीकृत किया था। जिसकी एफ0आंइ0आर0 मेरे लेख में है, जिस
 करता हूँ। जो पत्रावली में कागज संख्या-4क/1 व 4क/2 के रूप में
 जिस पर प्रदर्श क-34 डाला गया। जिसका खुलासा रपट नंबर-9 समय
 30 ए0एम0 पर किया गया। जिसकी कार्रवाई प्रति कागज संख्या-5क/3 संलग्न
 प्रति है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर प्रदर्श क-35 डाला गया।

24. अभियोजन प्रपत्र कागज संख्या-4क/3 प्रदर्श क-1 लिखित
 तहरीर की मूल प्रति है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि वादी मुकदमा
 शिवचरन चमार पुत्र रव0 कलेशर निवासी-ग्राम विहका, थाना-पूरामुफ्ती
 जनपद-कौशाम्बी ने दिनांक 18.03.2016 को थानाध्यक्ष पूरामुफ्ती को लेखक
 कृष्ण कुमार निवासी-ग्राम पूरामुफ्ती उर्फ विहका से लिखवाकर घटना की लिखित
 सूचना देकर रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी है।
 कागज संख्या-8क/21 व 22 पंचनामा कु0 तराना मूल प्रति प्रदर्श क-2 है, जिसके
 परिशीलन से पाया जाता है कि मृतका कु0 तराना का पंचायतनामा दिनांक 18.03.
 2016 को सम्पन्न हुआ है। कागज संख्या-7क फर्द कब्जा लेने पुलिस एक
 अर्द्ध मिट्टी के तेल की पिपिया व एक प्लास्टिक को बोतल व एक डिब्बे में जली
 हुई राख की मूल प्रति प्रदर्श क-3 है, जिसमें दिनांक 18.03.2016 को घटनास्थल
 से एक प्लास्टिक की बोतल व एक डिब्बे में जली हुई राख बरामद होने का
 उल्लेख है। कागज संख्या-8क/40 व 41, पंचायतनामा श्रीमती गौरी की मूल
 प्रति प्रदर्श क-4 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि मृतका गौरी का
 पंचायतनामा एस0आर0एन0 अस्पताल गावरी इलाहाबाद में दिनांक 18.03.2016 को
 समय 14.00 बजे सम्पन्न हुआ है। कागज संख्या-8क/11 ता 19 शव विच्छेदन
 आख्या की मूल प्रति प्रदर्श क-5 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि जिला
 अस्पताल कौशाम्बी में मृतका कु0 तन्नु का अन्त्यपरीक्षण दिनांक 18.03.2016 को
 समय 2.00 पी0एम0 से 2.30 पी0एम0 के मध्य सम्पन्न हुआ है। कागज
 संख्या-8क/30 ता 38 शव विच्छेदन आख्या की मूल प्रति प्रदर्श क-6 है, जिसके
 परिशीलन से पाया जाता है कि जिला अस्पताल कौशाम्बी में मृतका कु0 तृषा का
 अन्त्यपरीक्षण दिनांक 18.03.2016 को समय 3.40 पी0एम0 से 4.10 पी0एम0 के
 मध्य सम्पन्न हुआ है। कागज संख्या-8क/50 ता 57 शव विच्छेदन आख्या की
 मूल प्रति प्रदर्श क-7 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि जिला अस्पताल
 कौशाम्बी में मृतका कु0 तराना का अन्त्यपरीक्षण दिनांक 18.03.2016 को समय 2.
 50 पी0एम0 से 3.20 पी0एम0 के मध्य सम्पन्न हुआ है। कागज संख्या-8क/66 ता
 70 शव विच्छेदन आख्या की मूल प्रति प्रदर्श क-8 है, जिसके परिशीलन से पाया
 जाता है कि जिला अस्पताल कौशाम्बी में मृतका गौरी का अन्त्यपरीक्षण दिनांक 18.
 03.2016 को समय 5.15 पी0एम0 से 5.45 पी0एम0 के मध्य पर सम्पन्न हुआ है।

कागज संख्या-8क/44 नमूना
 जाता है कि हरिओम शर्मा ए0सी0
 मृतका श्रीमती गौरी के शव को स
 क-10 है, जो मृतका गौरी के शरीर
 जला होना दर्शित है। कागज सं
 जनपद-इलाहाबाद की मूल प्रति प्रदर्श
 है कि ए0सी0

कागज संख्या-8क /44 नमूना गोहर प्रदर्श क-9 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि हरिओम शर्मा ए0सी0एम0-प्रथम इलाहाबाद ने दिनांक 18.03.2016 को मृतका श्रीमती गौरी के शव को सील गोहर किया। कागज सं-8क /45 प्रदर्श क-10 है, जो मृतका गौरी के शरीर का फोटोनाश है, जिसमें मृतका का पूरा शरीर जला होना दर्शित है। कागज संख्या-8क /46, रिपोर्ट थाना-कोतवाली जनपद-इलाहाबाद की मूल प्रति प्रदर्श क-11 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि ए0सी0एम-प्रथम हरिओम शर्मा द्वारा दिनांक 18.03.2016 को प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन जनपद-इलाहाबाद को पत्र लिखकर मृतका गौरी के शव को सील मुहर पंचायतनामा व अन्य कागजात का0 संजय सिंह के साथ पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजने का उल्लेख करते हुए पी0एम0 परिणाम से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। कागज संख्या-8क /47, रिपोर्ट थाना-कोतवाली जनपद-इलाहाबाद की मूल प्रति प्रदर्श क-11 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि ए0सी0एम-प्रथम हरिओम शर्मा द्वारा दिनांक 18.03.2016 को सी0एम0ओ0 जनपद-इलाहाबाद को पत्र लिखकर मृतका गौरी के शव को सील मुहर पंचायतनामा व अन्य कागजात का0 संजय सिंह के साथ पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजने का उल्लेख करते हुए पी0एम0 परिणाम से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। कागज संख्या-8क/48 प्रदर्श क-13 की मूल प्रति है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि हरिओम शर्मा ए0सी0एम0 प्रथम इलाहाबाद द्वारा 18.03.2016 को मृतका श्रीमती गौरी के शव को का0 संजय सिंह के साथ सफेद कपड़े में सील मुहर कर एस0आर0एन0 भेजने का उल्लेख किया गया है। कागज संख्या-8क नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क-14 की मूल प्रति है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि प्रकरण के विवेचक राकेश कुमार सरोज थानाध्यक्ष पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी द्वारा दिनांक 18.03.2016 को घटना से संबंधित घटनास्थल की नक्शा नजरी निर्मित की गयी है, जिसमें अक्षर ए से दर्शित स्थल पर मृतका गौरी का जली पड़ी होना तथा अक्षर एक्स से दर्शित स्थल को घटनास्थल के रूप में दर्शाया गया है। कागज संख्या-3क, आरोप पत्र की मूल प्रति प्रदर्श क-15 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि दिनांक 20.04.2016 को अभियुक्त कंचन के विरुद्ध गु0आ0रा0-107 /2016 धारा-302,201 भा0द0सं0 के अधीन थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। कागज संख्या-8क /23, रिपोर्ट थाना-पूरामुफ्ती जनपद-कौशाम्बी की मूल प्रति प्रदर्श क-17 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि एस0आई0 राधेश्याम द्वारा दिनांक 18.03.2016 को सी0एम0ओ0 जनपद-कौशाम्बी को पत्र लिखकर मृतका कु0 तराना के शव को सील मुहर पंचायतनामा व अन्य कागजात का0 वृजमोहन तथा हे0का0 अनिल कुमार के साथ पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजने का उल्लेख करते हुए पी0एम0 परिणाम से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। कागज

श्रीमती गौरी
जिसमें
संख्या-9
संख्या-6
संख्या-5क/3
संख्या-3

क-26 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि प्रतिसार निरीक्षक कौशाम्बी द्वारा दिनांक 18.03.2016 को मृतका कु0 तन्नु के शव को सील मुहर पंचायतनामा व अन्य कागजात का0 वृजमोहन, हे0 का0 अनिल कुमार सिंह, का0 अशोक कुमार सिंह के साथ पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजने का उल्लेख करते हुए पी0एम0 परिणाम से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी। कागज संख्या-8क/65 फोटोनाश की मूल प्रति प्रदर्श क-27 है, जिसमें मृतका कु0 तन्नु का पूरी शरीर जला होना दर्शित है। कागज संख्या-8क/2 व 3 मृतका कु0 तिरसा के पंचायतनामा की मूल प्रति प्रदर्श क-28 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि मृतका कु0 तिरसा का पंचायतनामा दिनांक 18.03.2016 समय 10.15 बजे समाप्त हुआ। कागज संख्या-8क/4, रिपोर्ट थाना-पूरामुफ्ती जनपद-कौशाम्बी की मूल प्रति प्रदर्श क 29 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि एस0आई0 राधेश्याम द्वारा दिनांक 18.03.2016 को सी0एम0ओ0 जनपद-कौशाम्बी को पत्र लिखकर मृतका कु0 तिरसा के शव को सील मुहर पंचायतनामा व अन्य कागजात का0 वृजमोहन तथा हे0का0 अनिल कुमार के साथ पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजने का उल्लेख करते हुए पी0एम0 परिणाम से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। कागज संख्या-8क /5, रिपोर्ट थाना-पूरामुफ्ती जनपद-कौशाम्बी की मूल प्रति प्रदर्श क-30 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि एस0आई0 राधेश्याम द्वारा दिनांक 18.03.2016 को प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन जनपद-कौशाम्बी को पत्र लिखकर मृतका कु0 तिरसा के शव को सील मुहर पंचायतनामा व अन्य कागजात का0 वृजमोहन तथा हे0का0 अनिल कुमार के साथ पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजने का उल्लेख करते हुए पी0एम0 परिणाम से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। कागज संख्या-8क /6, नभूना मोहर की मूल प्रति प्रदर्श क-31 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि एस0आई0 राधेश्याम द्वारा दिनांक 18.03.2016 को मृतका कु0 तिरसा के कपडे को सील मुहर किया गया है। कागज संख्या-8क /7 पुलिस फार्म न-13 की मूल प्रति प्रदर्श क 32 है, जिसमें दिनांक 18.03.2016 को मृतका कु0 तिरसा की मृत्यु का समय रात 2.00 बजे होने का अंकन किया गया है। कागज संख्या-8क/8 फोटोनाश की मूल प्रति प्रदर्श क-33 है, जिसमें मृतका कु0 तराना का पूरी शरीर जला होना दर्शित है। कागज संख्या-4क /1 व 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूल प्रति प्रदर्श क-34 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि जादो की लिखित तहरीर थाना महेवाघाट जनपद-कौशाम्बी में दिनांक 18.03.2016 को 6.30 बजे प्राप्त हुई, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-107/16 अतंमंत धारा-302,201 भारतीय दण्ड संहिता विरुद्ध अभियुक्त कंचन पुत्र शिवचरन तमार, निवासी विहका, पूरामुफ्ती जनपद-कौशाम्बी पंजीकृत की गयी, जिसका तारिकस जी0डी0 क्रमांक - 9 पर समय 6.30 बजे उल्लेख किया

गया है। कागज संख्या--8क /3 थाना- पुरामफरी जनपद--कौशाभी की कार्वन प्रति प्रदर्श क-35 है, जिराके परिशीलन से पाया जाता है कि 18.03.2016 को रपट नं-9 समय 6.30 बजे दिक एफआईआर का तरिकरा किया गया है।

25. उपरोक्त विवेचित अभियोजन प्रपत्रों / प्रदर्शों / वस्तु प्रदर्शों को अभियोजन साक्षियों ने अपने बयान के मुख्य परीक्षा में साबित किया है। उक्त साक्षियों ने प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया है जो उनके द्वारा उपरोक्त साबित प्रदर्शों / वस्तु प्रदर्शों को संदेहास्पद होना स्वीकार किया जा सके। तदनुसार अभियोजन के उपरोक्त विवेचित अभियोजन प्रपत्र / प्रदर्श / वस्तु प्रदर्श अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य एवं पठनीय हैं।

26. उल्लेखनीय है कि मृतका कुमारी तराना का पंचायतनामा पी0डब्ल्यू-01 ने प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया है तथा पी0डब्ल्यू-11 ने भी मृतका कु0 तराना के पंचायतनामा को प्रदर्श क-16 के रूप में साबित किया है। इस प्रकार मृतका कु0 तराना के पंचायतनामा पर प्रदर्श क-2 व प्रदर्श क-16 अंकित है। चूंकि दोनों प्रदर्श क्रमशः प्रदर्श क-2 व प्रदर्श क-16 का संबंध मृतका कु0 तराना से है। अतः इस निर्णय में जहां कहीं भी मृतका कु0 तराना के पंचायतनामा का उल्लेख किया जाएगा। वहां वह प्रदर्श क-2 / 16 के रूप में पठनीय होगा।

27. GAMBER VAISHNAV AND ANOTHER VS STATE OF CHATTISGARH CRIMINAL APPEAL NO 428-30 (2019)2 Supreme Court Cases (Cri) 300 (2019) 4 Supreme court Cases 522 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य अंतर्गत धारा-302/34 व 394 /34 भारतीय दंड संहिता तथा धारा-27 साक्ष्य अधिनियम के प्रकाश में यह अवधारित किया है कि-

One of the principles is, that burden of proof squarely rests on prosecution and that general burden never shifts. There can be no conviction on basis of surmises and conjectures or suspicion howsoever grave it may strong suspicion. Strong coincidences and grave doubt cannot take place of legal proof.

Presumption of innocence- If two views are possible based on evidenc adduced in case, one pointing to guilt of accused and other to his innocence. Held, view which is favourable to accused, should be adopted.

Bhim Singh Rup Singh Vs State of Maharashtra, Criminal Appeal No 165 of 1970 AIR 1974 SC 286, निर्णीत दिनांक 28.11.1973 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा-302 भा0द0सं0 के प्रकरण से

संबंधित मामले में यह अवधारित
Accused not arrested
in their statement- accused
place of occurrence- prosecuted
doubt- accused liable to be acqui
28. Bable Vs State of Chhatti
में माननीय सर्वोच्च

संबंधित मामले में यह अवधारित किया है कि -

Accused not arrested from spot- eye witnesses not consistent in their statement- accused arrested from his house far away from place of occurrence- prosecution case not proved beyond reasonable doubt- accused liable to be acquitted.

28. Bable Vs State of Chattisgarh, AIR 2012 SC 2621 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि -

Once registration of the FIR is proved by the police and the same is accepted on record by the court and the prosecution establishes its case beyond reasonable doubt by other admissible cogent and relevant evidence, it will be impermissible for the court to ignore the evidentiary value of the FIR. It is settled law that FIR is not substantive piece of evidence. But certainly it is a relevant circumstance of the evidence produced by the investigating agency. Merely because the informant turns hostile it cannot be said that the FIR would lose all of its relevancy and cannot be looked into for any purpose.

संदीप बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० (2012) 6 एस०सी०सी० 107 तथा

हुकुम सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 2001, सी०आर०एल०जे० 511 (एस०सी०) के प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने सभी साक्षियों को परीक्षित कराये।

मोतीलाल बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०, 2009 (7) सुप्रीम 632 तथा

अनिल कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी०, (2003) 3 एस०सी०सी० 569 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि:-

Non- examination of Scribe of FIR is not fatal to prosecution and no adverse inference can be drawn against prosecution. If the scribe was not an eye witness to the incident and the complainant/ informant had proved the execution of the FIR by examining himself as PW.

29. प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर लेखक कृष्ण कुमार को अभियोजन पक्ष ने परीक्षित नहीं कराया है। तहरीर लेखक कृष्ण कुमार तहरीर में उल्लिखित घटना का चश्मदीद साक्षी होने अभियोजन द्वारा अभिकथित नहीं है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत के प्रकाश में तहरीर लेखक कृष्ण कुमार को साक्षी के तौर पर अभियोजन द्वारा

परीक्षित न कराये जाने से अभियोजन के केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। आग सभी के लगे गयी। आग बुझाने पर गौरी लड़किसने की तो बताया कि मैंने स्वयं जिरह में इस साक्षी ने कहे रहती थी, वह अक्सर झगडा करती थी। घटना वाली रात मैं घर पर नहीं मेरी बहु व लडके में झगडा

परीक्षित न कराये जाने से अभियोजन के केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। आग सभी के लगे गयी। आग बुझाने पर गौरी लड़किसने की तो बताया कि मैंने स्वयं जिरह में इस साक्षी ने कहे रहती थी, वह अक्सर झगडा करती थी। घटना वाली रात मैं घर पर नहीं मेरी बहु व लडके में झगडा

30. पी0डब्ल्यू-01 मुकदमा वादी ने अपने बयान से अभियोजन संख्या-4क/3 लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 को सावित किया है। रोहित कुमार, जो कि अभियुक्त कंचन का सगा साला है, न अपने बयान वादी द्वारा घटना की रिपोर्ट लिखाये जाने का कथन किया है। पी0डब्ल्यू-12 के रूप में परीक्षित साक्षी हे0का0 देवेन्द्र कुमार सिंह ने अपने मौखिक अभिसाक्ष्य से अभियोजन प्रपत्र कागज संख्या-4क /1 व 4क/2 चिक एफआईआर प्रदर्श क-34 तथा कागज सं-5क /3 नकल जी0डी0 की कारबन प्रति प्रदर्श क-35 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना सावित किया है।

अभियोजन द्वारा परीक्षित उपरोक्त साक्षियों के बयान से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 में दिनांक 18.03.2016 की रात्रि लगभग 2.00 बजे घटित घटना की प्राथमिकी के आधार पर थाना-पूरामुफती में दिनांक 18.03.2016 को समय 6.30 बजे पंजीकृत की गयी, जिसका खुलासा रपट नं-9 समय 6.30 ए0एम0 पर किया गया। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में प्रातोपादित अभिमत के प्रकाश में तहरीर प्रदर्श क-1 के साक्षिक महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता।

31. लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 में वादी मुकदमा इस तथ्य का उल्लेख है कि "मेरे पुत्र कंचन व बहु गौरी उम्र करीब 30 वर्ष में चरित्र की बातों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था, कई बार हम लोगों ने दोनों को काफी समझाया उन्हीं बातों को लेकर आज रात में समय करीब 02 बजे मेरे लडके कंचन ने अपनी पत्नी गौरी उम्र करीब 30 वर्ष व पुत्री कु0 तराना उम्र 11 वर्ष व कु0 तन्नू उम्र 9 वर्ष तथा तिरषा उम्र 7 वर्ष के उपर मिट्टी का तेल व गेट्रोल डालकर जला दिया है। तीनों लडकियों की मौके पर ही जलकर मृत्यु हो गयी। मेरा पुत्र कंचन तीनों शवों को छुपाकर बिना किसी को बताये मौके से भाग गया है। मेरी बहु जो गंभीर हालत में जली थी, मेरी पत्नी शांति का पता चलने पर सरकारी एम्बुलेंस से इलाज हेतु एस0आर0एन0 अस्पताल इलाहाबाद लेकर गयी। गौरी की भी मृत्यु अस्पताल में हो गयी है। मौके पर घर परिवार के काफी लोग मौजूद हैं, तीनों बच्चियों के शव घर पर ही पड़े हैं।"

32. पी0डब्ल्यू-1 वादी शिवसरन ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना 18 तारीख तीसरा गहीना सन् 2016 की समय 2.00 बजे रात की है। मेरे लडके कंचन और मेरी बहु गौरी में झगडा होता रहता था। झगडा चरित्र को लेकर होता था। घटना वाली रात में भी दोनों में झगडा हुआ था। उसी रात को मेरी बहु ने मिट्टी का तेल अपने उपर एवं अपने बच्चे के उपर भी डाल लिया तथा आग लगा ली। मिट्टी का तेल अपने पर तथा अपने तीन बच्चों तराना जो लडकी है, तीसरी लडकी उसका नाम नहीं मालूम उस पर तथा इसकी लडकी तन्नू पर भी

डाला था। आग सभी के लगी थी। तीनों लड़कियां मौके पर ही जलकर खत्म हो गयी। आग बुझाने पर गौरी जल चुकी थी। मैंने पूछा कि तुम्हारी हालत ऐसी किसने की तो बताया कि मैंने खयं आग लगायी है।

जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि मेरी बहु की दीमागी हालत गड़बड़ रहती थी, वह अक्सर झगड़ा करती थी। घटना वाले दिन मेरा लड़का घर पर नहीं था। घटना वाली रात मैं घर पर नहीं था। मैं नहीं बता सकता कि उस रात को मेरी बहु व लड़के में झगड़ा हुआ था कि नहीं।

पी0डब्ल्यू-01 मुकदमा वादी ने मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में लिखित तहरीर में उल्लिखित घटना की तिथि व समय पर घटनास्थल पर उपस्थित रहने के संबंध में परस्पर विरोधी बयान दिया है। पी0डब्ल्यू-01 मुकदमा वादी द्वारा जिरह में दिये गये बयान से स्पष्ट है कि वह घटना की तिथि एवं समय पर घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। अतः इस साक्षी द्वारा मृतक गौरी से उसके तथा उसके तीन बच्चों के जलने के बारे में पूछने के संबंध में किया गया कथन विश्वसनीय नहीं है। वादी द्वारा अपने बयान की मुख्य परीक्षा में लिखित तहरीर प्रदर्शक-1 में अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने के संबंध में किये गये कथन के प्रतिकूल बयान देना यह साबित करता है कि यह साक्षी अभियुक्त कंचन को, जो कि उसका अपना पुत्र है, को बचावे के लिए मृतका गौरी द्वारा अपने एवं अपने बच्चों के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लेने के संबंध झूठा बयान दिया है।

33. अभियोजन द्वारा परीक्षित पी0डब्ल्यू-2 संजय कुमार, पी0डब्ल्यू-3 श्यामलाल, पी0डब्ल्यू-5 सरजू प्रसाद, पी0डब्ल्यू-5 जगदीश कुमार, पी0डब्ल्यू-6 राम नरेश तथा पी0डब्ल्यू-8 रोहित कुमार के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त कंचन द्वारा मृतका गौरी तथा उसकी तीन पुत्रियों को जलाकर हत्या कारित होने के तथ्य के चरमदीय साक्षी नहीं है।

पी0डब्ल्यू-1 वादी शिवसरन ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना 18 तारीख तीसरा महीना सन 2016 की संमये 2.00 बजे रात की है। मेरे लड़के कंचन और मेरी बहु गौरी में झगड़ा होता रहता था। झगड़ा चरित्र को लेकर होता था। घटना वाली रात मैं भी दोनों में झगड़ा हुआ था।

पी0डब्ल्यू-4 सरजू प्रसाद, जो कि मृतका गौरी का पिता तथा अभियुक्त कंचन का ससुर है, ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा कहा है कि मेरा दामाद कंचन मेरी लड़की को परेशान करता था, जुआ खेलता था और कहता था कि पापा से पैसा लावो। एक बार तीस हजार व एक बार बीस हजार रूपया दिया था। दिनांक 18.03.2016 को मेरे दामाद कंचन ने मिट्टी का तेल व पेट्रोल मिलाकर मेरी लड़की गौरी व तीनों बच्चियों को जलाकर मार डाला। घटना की सूचना थानाध्यक्ष पूरामुफ्ती सूचना मेरे थाना लालापुर में दिया एव थाने वाले मुझे सूचना

दिये थे तब मैं थाना-पुरामुफ्ती आया था।

पी0डब्ल्यू-4 सरजू प्रसाद ने जिरह में कथन किया है कि मैंने लड़के तथा भतीजे ने कुछ लिखपाठ कर नहीं दिया था। घटना के बाद लड़की के ससुराल गया था। मेरी लड़की के सास, ससुर तथा दामाद थाने में बंद थे। मैंने दामाद से कुछ नहीं पूछा कि यह सब घटना कैसे हो गयी। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की तुलक गिजाजी व गुरसैल मिजाज की थी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त कंचन का अवैध महिला से संबंध होने की शंका के कारण मेरी लड़की ने अपनी लड़की के साथ आत्महत्या की है।

पी0डब्ल्यू-08 रोहित कुमार, जो कि अभियुक्त का सगा साला है, ने अपने बयान के मुख्य परीक्षा में कहा है कि मेरे बहनोई जुआ खेलते थे, इसी कारण मेरे बहनोई से झगडा होता था। पी0डब्ल्यू-01 मुकदमा वादी ने मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान में कथन किया है कि मेरे लड़के व बहु कंचन में झगडा होता रहता था, झगडा चरित्र को लेकर होता था। घटना वाली रात में भी झगडा हुआ था।

पी0डब्ल्यू-4 सरजू प्रसाद एवं पी0डब्ल्यू-08 रोहित कुमार ने जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जो उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान को खंडित करता हो।

धारा-313 द0प्र0सं0 के अधीन अंकित बयान में पी0डब्ल्यू-01 वादी मुकदमा, पी0डब्ल्यू-04 सरजू प्रसाद के साक्ष्य के संबंध में अभियुक्त ने यह कथन किया है कि कुछ नहीं कहना है। अतः स्पष्ट है कि पी0डब्ल्यू-01 मुकदमा वादी शिवसरन एवं पी0डब्ल्यू-04 सरजू प्रसाद के बयान/साक्ष्य पर अभियुक्त को कोई आपत्ति नहीं है।

पी0डब्ल्यू-01 मुकदमा वादी शिवसरन के बयान से साबित है कि घटना की तिथि व समय पर अभियुक्त कंचन का उसकी पत्नी मृतका गौरी से झगडा हुआ था तथा पी0डब्ल्यू-04 सरजू प्रसाद, पी0डब्ल्यू-8 रोहित कुमार के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त कंचन के आचरण के कारण उसकी पत्नी मृतका गौरी एवं अभियुक्त कंचन के मध्य घटना की तिथि व समय पर विवाद की परिस्थितियां विद्यमान थीं। अतः उक्त साक्षियों के बयान से अभियुक्त कंचन द्वारा अपनी पत्नी गौरी व तीन पुत्रियों की हत्या कारित करने का हेतुक भी प्रकट होता है।

34. पी0डब्ल्यू-07 डा0 यश अग्रवाल ने जिरह में कहा है कि मैंने तीनों मृतकों के शरीर पर बर्न इंजरी के अलावा अन्य किसी प्रकार की कोई एंटी मोर्टम इंजरी नहीं पायी। मृतकों के शरीर से मिट्टी के तेल की महक आ रही थी। लाशे सिर से पैर की तरफ जली हुई थी। मृतका जिस प्रकार से जली हुई थी वह Suicidal है।

Mahmood Vs State of U.P. AIR 2008 515 के प्रकरण में माननीय न्यायालय ने अवधारित किया है कि-

As per Sec 45, Evidence Act, settled that medical evidence is not conclusive and when oral with medical opinion, the question would depend upon the facts and State of Harvans.

As per Sec 45. Evidence Act a doctor is a medical expert. It is well settled that medical evidence is only an evidence of opinion and it is not conclusive and when oral evidence is found to be inconsistent with medical opinion, the question of relying upon one or the other would depend upon the facts and circumstances of each case.

State of Haryana Vs Bhagirath AIR 1999 SC 2005 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि—

If the opinion given by one Doctor is bereft of logic or objectivity or is not consistent with probability, the court has no liability to go by that opinion merely because it is said by a doctor. The opinion given by a medical witness need not be the last word on the subject and such an opinion shall be tested by the Court.

पी०डब्ल्यू-०७ डा० यश अग्रवाल मरणा के तश्मदीन साक्षी नहीं हैं। लिखित तहरीर प्रदर्श क-१ में मृतकों की इत्या गिट्टी का तेल एवं पेट्रोल डालकर कारित किये जाने का उल्लेख है। मृतकों की पंचायतनामा कमशः प्रदर्श क-२ / 16, प्रदर्श क-४, प्रदर्श क-२२, फोटोनाश कमशः प्रदर्श क-१०, प्रदर्श क-२१, प्रदर्श क-२७ एवं अन्तर्परीक्षण आख्या कमशः प्रदर्श क-५, प्रदर्श क-६, प्रदर्श क-७ तथा प्रदर्श क-८ में मृतकों के शरीर सौ प्रतिशत जलने का उल्लेख है जिसको पी०डब्ल्यू-०७ डा० यश अग्रवाल तथा पी०डब्ल्यू-०९ नफीसररहमान ने अपने बयान के मुख्य परीक्षा में सम्पुष्ट किया है। अतः पी०डब्ल्यू-०७ डा० यश अग्रवाल द्वारा जिरह में मृतकों की जली हुई लाश को Suicidal कह देने मात्र से यह नहीं स्वीकार किया जा सकता कि मृतकों ने आत्महत्या कारित किया है।

35. पंचायतनामा, प्रदर्श क-२/१६, प्रदर्श क-४, प्रदर्श क-२२, प्रदर्श क-२८, तथा पी०एम० रिपोर्ट प्रदर्श क-५, प्रदर्श क-६, प्रदर्श क-७ व प्रदर्श क-८ तथा फोटोनाश कमशः प्रदर्श क-१०, प्रदर्श क-२१, प्रदर्श क-२७, प्रदर्श क-३३ में मृतकों की शरीर सौ प्रतिशत जलना दर्शित किया गया है तथा उनकी मृत्यु पूर्व उनके शरीर पर आई वन इजरी तथा शोक एवं हेमरेज के कारण कारित होना प्रमाणित है, जिसकी संपूर्ण साक्षी पी०डब्ल्यू-७ डा० यश अग्रवाल तथा पी०डब्ल्यू-०९ नफीसररहमान के मौखिक अभिसाक्ष्य से होती है। उक्त अभिलेखीय प्रमाणों तथा विकित्तकों के बयान से मृतकों की मृत्यु जलने से कारित होने के संभव में लिखित तहरीर प्रदर्श क-१ में वर्णित दृश्य संपुष्ट है।

36. Sidhartha Vashisht Alias Manu Sharma Vs State of NCT of Delhi (69) ACC 833 (SC) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि—

Where the accused had absconded after committing the

murder, it has been held that the conduct of accused is verily relevant u/s 8 of the Evidence Act.

तद्विषय प्रदर्श क-1 में यह कथन अंकित है कि मृतका की तीन पुत्रियों की हत्या कारित करने के बाद अभियुक्त कंचन मौके से भागा गया था। पी०डब्ल्यू-11 विवेचक राकेश के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त को घटना के उपरांत मनौरी गेट के पास गिरफ्तार किया गया है। मृतका की उसकी तीन पुत्रियों की मृत्यु कारित होने की घटना के उपरांत अभियुक्त कंचन का घर से फरार होने का उसका आचरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-8 के अधीन सुसंगत है।

37. उल्लेखनीय है कि लिखित तद्विषय प्रदर्श क-1 अभियुक्त कंचन द्वारा मुकदमा के रूप में थानाध्यक्ष-पूरापुर्वतो, जनपद-कौशांबी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। मृतका कु० तराना की पंचायतनामा प्रदर्श क-2/16, मृतका श्रीमती गौरी का पंचायतनामा प्रदर्श क-4, मृतका कु० तन्नु का पंचायतनामा प्रदर्श क-22, मृतका कु० तृषा का पंचायतनामा प्रदर्श क-28 पर अभियुक्त का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। मृतका कु० तन्नु की पी०एम० रिपोर्ट प्रदर्श क-5, मृतका कु० तृषा की पी०एम० रिपोर्ट, प्रदर्श क-6, मृतका कु० तराना की पी०एम० रिपोर्ट, प्रदर्श क-7, मृतका श्रीमती गौरी की पी०एम० रिपोर्ट, प्रदर्श क-8 पर भी मृतक के पहचानकर्ता / संरक्षक / निकट संबंधी के रूप में अभियुक्त कंचन का नाम अंकित नहीं है।

धारा-313 द०प्र०स० के अधीन अंकित बयान में अभियुक्त ने यह कथन नहीं किया है कि घटना की तिथि व समय पर वह अपने घर पर मौजूद नहीं था अथवा उसे अपनी पत्नी व उसकी तीन पुत्रियों की मृत्यु कारित होने के तथ्य की जानकारी नहीं थी। निश्चित रूप से यदि अभियुक्त कंचन की पत्नी व उसकी तीन पुत्रियों की हत्या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कारित की गयी होती तो वह अपनी पत्नी व उसकी तीन पुत्रियों की हत्या के संबंध में स्वतः न सिर्फ प्राथमिकी अंकित कराता, अपितु पंचायतनामा एवं पी०एम० रिपोर्ट पर मृतक के निकट संबंधी के रूप में उसके हस्ताक्षर भी अंकित हात। पी०डब्ल्यू 11 विवेचक राकेश कुमार सरोज के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त कंचन की गिरफ्तारी घटना के बाद मनौरी गेट के पास हुई है। अतः अभियुक्त द्वारा घटना की स्वतः प्राथमिकी दर्ज न कराया जाना, पंचायतनामा एवं पी०एम० रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर अंकित न होने तथा घटना के उपरांत अभियुक्त कंचन का घर से फरार होने की परिस्थितियां युक्तियुक्त रूप से लिखित तद्विषय प्रदर्श क-1 में उल्लिखित घटना में अभियुक्त की साक्ष्यता के तथ्य को संदेह से परे इंगित करता है।

38. वचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क तथा समर्थन में प्रस्तुत विधि व्यवस्था के तथ्य प्रस्तुत वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न हैं। अतः वचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं समर्थन में प्रस्तुत विधि

व्यवस्था का कोई लाभ अभियुक्त को न होगा नजरी घटनास्थल अभियुक्त शरीर को वादी एवं अभियुक्त पर तथा मकान के अंदर अक्षर दर्शाया गया है। उक्त तथ्य से स्पष्ट उल्लिखित घटना वादी मुकदमा व अभियुक्त

व्यवस्था का कोई लाभ अभियुक्त को प्राप्त नहीं होता।

39. नक्शा नजरी घटनारथल, प्रदर्श क-14 में मृतका श्रीमती गौरी की जली अधमरी शरीर को वादी एवं अभियुक्त कंचन के मकान के सहन अक्षर "ए" स्थान पर तथा मकान के अंदर अक्षर "एकरा" से प्रदर्शित स्थल पर घटनारथल को दर्शाया गया है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 में उल्लिखित घटना वादी मुकदमा व अभियुक्त कंचन के घर में कारित हुई है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षियों के बयान से यह तथ्य साबित नहीं होता कि अभियुक्त कंचन ने अपनी पत्नी गौरी तथा तीन पुत्रियों कमशः कु० तराना, कु० तन्नु व कु० तृषा की हत्या कारित करने के उपरांत उनकी लाश को छिपाने का प्रयास किया गया है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा-201 भा०द०सं० के अधीन आरोप अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है।

40. अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहों के बयान तथा उपलब्ध अभियोजन के अभिलेखीय प्रमाणों के समग्र विवेचन से अभियुक्त कंचन द्वारा अपनी पत्नी गौरी तथा तीन पुत्रियों कमशः कु० तराना, कु० तन्नु व कु० तृषा को मिट्टी के तेल एवं पेट्रोल से जलाकर हत्या कारित किये जाने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त कंचन धारा-302 भा०द०सं० के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त कंचन को थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या-107/16, धारा-201 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषमुक्त तथा धारा-302 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेर हिरासत उपस्थित है। दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच वाद पेश हो।

दिनांक : 26.02.2021

(रमेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या-01, कौशाम्बी।

लंच वाद.

लंच वाद पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। दंड के प्रश्न पर विद्वान अपर जिला शाराकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

विद्वान अपर जिला शाराकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कहा गया कि अभियुक्त कंचन द्वारा अपनी पत्नी गौरी तथा तीन नाबालिग पुत्रियों को मिट्टी का तेल एवं पेट्रोल डालकर तथा जलाकर हत्या कारित की गई है।

murder, it has been held that the conduct of accused is verily relevant u/s 8 of the Evidence Act.

तहरीर प्रदर्श क-1 में यह कथन अंकित है कि मृतका की तीन पुत्रियों की हत्या कारित करने के बाद अभियुक्त कंचन मोक गया था। पी0डब्ल्यू-11 विवेचक राकेश के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त को घटना के उपरांत मनौरी गेट के पास गिरफ्तार किया गया है। मृतका की उसकी तीन पुत्रियों की मृत्यु कारित होने की घटना के उपरांत अभियुक्त कंचन का घर से फरार होने का उसका आचरण भारतीय राक्ष्य अधिनियम की धारा-8 के अधीन सुसंगत है।

37. उल्लेखनीय है कि लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 अभियुक्त कंचन द्वारा मुकदमा के रूप में थानाध्यक्ष-पूरामुफती, ज्ञानपद-कौशाम्बी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। मृतका कु0 तराना के पंचायतनामा प्रदर्श क-2/16, मृतका श्रीमती गौरी का पंचायतनामा प्रदर्श क-4, मृतका कु0 तन्नु का पंचायतनामा प्रदर्श क-22, मृतका कु0 तृषा का पंचायतनामा प्रदर्श क-28 पर अभियुक्त का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। मृतका कु0 तन्नु की पी0एम0 रिपोर्ट प्रदर्श क-5, मृतका कु0 तृषा की पी0एम0 रिपोर्ट, प्रदर्श क-6, मृतका कु0 तराना की पी0एम0 रिपोर्ट, प्रदर्श क-7, मृतका श्रीमती गौरी की पी0एम0 रिपोर्ट, प्रदर्श क-8 पर भी मृतक के पहचानकर्ता / संरक्षक / निकट संबंधी के रूप में अभियुक्त कंचन का नाम अंकित नहीं है।

धारा-313 द0प्र0सं0 के अधीन अंकित बयान में अभियुक्त ने यह कथन नहीं किया है कि घटना की तिथि व समय पर वह अपने घर पर मौजूद नहीं था अथवा उसे अपनी पत्नी व उसकी तीन पुत्रियों की मृत्यु कारित होने के तथ्य की जानकारी नहीं थी। निश्चित रूप से यदि अभियुक्त कंचन की पत्नी व उसकी तीन पुत्रियों की हत्या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कारित की गयी होती तो वह अपनी पत्नी व उसकी तीन पुत्रियों की हत्या के संबंध में स्वतः न सिर्फ प्राथमिकी अंकित कराता, अपितु पंचायतनामा एवं पी0एम0 रिपोर्ट पर मृतक के निकट संबंधी के रूप में उसके हस्ताक्षर भी अंकित हाता। पी0डब्ल्यू 11 विवेचक राकेश कुमार सरोज के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त कंचन की गिरफ्तारी घटना के बाद मनौरी गेट के पास हुई है। अतः अभियुक्त द्वारा घटना की स्वतः प्राथमिकी दर्ज न कराया जाना, पंचायतनामा एवं पी0एम0 रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर अंकित न होने तथा घटना के उपरांत अभियुक्त कंचन का घर से फरार होने की परिस्थितियां युक्तियुक्त रूप से लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 में उल्लिखित घटना में अभियुक्त की साक्ष्यता के तथ्य को संदेह से परे इंगित करता है।

38. वचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क तथा समर्थन में प्रस्तुत विधि व्यवस्था के तथ्य प्रस्तुत वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न हैं। अतः वचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं समर्थन में प्रस्तुत विधि

व्यवस्था का कोई लोग अभियुक्त व 39. नकशा नजरी घटनास्थल व अधमरी शरीर को वादी एवं अभियुक्त पर तथा मकान के अंदर अक्षर एक दर्शाया गया है। उक्त तथ्य से स्पष्ट उल्लिखित घटना वादी मकान

व्यवस्था का कोई लाभ अभियुक्त को प्राप्त नहीं होता।

39. नक्शा नजरी घटनास्थल, प्रदर्श क-14 में मृतका श्रीमती गौरी की जली अधमरी शरीर को वादी एवं अभियुक्त कंचन को मकान के सहन अक्षर "ए" स्थान पर तथा मकान के अंदर अक्षर "एकरा" से प्रदर्शित स्थल पर घटनास्थल को दर्शाया गया है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 में उल्लिखित घटना वादी मुकदमा व अभियुक्त कंचन के घर में कारित हुई है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित राक्षियों के बयान से यह तथ्य सावित नहीं होता कि अभियुक्त कंचन ने अपनी पत्नी गौरी तथा तीन पुत्रियों कमशः कु० तराना, कु० तन्नु व कु० तृषा की हत्या कारित करने के उपरान्त उनकी लाश को छिपाने का प्रयास किया गया है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा-201 भा०द०सं० के अधीन आरोप अभियोजन साक्ष्य से सावित नहीं है।

40. अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहों के बयान तथा उपलब्ध अभियोजन के अभिलेखीय प्रमाणों के समग्र विवेचन से अभियुक्त कंचन द्वारा अपनी पत्नी गौरी तथा तीन पुत्रियों कमशः कु० तराना, कु० तन्नु व कु० तृषा को मिट्टी के तेल एवं पेट्रोल से जलाकर हत्या कारित किये जाने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे सावित है। अतः अभियुक्त कंचन धारा-302 भा०द०सं० के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त कंचन को थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या-107/16, धारा-201 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषमुक्त तथा धारा-302 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेर हिरासत उपस्थित है। दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच वाद पेश हो।

दिनांक : 26.02.2021

(रमेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या-01, कौशाम्बी।

लंच वाद.

लंच वाद पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। दंड के प्रश्न पर विद्वान अपर जिला शाराकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

विद्वान अपर जिला शाराकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कहा गया कि अभियुक्त कंचन द्वारा अपनी पत्नी गौरी तथा तीन नावालिग पुत्रियों को मिट्टी का तेल एवं पेट्रोल डालकर तथा जलाकर हत्या कारित की गई है।

अभियुक्त द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त दंड के साथ ही से अर्थदंड से भी दंडित किया जाये।

वचाव पक्ष के विद्वान अभियुक्ता की ओर से यह कहा गया अभियुक्त नवयुवक है। यह उसका प्रथम अपराध है। अभियुक्त के बड़े माता-पिता जीवित हैं, जिनका भरण-पोषण करने वाला उसके अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य नहीं है। अतः क्षमा किया जाये।

निर्णय में विवेचित तथ्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त कंचन द्वारा अपनी पत्नी गौरी तथा तीन नावालिग पुत्रियों को मिट्टी का तेल एवं पेट्रोल डालकर तथा जलाकर हत्या कारित की गई है। अभियुक्त द्वारा कारित जघन्य अपराध हेतु कारावास के साथ अर्थदंड भी अधिरोपित किया जाना उचित है। तदनुसार अभियुक्त को प्रकरण में दोषारोह आरंभ में निम्नलिखित आदेश में उल्लिखित दंडादेश दिया जाना समीचीन है।

:- आदेश:-

1. अभियुक्त कंचन को, थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-कौशाम्बी से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या-107/16, धारा-201 भारतीय दंड संहिता के आरंभ में दोषमुक्त तथा धारा-302 भारतीय दंड संहिता के आरंभ में दोषारोह किया जाता है।
2. सिद्धदोष धारा-302 भारतीय दंड संहिता के आरंभ में अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा तथा 2,00,000/- (दो लाख रूपया मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है।
3. अर्थदंड की धनराशि का आधा हिस्सा अभियुक्त के माता-पिता तथा आधा हिस्सा राज्य सरकार को देय होगी।
4. अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम कारित किये जाने की दशा में अभियुक्त को पाच वर्ष के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा को भुगतानी होगी।
5. अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में जिला कारागार में बिताई गयी अवधि सजा की अवधि में समायाजित होगी।
6. इस प्रकरण का अभियुक्त जिला कारागार कौशाम्बी में निरुद्ध है। अभियुक्त का सजायावी वारंट बनाकर जिला कारागार कौशाम्बी को अविलम्ब प्रेषित किया जाए।
7. धारा 365 द0प्र0सं0 के अनुपालन में इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट कौशाम्बी को प्रेषित की जाए।
8. अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।
9. बाद गियाद अपील माल मुकदमा नियमानुसार निरस्तारित किया जाये।

दिनांक : 26.02.2021

यह निर्णय आज दिनांक
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोष

दिनांक : 26.02.2021

दिनांक : 26.02.2021

(रमेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्षा संख्या-01, कौशांबी।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को भेरे द्वारा खुले न्यायालय में
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 26.02.2021

(रमेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्षा संख्या--01, कौशांबी।



अभिप्रेत का
ने नक कला गया कि
भारत के नए भाता-पिता
काई सतरस

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

पीठासीन : श्री रमेश कुमार यादव (एच.जे.एस.)

सत्र परीक्षण संख्या : 10/2017

उत्तर प्रदेश राज्य

अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. योगेश सिंह उर्फ शिशु उम्र 21 वर्ष पुत्र स्व० अमीर सिंह निवासी अंधावा, थाना महेवाघाट, जनपद-कौशाम्बी।

.....अभियुक्त।

मु०अ०सं०-244 / 2016

धारा-302 भा०दं०सं०

थाना- महेवाघाट

जनपद-कौशाम्बी।

निर्णय

1. पुलिस थाना-महेवाघाट, जनपद कौशाम्बी द्वारा अभियुक्त योगेश सिंह उर्फ शिशु के विरुद्ध मु०अ०सं०- 244 / 2016, धारा-302 भा०दं०सं० में परीक्षण हेतु आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद कौशाम्बी को प्रेषित किया गया है, जो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अन्तरण आदेश के उपरान्त विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. सक्षेप में लिखित तहरीर में वर्णित अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सुधर सिंह पुत्र स्व० स्वयंवर सिंह ग्राम अंधावा थाना-महेवाघाट जिला कौशाम्बी का निवासी है। दिनांक 28.09.2016 को समय करीब 2 बजकर 30 मिनट रात उसका छोटा भाई अमीर सिंह उम्र करीब 63 वर्ष घर के बाहर नीम के नीचे सो रहे थे कि उसी पर मेरे भाई का लड़का योगेश सिंह उर्फ शिशु व वृजेश पुत्र सवारे निवासी अंधावा मेरे भाई से जमीन बेचने की बात को लेकर झगड़ा करने लगा कि धारदार हथियार से योगेश ने अपने पिता को गर्दन व हाथ पर चार कर दिया जिससे अमीर सिंह कि मौके पर मौत हो गयी। योगेश व उसके साथी वृजेश मेरे भाई की हत्या करने के बाद भाग निकले। मेरे भाई की लाश मौके पर पड़ी है। सूचना थानाध्यक्ष महेवाघाट, जनपद कौशाम्बी को देकर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3. वादी की उक्त लिखित तहरीर प्रार्थना पत्र पर थाना-महेवाघाट में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०-244 / 2016, धारा-302 भा०दं०सं० अभियुक्तगण योगेश सिंह उर्फ शिशु व वृजेश सिंह के विरुद्ध दर्ज की गयी। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा उपरोक्त अभियुक्त योगेश सिंह उर्फ शिशु के विरुद्ध धारा-302 भा०दं०सं० में आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्त योगेश सिंह उर्फ शिशु के विरुद्ध

धारा-302 भा0द0सं0 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से किया एवं परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मूल तहसील वादी, चिक एफ.आई.आर, फर्द वारामदगी आलाकत्ल एक अदद फावड़ा मय बेट, फर्द कब्जा पुलिस में लेने, खूनालूदा गद्दा मय रूई व सादा गद्दा मय रूई, कायमी जी.डी., पंचायतनामा, पुलिस फार्म नं0-13, फोटोनाश, रिपोर्ट थाना महेवाघाट, नमूना मोहर, पी.एम. रिपोर्ट, फर्द वारामदगी, नक्शानजरी घटनास्थल, नक्शानजरी वारामदगी व आरोप पत्र तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या कागज संख्या-39क दाखिल किया गया है।

7. अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने हेतु पी0डब्लू0-1 सुघर सिंह, पी0डब्लू-2 रूबी सिंह, पी0डब्लू-3 रमेश सिंह, पी0डब्लू-4 मनमोहन सिंह, पी0डब्लू-5 डॉ0 हिंद प्रकाश मणि, पी0डब्लू-6 लालचंद सिंह, पी0डब्लू-7 उपनिरीक्षक अरविंद कुमार, पी0डब्लू-8 निरीक्षक उमाशंकर यादव, पी0डब्लू-9 उपनिरीक्षक श्रीराम कटियार, पी0डब्लू-10-निरीक्षक राजेश कुमार चौरसिया को परीक्षित कराया गया है।

8. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत, पी0डब्लू0-1 सुघर सिंह द्वारा दिये गये बयान के सम्बन्ध में गलत तहरीर देने का कथन किया गया है, पी0डब्लू0-02 रूबी सिंह व पी0डब्लू0-3 रमेश सिंह द्वारा दिये गये बयान के संबंध में कुछ नहीं कहने के संबंध में कथन किया है। पी0डब्लू-04 मनमोहन सिंह द्वारा दिये गये बयान के सम्बन्ध में कहा है कि सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया गया है। पी0डब्लू-5 डॉ0 हिंद प्रकाश मणि, पी0डब्लू-6 लालचंद सिंह, पी0डब्लू-7 अरविंद कुमार, पी0डब्लू-8 निरीक्षक उमाशंकर यादव, पी0डब्लू-9 उपनिरीक्षक श्रीराम कटियार द्वारा साबित अभिलेखों के सम्बन्ध में कहा है कि गलत प्रमाणित किया गया है। पी0डब्लू-10-निरीक्षक राजेश कुमार चौरसिया द्वारा दिये गये बयान के सम्बन्ध में कहा है कि गलत विवेचना कर गलत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतिरिक्त कथन में अभियुक्त ने कथन किया है कि पिता जी की रंजिश के कारण उनकी हत्या कर दी गयी और मेरे परिवार को बर्बाद करने के उद्देश्य से मुझे रंजिशन मुल्जिम बना दिया गया।

9. सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अभियुक्त को समय प्रदान किया गया। अभियुक्त द्वारा सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट की गई, किंतु दिनांक 28.11.2019 को अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया कि उसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मैंने विज्ञान अपर हि
विज्ञान अधिवक्ता के तर्क को
अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक परीक्षण
11. विज्ञान जिला साक्षीय
हुये कथन किया गया कि अभियुक्त क
हथियार से मारकर हत्या कास्ट की य
वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित

मैंने विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

11. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त के द्वारा वादी मुकदमा के भाई को धारदार हथियार से मारकर हत्या कारित की गयी है। घटना के संबंध में मुकदमा वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित तहसीर साबित है। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों के बयान तथा अभिलेखीय प्रमाणों से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को दाम्पत्य भोषित किये जाने योग्य है।

प्रत्युत्तर में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त ने ऐसी कोई घटना कारित नहीं की जैसा कि अभियोजन द्वारा अभिकथित है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। अभियोजन के परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य तथा अभिलेखीय प्रमाणों से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोप में निर्दोष भोषित करते हुये दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

12. अभियुक्त पर आरोप है कि दिनांक 28.09.2017 को समय करीब 2.30 बजे रात वहद ग्राम अंधावा, थाना महेवाघाट, जिला-कौशाम्बी ने उसने वादी मुकदमा के भाई अमीर सिंह उम्र 63 वर्ष जो कि उसके पिता थे, से जमीन बेचने की बात को लेकर झगडा हुआ और उसकी धारदार हथियार से गर्दन व हाथ पर चार चार हत्या कारित कर दिया।

13. अभियोजन कथानक का स्थापित करने हेतु अभियोजन द्वारा परीक्षित पी0डब्लू0-1 सूधर सिंह पु। स्व0 स्वयम्बर सिंह निवासी-अंधावा, थाना-महेवाघाट, जनपद-कौशाम्बी वादी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा में शपथ पूर्वक बयान किया कि मृतक अमीर सिंह मेरा छोटा भाई था। घटना को लगभग 15-16 महीना हो रहा है। रात को मेरा भाई अमीर सिंह उम्र लगभग 63 वर्ष घर के बाहर सो रहा था। रात के लगभग ढाई बजे मेरे सामने योगेश सिंह व बृजेश सिंह द्वारा अमीर सिंह से झगडा करते हुए मैंने नहीं देखा। इन लोगों के बीच में जमीन का विवाद नहीं था। योगेश सिंह अपने पिता अमीर सिंह को किसी धारदारहथियार से नहीं मारा। हल्ला-गुल्ला सुनकर रात में जग में गया था, तब अमीर सिंह मरे पड़े थे। काफी भीड लगी थी, मौके पर कौन कौन थे, मुझे याद नहीं। मुझे बहुत दुख था, सुबह फिर पुलिस आयी और गांव वालों व पुलिसवालों ने जो बोला वहीं मैंने लिख दिया। पत्रावली में संलग्न लिखित तहसीर कागज संख्या-4क/3 को देखकर साक्षी ने अपने हस्तालेख व हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। पढकर सुनाया गया तो कहा यह मैंने गांव वालों व पुलिसवालों के

कहने पर लिखा था। पुलिस ने मेरे रामने योगेश से कोई फावडा
करवाया था। अभियोजन की प्रार्थनापत्र पर उपरोक्त साक्षी को पक्षदोही
किया गया।

अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि घटना के
सम्बंध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। धारा-161 द0प्र0सं0 के
अधीन अंकित बयान के सम्बंध में साक्षी ने इंकार किया है। थाने में मैंने जो तहरीर
दिया था वह गांववालों व दरोगा जी के कहने पर कहने पर दिया था। मैंने इस
बात की शिकायत कही नहीं किया था कि दरोगा जी के बोलने से मैंने तहरीर
लिखाया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से मिल जाने के कारण मैं
न्यायालय में सही गवाही नहीं दे रहा हूँ।

14. पी0डब्लू0-2 रूबी सिंह पत्नी योगेश सिंह निवासिनी निवासी-अंधावा,
थाना-महेवाघाट, जनपद-कौशाम्बी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया
है कि मृतक अमीर सिंह मेरे ससुर हैं, मेरे ससुर की हत्या किसने किया, मुझे नहीं
पता! बृजेश कुमार पुत्र संवारे निवासी अंधावा ने भी मेरे ससुर की हत्या नहीं
किया। मेरे ससुर की हत्या दिनांक 28.09.2016 को रात को हुयी थी। उस दिन मैं
अपने मायके वाले घर में थी। मेरा मायका भी अंधावा में है। योगेश सिंह मेरे पति
हैं। कुछ सादे कागज पर मुझसे दरोगा जी ने मुझसे हस्ताक्षर बनवा लिया था।
पत्राली में संलग्न कागज संख्या-10ख/2 पर बने अपने हस्ताक्षर की साक्षी ने
पुष्टि किया और फोटो की पहचान किया। इस पर प्रदर्श क-2 डाला गया।
अभियोजन की प्रार्थनापत्र पर उपरोक्त साक्षी को पक्षदोही घोषित किया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि दरोगा
जी ने मेरा बयान नहीं लिया था, मेरे ससुर व पति में बहुत अच्छे संबंध थे। मेरे
पति मेरे ससुर के अकेली संतान है।

15. पी0डब्लू0-3 रमेश सिंह पुत्र ननकू सिंह निवासी अंधावा,
थाना-महेवाघाट, जनपद-कौशाम्बी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया
है कि मेरे गांव के अमीर सिंह पुत्र स्वयम्बर सिंह की हत्या हो गयी थी। उनके घर
के सामने नीम के पेड़ के पास लाश पड़ी थी। दरोगा जी रिपाहियों के साथ आये
थे। लाश के पंचायत नामा का गवाह बनाये थे। पंचायतनामा वाले कागज पर
अपना हस्ताक्षर बनाया था। जब हस्ताक्षर दरोगा जी ने बनावाया था, तब कागज
सादा था। पंचायतनामा कागज संख्या-कअ/2 व 8अ/3 पर अने अपने हस्ताक्षर
की गवाह ने पुष्टि किया। पंचायतनामा पर जब मैंने दस्तखत बनाया था, तब
दरोगा जी ने कुछ नहीं लिखा था। लाश भी मेरे रामने न तो सर्वमोहर किया गया
था, न ही कहीं भेजा गया था। मैं हस्ताक्षर बनाने के बाद अपने घर चला गया
था। अभियोजन की प्रार्थनापत्र पर उपरोक्त साक्षी को पक्षदोही घोषित किया गया।

अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि दरोगा

16. पी0डब्लू
थाना-महेवाघाट, जनपद
के कि मृतक अमीर सिंह

जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। धारा-161 द0प्र0सं0 के अधीन अंकित बयान के सम्बंध में साक्षी ने इंकार किया है। मेरे सामने दरोगा जी ने मृतक के शव को न तो देखा था न ही सर्वमोहर किया था। पंचायतनामा वाले कागज पर दरोगा जी ने कोई लिखा-पढ़ी नहीं किया था मेरा हस्ताक्षर बनवा लिया था।

16. पी0डब्लू0-4 मनमोहन सिंह पुत्र श्री गया प्रसाद निवासी अंधावा, थाना-महेवाघाट, जनपद-कौशांबी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतक अमीर सिंह का पंचायतनामा दिनांक 28.09.2016 को पुलिस वालों ने मेरे सामने भरा था। पंचायतनामा मृतक के घर पर ही भरा गया था। लाश को एक सफेद कपड़े में सील मुहर किया गया था। उस समय सुघर सिंह, अकबर सिंह, रमेश सिंह, मन्ना सिंह भी मौजूद थे, इन लोगों ने भी पंचायतनामा पर हस्ताक्षर बनाया था। हम पंचों की राय में मृतक अमीर सिंह की मृत्यु उसके शरीर पर आयी, चोटों के कारण हुई थी, फिर भी सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करा लिया जाये। पंचायतनामा की लिखा-पढ़ी के बाद मैंने हस्ताक्षर बनाया था। पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा कागज संख्या-8क/2 व 8क/3 को देखकर उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। जिस पर प्रदर्शक-3 डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मृतक अमीर सिंह के घर से कुछ दूरी पर मेरा घर है। अमीर सिंह व उसके लड़के योगेश सिंह से मेरा सम्बंध अच्छा था और घर आना जाना था। मृतक अमीर सिंह व उनके लड़के योगेश उर्फ शिशु से बहुत अच्छा संबंध था। योगेश अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। योगेश उर्फ शिशु बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है।

17. पी0डब्लू0-5 डा0 हिंद प्रकाश मणि उप मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद-कौशांबी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 28.09.2016 को मैं जिला चिकित्सालय में मेडिकल सुपरीडेंट के पद पर कार्यरत था। उस दिन मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम में लगी थी और मैंने मृतक अमीर सिंह पुत्र स्वयम्बर सिंह उम्र लगभग 63 वर्ष निवासी अंधावा, थाना-महेवाघाट, जनपद-कौशांबी का शव परीक्षण किया था, जिसे सी0पी0-231 शैलेन्द्र कुमार तथा सी0पी0-353 प्रवीण कुमार थाना महेवाघाट लेकर आये थे। शव की पहचान रमेश सिंह पुत्र स्व0 ननकू सिंह (भतीजे) तथा राम सिंह पुत्र स्व0 शिव सिंह (भतीजा) ने किया था मृतक का हास्पिटल रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।

सामान्य परीक्षण-

लंबाई--173 सेमी0, वजन 80 कि0ग्रा0, शरीर बेल बील्ट मोबीज (मोटा अच्छा बना हुआ) था। मृतक लंगोट, लुंगी और तौलिया पहने था। राईगर मरीज दोनों हाथों में मौजूद था। आंखें बंद थी, मुंह खुला था।

चोट:-

चोट नं०-1- इनसाइज्ड वून्ड 6 x 2 x 1 से०मी०

में दाहिने तरफ दाये कान से 5 से०मी० नीचे था और चिन से 6 से०मी० थी। कैरोटिड धमनी कटी हुयी थी। बहुत ज्यादा खून का थक्का जमा हुआ था। घाव की मार्जिन क्लीन कट एवं इनकलैण्ड थी।

चोट नं०-2- दाहिनी तरफ छाती पर इनसाइज्ड वून्ड 7 x 2 x

1 से०मी० जो कि दाहिनी क्लैविकिल से 2 से०मी० नीचे थी।

चोट नं०-3- दाहिनी तरफ छाती पर इनसाइज्ड वून्ड

5 x 2 x 1 से०मी० जो कि चोट नंबर दो से 2 से०मी० नीचे थी।

चोट नं०-4- दाहिनी हथेली पर पीछे की तरफ इनसाइज्ड वून्ड 6

x 2 x 1 से०मी० इण्डेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में थी। घाव की मार्जिन क्लीन कट एवं इनकलैण्ड थी।

आंतरिक परीक्षण-

खोपड़ी पर कोई चोट नहीं थी। ब्रेन पीला पडा था, उपरी जबड़े में 10 दांत थे, नीचे जबड़े में कोई दांत नहीं थे। गर्दन की मांसपेशियां फटी थी (इनसाइज्ड) थायरॉइड और दूसरी कार्टिलेज फैक्टर थी। फेफड़ा पीला था। हृदय में दोनों चैमर खाली थे। अमाशय में 250 एम०एल० लिक्विड फूड था।

मृत्यु का समय-

मृत्यु का संभावित समय लगभग आधा दिन।

मृत्यु का कारण-

शॉक एंड हेमरेज जो कि मृत्यु पूर्व चोटों के कारण हुई है, जो कि किसी धारदार हथियार से कारित की गयी। पत्रावली में रॉलिंग पी०एम० रिपोर्ट को देखकर साक्षी ने अपने लेख व हरताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया। मृतक के शव को सील मुहर करके व कपड़े, पेपर संबंधित सिपाही को सुपुर्द किये गये थे।

अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि शव को लेकर दो सिपाही आये थे नाम याद नहीं है। 2.30 पी०एम० पर शव विच्छेदन की कार्यवाही पूरी हुई थी। मृत्यु का संभावित समय 2 व 2.30 ए०एम० रहा होगा। मृतक के शरीर पर कुल चार चोटें थी। लिक्विड फूड में एल्कोलिक गंध नहीं थी। चोटों का प्रकार देख कर लग रहा है कि लोट ही अवस्था में चोटें पहुंचायी गयी थी। सभी चोटें सार्प आब्जोक्ट से पहुंचायी गयी थी।

18. पी०डब्ल्यू०-6 लालचन्द पुत्र घनश्याम निवासी बडी अढौली, थाना-महेवाघाट, जनपद-कौशांबी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना ढाई साल पहले की है। उस दिन में पुलिस चौकी हिनौता में खाना

बना रहा था मुझे
कुमार उर्फ शिशु के
पुलिस वाले मौजूद थे
घर में घटना के बाद
पुलिसवालों ने मुझे कहा
घुसकर फावड़ा निकाल कर
लिखा पढी कलने

बना रहा था, मुझे पुलिस वाले बलाकर ग्राम अंधावा ले गये थे। जहाँ पर योगेश कुमार उर्फ शिशु के घर के सामने कुएँ के पास अभियुक्त योगेश उर्फ शिशु व पुलिस वाले मौजूद थे, तो योगेश न बताया कि आलाकत्ल फावड़ा मय बेट इसी कुएँ में घटना के बाद मैंने फेंक दिया था, जिससे मैंने पिता को मारा था। पुलिसवालों ने मुझे कहा कुएँ के अंदर घुस जाओ, फावड़ा निकालो, तब मैंने कुएँ में घुसकर फावड़ा निकाल कर दिया था। जिसको पुलिस वाले कब्जा में लिया और लिखा पट्टी करके मेरे हस्ताक्षर बनवाये थे। फावड़े के माल को रूई लगाकर कपड़े में रखकर शील मोहर किया था। पत्रावली में संलग्न फर्द बरामदगी आलाकत्ल एक अदद फावड़ा कागज संख्या--7क/1 को देखकर उस पर अने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

19. पी0डब्लू0-7 उपनिरीक्षक अरविंद कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 28.09.16 को मैं थाना महेवाघाट में हेडमोहरीर के पद पर तैनात था, कार्यलेख पर अशुद्धी पर मौजूद था कि वादी सुधर सिंह पुत्र स्वयम्बर सिंह निवासी ग्राम अंधावा, थाना-महेवाघाट, जनपद-कौशाम्बी ने थाना हाजा उपस्थित आये, एक किता पाठनापत्र लिखित खुद दस्तखती दाखिल किया, बावत मेरा छोटा भाई अभीर सिंह उम्र 63 वर्ष से मेरा जमीन था, विवाद मेरा भाई का विवाद मेरा भाई का लडका योगेश सिंह उर्फ शिशु सिंह व बृजेश सिंह सिंह मेरे भाई को फावड़े से मारकर हत्या कर दिया था, संबंध में दाखिला तहरीर के आधार पर मैंने कम्प्यूटर आपरेटर से बोल-बोलकर मु0अ0सं0-244/16 धारा-302 भा.द.सं बनाम योगेश सिंह उर्फ शिशु सिंह आदि के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसका खुलासा रपट नं-10 समय 7.30 बजे दिनांक 29.09.16 को एक समान प्रक्रिया में अपने लेख हस्ताक्षर में जी0डी0 में अंकित किया था। पत्रावली में संलग्न कम्प्यूटर साइट एफ0आई0आर कागज संख्या-4क/1 ता 4क/3 को देखकर साक्षी ने कहा कि ये वही एफ0आई0आर है, जिसे मैंने कम्प्यूटर आपरेटर का0 नवीन सिंह को बोल-बोलकर दर्ज कराया था, जिस पर थाना प्रभारी उमाशंकर के हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, थाना प्रभारी उमाशंकर यादव मेरे साथ कार्यरत थे, उनके लेख हस्ताक्षर से शली-भांति परिचित हूँ, जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। पत्रावली में संलग्न जी0डी0 कागजी की कार्बन प्रति कागज संख्या--8क/10 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह कार्बन प्रति मेरे लेख हस्ताक्षर में है, जिसकी पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-7 डाला गया। विवेचक ने बयान लिया था।

20. पी0डब्लू0-8 निरीक्षक उमाशंकर यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 28.09.2016 को थावा महेवाघाट, जनपद-कौशाम्बी में एरा0ओ0 था, मेरी मौजूदगी में मु0अ0सं0-244/16 धारा-302

भा.दं.सं लिखा गया था। दिनांक 28.09.2016 को नकल चिक, वकील
वादी निरीक्षण घटनास्थल तथा पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी।
2016 को पंचायतनामा व पी0एम0आर0 की नकल की गयी, 6क/1 ता
नक्शा नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। 6क/2 पर प्रदर्श क-8 तथा 6क/1
प्रदर्श क-9 डाला गया। पंचायतनामा प्रदर्श क-3 को देखकर हस्ताक्षर की पहचान
किया, कहा कि पंचायतनामा मेरे निर्देशन में भरा गया था, खूनआलूदा गद्दा व
सादा गद्दा मय रूई घटनास्थल से लिया गया था। फर्द तैयार की गयी थी, जो
7क/2 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, प्रदर्श क-10 डाला गया। पर्चा नं-03
दिनांक 01.10.2016 में बयान पंचानगण के अंकित किया। पर्चा नं-4 दिनांक 03.
10.2016 को तारसी किया, खूनआलूदा रूई व फावड़ा न्यायालय के समक्ष पेश
किया गया, जिस पर वस्तु प्रदर्श क-1 व वस्तु प्रदर्श क-2 डाला गया, जो सर्व
मोहर युक्त में है, पर्चा नं-5 दिनांक 05.10.2016 में बयान अभियुक्त की गिरफ्तारी
तथा फर्द बरामदगी आला कत्ल अंकित है। दिनांक 12.10.2016 को बयान लिये
गये थे, में तलाशी ली गयी नहीं गिले। इसके बाद मेरा स्थानांतरण हो गया।

21. पी0डब्लू0-9 निरीक्षक श्रीराम कटियार ने अपनी मुख्य परीक्षा में
सशपथ कथन किया है कि दिनांक 28.09.2016 को थाना-महेवाघाट में तैनात था।
मुकदमा अपराध संख्या-244/16 धारा-302 भा0दं0सं0 पंजीकृत होकर मुझे
विवेचना में एस0ओ0 उमाशंकर यादव के साथ खाना होकर घटनास्थल पर पहुंचे।
घटनास्थल पर मृतक अमीर सिंह के शव का पंचायतनामा एस0ओ0
उमाशंकर यादव के निर्देशन में लिखा था, सारे प्रपत्रों को मेरे द्वारा भरा गया था।
एस0ओ0 उमाशंकर यादव ने अपना हस्ताक्षर बनाया था। पंचायतनामा में दस्तखत
8क/4, फार्म-13 8क/5, पत्र सी0एम0ओ 8क/6, पत्र आर0आई0 8क/7,
फोटोनाश 8क/8, नकल मोहर मेरे लेख में है, जिस पर एस0ओ0 उमाशंकर यादव
के हस्ताक्षर हैं, जिनके लेख व हस्ताक्षर से परिचित हूं, जिस पर प्रदर्श क-11
लगायत प्रदर्श क-15 डाला गया। पंचायतनामा प्रदर्श क-3 भी देखकर हस्ताक्षर
को तस्दीक किया तथा उसी दिन खूनआलूदा गद्दा मय रूई सादा गद्दा
मय रूई मेरे सामने कब्जे में लिया था, जो प्रदर्श क-10 है। अपने हस्ताक्षर को
तस्दीक किया, दिनांक-05.10.2016 को एस0ओ0 उमाशंकर के हमराह में था।
दिनांक 05.10.2016 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त योगेश उर्फ शिशु को
गिरफ्तार किया, थाने लाकर मज्जिद पूछताछ किया। एस0ओ0 से कहा कि मैं
जिससे पिता की हत्या किया है वह फावड़ा घर के सामने कुएं में कर हत्या फेंक
दिया है। आलाकत्ल भी बरामदगी के समय एस0ओ0 के साथ आया था। गाडी
गांव में खड़ी कराकर, अभियुक्त आगे-आगे चलकर कुएं के पास पहुंचकर बताया
कि मैंने फावड़ा इसी कुएं में फेंक दिया है। कुएं में लालचंद को भेजकर फावड़ा
की बरामदगी हुई। अभियुक्त ने फावड़ा देखकर कहा कि यह वही फावड़ा है, जिसे

हत्या में प्रयोग किया
समक्ष फावड़ा भी सील मोहर
स्वधिता के हस्ताक्षर बनाने में
तस्दीक किया।

22.

पी0डब्लू-10 निरीक्षक
में सशपथ बयान किया है कि दिनांक
मुझे प्रमारी निरीक्षक को पूर्व विवेक
स्थानांतरण के पश्चात परत डूई, दिनांक
दिनांक 23.10.2016 को किया गया
किया गया। लिस्ट में पूर्व विवेक
किया गया। प्रमारी

मैंने हत्या में प्रयोग किया था। फर्द गोक पर एस0ओ0 ने बोलकर गवाहान के समक्ष फावडा भी सील मोहर किया था। मुझे बोल-बोलकर फर्द तैयार कराया था, संबंधित के हस्ताक्षर वगवाये गये। प्रदर्श क-5 पर वने अपने हस्ताक्षर को देखकर तस्दीक किया।

22. पी0डब्लू-10 निरीक्षक राजेश कुमार चौरसिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ वयान किया है कि दिनांक 23.12.2016 को उक्त अभियोग की विवेचना मुझ प्रभारी निरीक्षक को पूर्व विवेचक प्रभारी निरीक्षक महेवाघाट रमेन्दु सिंह के स्थानांतरण के पश्चात प्राप्त हुई; विवेचना ग्रहण की गयी, जिसका पर्चा न-10 दिनांक 23.10.2016 को किता किया गया। पर्चा न-11 दिनांक 24.12.2016 को किता किया गया, जिसमें पूर्व किता केरा डायरी सी0डी0 1 ता 9 का अवलोकन किया गया। पर्चा न-12 दिनांक 25.12.2016 को किता किया गया, जिसमें श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को संबोधित धार्थनापत्र मय शपथपत्र सुधर सिंह, रूवी सिंह पत्नी योगेश सिंह का अवलोकन किया गया। पर्चा न-13 दिनांक 26.09.16 को किता किया गया, जिसमें वयान लेखक एफ0आई0आर कायमी व वयान फर्द गवाह श्रीराम कटियार, एस0सी0पी0 शिव सागर तिवारी, का0 430 रामचन्द्र, का0 राजेश कुमार, लालचन्द्र पुत्र धनश्याम, वयान पी0एम0 डाक्टर एच0पी0 मणि व मजीद वयान वादी सुधर सिंह का अंकित किया गया। पर्चा न-14 दिनांक 2.01.2017 को किता किया गया, जिसमें वयान शपथकर्ता रूवी सिंह, वयान कल्लू सिंह, वयान खतन्दा गवाह विक्रम श्रीवारतव, वयान श्रीमती मन फूलदेवी, वयान धुन्नु, वयान श्रीनाथ का अंकित किया गया। पर्चा न-15 दिनांक 03.01.2017 को किता किया गया, जिसमें वयान आरोप का दर्ज करते हुए अभियुक्त वृजेश कुमार की नामजदगी गलत पाते हुए अभियुक्त योगेश सिंह उर्फ शिशु के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-01/2017 माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। पत्रावली में संलग्न आरोपपत्र कागज संख्या-3क मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-12 डाला गया।

23. अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों ने अपने वयान से लिखित तहरीर को प्रदर्श क-1, शपथपत्र को प्रदर्श क-2, पंचायतनामा को प्रदर्श क-3, पी0एम0 रिपोर्ट को प्रदर्श क-4, फर्द वरामदगी आलाकत्ल को प्रदर्श क-5, विक एफ0आई0आर0 को प्रदर्श क-6, नकल जी0डी0 को प्रदर्श क-7, नक्शा नजरी घटनास्थल को प्रदर्श क-8 व प्रदर्श क-9, फर्द कब्जा पुलिस में लेने खूनालूदा गद्दा मय रुई व सादा गद्दा मय रुई को प्रदर्श क-10, पुलिस प्रपत्र 13 को प्रदर्श क-11, रिपोर्ट थाना महेवाघाट जनपद-कौशाम्बी को प्रदर्श क-12 के रूप, रिपोर्ट थाना महेवाघाट को प्रदर्श क-13 के रूप में, फोटोनाश को प्रदर्श क-14 के रूप में तथा गम्ना मोहर को प्रदर्श क-15 के रूप में तथा आरोप पत्र को प्रदर्श क-12 के रूप में साबित किया है।

24. उल्लेखनीय है कि पी0डब्लू0-10 का वयान पी0डब्लू0-10 अंकित हुआ है। पी0डब्लू0-10 में आरोप पत्र को साबित किया गया है।
त्रुटिवश प्रदर्श क-12 अंकित होने के कारण उक्त प्रदर्श को प्रदर्श क-12 स्थान पर प्रदर्श क-16 के रूप में पठनीय होने संबंध में आज दिनांक 24.02.2021 को आदेश, आदेश पत्र पर पारित किया गया है। यह भी आदेश किया गया है कि उपरोक्त सभी प्रदर्शों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। अतः अभियोजन साक्षियों द्वारा साबित उपरोक्त सभी प्रदर्शों पर मेरे द्वारा आज हस्ताक्षर किया गया है। अतः अभियोजन के उपरोक्त अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत निर्णय में तदनुसार पठनीय हैं।

25. अभियोजन प्रपत्र कागज संख्या-4क /3 प्रदर्श क-1 लिखित तहरीर की मूल प्रति है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि वादी मुकदमा सुधार सिंह निवासी ग्राम अंधावा, थाना-महेवाघाट, जनपद-कौशाम्बी ने दिनांक 28.09.2016 को थानाध्यक्ष महेवाघाट को घटना की लिखित सूचना देकर रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी है। कागज संख्या-4क /1 प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूल प्रति प्रदर्श क-6 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि वादी की लिखित तहरीर थाना महेवाघाट जनपद-कौशाम्बी में दिनांक 28.09.2016 को 7.30 बजे प्राप्त हुई, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-244/16 अंतर्गत धारा-302 भारतीय दंड संहिता विरुद्ध अभियुक्त योगेश सिंह रफ शिशु पुत्र अमीर सिंह निवासी अंधावा सरसवां महेवाघाट जनपद-कौशाम्बी तथा बृजेश सिंह पुत्र रांवार निवासी अंधावा सरसवां महेवाघाट जनपद-कौशाम्बी पंजीकृत की गयी, जिसका तस्किरा जी0डी0 कमांक --10 पर समय 7.30 बजे उल्लेख किया गया है। कागज संख्या-8क /10 थाना-महेवाघाट जनपद-कौशाम्बी की जी0डी0 की कार्बन प्रति प्रदर्श क-7 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि रपट नं-10 समय 7.30 बजे दिनांक 28.09.2016 को थिक एफआईआर का तस्किरा अंकित किया गया है। कागज संख्या-8क /2 पंचायतनामा की मूल प्रति प्रदर्श क-3 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि मृतक अमीर सिंह का पंचायतनामा दिनांक 28.09.2016 को समय 10.50 पर सम्पन्न हुआ। कागज संख्या-8क/11 ता 15 शव विच्छेदन आख्या की मूल प्रति प्रदर्श क-4 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि जिला अस्पताल कौशाम्बी में मृतक अमीर सिंह का अन्तपरीक्षण दिनांक 28.09.2016 को समय 2.10 पी0एम0 से 2.40 पी0एम0 के मध्य सम्पन्न हुआ है। कागज संख्या-6क /2 नक्शा नजरी की मूल प्रति प्रदर्श क-8 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि विवेचक उमाशंकर यादव थानाध्यक्ष महेवाघाट, जनपद-कौशाम्बी द्वारा दिनांक 28.09.2016 को घटना से संबंधित घटनास्थल की नक्शा नजरी निर्मित की गयी है, जिसमें अक्षर ए से दर्शित स्थल पर अभियुक्तगण द्वारा अमीर सिंह की धारदार हथियार से

कर हत्या कासि करणा तथा
दिशा को इंगित किया गया है।
की मूल प्रति प्रदर्श क-5 है, जिसके
10.2016 को समय 10.30 बजे अला
करीब 3 बीता 3 अंगुल फालसा के लो
9 अंगुल तीन रिमिड से जुड़ा हुआ बराम
/1 आलाकाल नके

मारकर हत्या कारित करना तथा वादी के जाने तथा अभियुक्तगण के भागने की दिशा को इंगित किया गया है। कागज संख्या-7क /1 फर्द बरामदगी आलाकत्ल की मूल प्रति प्रदर्श क-5 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि दिनांक 05.10.2016 को समय 10.30 बजे आलाकत्ल लोहे का फावड़ा व बेट लकड़ी की लंब करीब 3 बीता 3 अंगुल, फावड़ा के लोहे की लंबाई करीब 1 विस्ता 1 अंगुल फल 9 अंगुल तीन रिपिड से जुड़ा हुआ बरामद होने का उल्लेख है। कागज संख्या-6क /1 आलाकत्ल की बरामदगी से संबंधित स्थल के नक्शा नजरी की मूल प्रति प्रदर्श क-9 है, जिसमें 'ए' अक्षर से दर्शित स्थल कुंआ के अंदर आलाकत्ल फावड़ा बरामद होने का उल्लेख है। कागज संख्या 7क /2 फर्द बरामदगी खूनआलूदा गद्दा मय रूई व सादा गद्दा मय रूई की मूल प्रति प्रदर्श क-10 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि मृतक अमीर सिंह की हत्या कारित होने से संबंधित घटनस्थल से खूनआलूदा गद्दा मय रूई व सादा गद्दा मय रूई की फर्द थानाध्यक्ष महेवाघाट कौशाम्बी उमाशंकर यादव द्वारा दिनांक 28.09.2016 को निर्मित की गयी है, जिस पर साक्षी के रूप में गिरजा शंकर श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक श्रीराम कटियार, का0 शिवसागर तिवारी, मुकदमा वादी सुधर सिंह के हस्ताक्षर अंकित हैं। कागज संख्या-8क /4 पुलिस फार्म न-13 की मूल प्रति प्रदर्श क-11 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि थानाध्यक्ष महेवाघाट कौशाम्बी उमाशंकर यादव द्वारा दिनांक 28.09.2016 को मृतक अमीर सिंह के शव को सील मुहर पंचायतनामा व अन्य कागजात का0 शैलेन्द्र कुमार एवं प्रवीण कुमार के साथ पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजने का उल्लेख करते हुए पी0एम0 परिणाम से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी। कागज संख्या-8क/5 रिपोर्ट थाना- महेवाघाट जनपद-कौशाम्बी की मूल प्रति प्रदर्श क 12 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि थानाध्यक्ष महेवाघाट कौशाम्बी उमाशंकर यादव द्वारा दिनांक 28.09.2016 को मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद कौशाम्बी को पत्र लिखकर मृतक अमीर सिंह के शव को सील मुहर पंचायतनामा व अन्य कागजात का0 शैलेन्द्र कुमार एवं प्रवीण कुमार के साथ पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजने का उल्लेख करते हुए पी0एम0 परिणाम से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। कागज संख्या-8क /6. रिपोर्ट थाना- महेवाघाट जनपद-कौशाम्बी की कार्वन प्रति प्रदर्श क-13 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि थानाध्यक्ष महेवाघाट कौशाम्बी उमाशंकर यादव द्वारा दिनांक 28.09.2016 को प्रतिस्तर निरीक्षक पुलिस लाईन जनपद-कौशाम्बी को पत्र लिखकर मृतक अमीर सिंह के शव को सील मुहर पंचायतनामा व अन्य कागजात का0 शैलेन्द्र कुमार एवं प्रवीण कुमार के साथ पोस्टमार्टम कराने हेतु भेजने का उल्लेख करते हुए पी0एम0 परिणाम से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। कागज संख्या-8क /7. पुलिस फार्म न-379 की मूल प्रति प्रदर्श क 14 है, जो थानाध्यक्ष महेवाघाट कौशाम्बी

उमाशंकर यादव द्वारा दिनांक 28.09.2016 को निर्मित किया गया है। अमीर सिंह के गर्दन में दाहिनी तरफ तथा दायें हाथ के पंजे के खूनआलूदा अंकित है। कागज संख्या- 8क / 8, नमूना मोहर की मूल प्रति क-15 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि थानाध्यक्ष महेवाघाट कौशाम्बी उमाशंकर यादव द्वारा दिनांक 28.09.2016 को मृतक अमीर सिंह के कपड़े को सील मुहर किया गया है। कागज संख्या- 3क, आरोप पत्र की मूल प्रति प्रदर्शक-16 है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि आरोप पत्र संख्या-1/17 दिनांक 03.01.17 को अभियुक्त शोमश अफ शिशु के विरुद्ध मु0अ0स0-244 /16 धारा-302 भा0द0सं0 के अधीन थाना-महेवाघाट, जनपद-कौशाम्बी द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। कागज संख्या-39क विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, रामनगर, वाराणसी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की मूल प्रति है, जिसके परिशीलन से पाया जाता है कि संयुक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, रामनगर, वाराणसी ने क्षेत्राधिकारी मंडानपुर कौशाम्बी को प्रस्तुत मुकदमा अपराध संख्या-244 /16 थाना-महेवाघाट धारा-302 भा0द0सं0 से संबंधित फावड़ा, लंगोट, लुंगी, गद्दे का कतरन मय सई खूनआलूद, गद्दे का कतरन मय रूई सादा का परीक्षण करते हुए परीक्षण आख्या प्रेषित किया है। उक्त परीक्षण आख्या में फावड़ा लंगोट, लुंगी व गद्दे के बड़े भाग पर रक्त पाये जाने तथा वस्तु 3 लुंगी पर मानव रक्त तथा वस्तु 1, 2 व 4 कगशः फावड़ा, लंगोट व गद्दे का कतरन मय रूई सादा पर रक्त वियोजित पाये जाने का उल्लेख है।

26. प्रस्तुत प्रकरण में पी0डब्लू0 01 वादी मुकदमा सुधर सिंह, पी0डब्लू0-02 रूवी सिंह एवं पी0डब्लू0 03 शमश सिंह अभियोजन के पक्षद्रोही साक्षी हैं। इस प्रकारण में घटना की तिथि व समय पर मृतक अमीर सिंह की हत्या करित होने के तथ्य का कोई चरमदीय साक्षी अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं हुआ है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अभिमत के प्रकाश में अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की सत्यता का परीक्षण अभीष्ट है।

27. Sidharth Vashisth alias manu sharma Vs State of NCT of Delhi, 2010(69), ACC 833 (SC) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि:-

If the Prosecution witness has turned hostile, the court may rely upon so much of his testimony which supports the case of the prosecution & is corroborated by other evidence.

Veer singh Vs State of U.P. (2014) 2 SCC 455,

Shyamal Ghosh Vs State of W.B AIR 2012 SC 3539 सहित

प्रकरणों में मान
प्रकाश में यह अभिविधि
Law is settled
cannot be rejected ou
such part of his evidence
Bable Vs State of C
में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

अनेक प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा-154 साक्ष्य अधिनियम के प्रकाश में यह अभिनिर्धारित किया है कि

Law is settled that the evidence of a hostile witness cannot be rejected out right. Both parties are entitled to rely on such part of his evidence which assists their case.

Bable Vs State of Chattisgarh, AIR 2012 SC 2621 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि -

Once registration of the FIR is proved by the police and the same is accepted on record by the court and the prosecution establishes its case beyond reasonable doubt by other admissible, cogent and relevant evidence, it will be impermissible for the court to ignore the evidentiary value of the FIR. It is settled law that FIR is not substantive piece of evidence. But certainly it is a relevant circumstance of the evidence produced by the investigating agency. Merely because the informant turns hostile it cannot be said that the FIR would lose all of its relevancy and cannot be looked into for any purpose.

28. प्रस्तुत प्रकरण में पी0डब्लू0-01 के रूप में परीक्षित मुकदमा वादी सुधर सिंह ने अपने बयान में अभियोजन प्रपत्र कागजसंख्या-4क /3, लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 को अपने हस्तलेख में लिखे जाने तथा तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत के प्रकाश में पी0डब्लू0-01 सुधर सिंह, मुकदमा वादी के पक्षद्रोही होने के बावजूद लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के साक्षिक महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता।

लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 वादी मुकदमा ने यह स्पष्ट कथन किया है कि दिनांक 28.09.2016 को रात करीब 2 बजकर 30 मिनट पर उसका छोटा भाई अमीर सिंह उम्र लगभग 63 वर्ष घर के बाहर नीम के नीचे सो रहा था कि उसी समय उसके भाई का लडका योगेश उर्फ शिशु व वृजेश पुत्र संवार निवासी अंधावा मृतक द्वारा जमीन न बेचने की बात को लेकर हुये झगड़े में धारदार हथियार से अभियुक्त योगेश ने अपने पिता को गर्दन व हाथ पर वार कर दिया, जिससे अमीर सिंह की मौके पर मौत हो गयी। अभियुक्त योगेश व उसके साथी वृजेश भाई की हत्या करने के बाद भाग निकले। इस प्रकार लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 में वर्णित तथ्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त योगेश एवं उसके साथ वृजेश पर मुकदमा वादी के भाई अमीर सिंह के गर्दन व हाथ पर दिनांक 28.09.2016 समय 2 बजकर 30

मिनट पर धारदार हथियार से प्रहार करके हत्या कारित किये जाने को
 लगाया गया है।

29. पी0डब्लू0-05 के रूप में परीक्षित डा0 हिंद प्रकाश मणि ने मृतक अमीर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-4 को साबित किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-4 क परिशीलन स पाया जाता है कि मृतक अमीर सिंह का अन्त्यपरीक्षण जिला चिकित्सालय कौशांबी में दिनांक 28.09.2016 को रात के 2.10 पी0एम0 से 2.40 पी0एम0 के मध्य संपन्न हुआ है। पी0एम0 रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर आई चोटों को पी0डब्लू0-05 डा0 हिंद प्रकाश मणि ने अपने बयान में निम्नवत दर्शाया है-

चोट नं0-1- इनसाइज्ड वून्ड 6 x 2 x 1 सें0मी0 सर गर्दन में दाहिने तरफ दाये कान से 5 सें0मी0 नीचे था और चिन से 6 सें0मी0 दूरी पर था। कैरोटिड धमनी कटी हुयी थी। बहुत ज्यादा खून का थक्का जमा हुआ था। घाव को मार्जिन क्लीन कट एवं इनकलैण्ड थी।

चोट नं0-2- दाहिनी तरफ छाती पर इनसाइज्ड वून्ड 7 x 2 x 1 सें0मी0 जो कि दाहिनी क्लैविकिल से 2 सें0मी0 नीचे थी।

चोट नं0-3- दाहिनी तरफ छाती पर इनसाइज्ड वून्ड 5 x 2 x 1 सें0मी0 जो कि चोट नंबर दो से 2 सें0मी0 नीचे थी।

चोट नं0-4- दाहिनी हथेली पर पीछे की तरफ इनसाइज्ड वून्ड 6 x 2 x 1 सें0मी0 इण्डेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में थी। घाव की मार्जिन क्लीन कट एवं इनकलैकड थी।

पी0एम0 रिपोर्ट प्रदर्श क-4 में उक्त चोटें धारदार हथियार से कारित होने तथा मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आई चोटों से शॉक एवं हेमरेज के कारण होना दर्शात है।

पी0डब्लू0-05 डा0 हिंद प्रकाश मणि के बयान तथा पी0एम0 रिपोर्ट प्रदर्श क-4 में मृतक अमीर सिंह के शरीर (गर्दन व हाथ) पर धारदार हथियार से वार करके मृत्यु कारित होने के संबंध में तहरीर प्रदर्श क-1 में वर्णित अभियोजन कथानक की सम्पुष्टि होती है।

30. पी0डब्लू0-8 निरीक्षक उमाशंकर यादव ने अपने बयान में दिनांक 05.10.2016 को अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा फर्द बरामदगी आलाकत्ल निरीक्षक श्रीराम कटियार को बोल-बोलकर लिखावाये जाने व नकशा नजरी बरामदगी आलाकत्ल प्रदर्श क-9 के रूप में तैयार किया जाना साबित किया है।

पी0डब्लू0-9 निरीक्षक श्रीराम कटियार ने अपने बयान में यह साबित किया है कि दिनांक 05.10.2016 को मुख्तार की सूचना पर अभियुक्त योगेश को गिरफ्तार करके थाने पर लाकर पूछताछ किया गया। अभियुक्त योगेश

ने एरा03010 से कहा
 में हत्या कर फेंक दिह
 कराया था तथा साबित
 प्रदर्श क-5 पर वन आफ
 साक्षी के बयान से यह
 अभियुक्त है

ने एस0ओ0 से कहा कि मैं जिससे की हत्या किया है वह फावड़ा मैंने सामने कुएं में हत्या कर फेंक दिया है। मौके पर एस0ओ0 ने मुझे बोल-बोलकर फर्द तैयार कराया था तथा संबंधित के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। इस साक्षी ने फर्द बरामदगी प्रदर्श क-5 पर वने अपने हस्ताक्षर को अपने बयान में तस्दीक किया है। इस साक्षी के बयान से यह तथ्य प्रकट होता है कि अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के घर के सामने स्थित कुएं से मृतक अमीर सिंह की हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल (फावड़ा) साक्षी पी0डब्लू0-06 लालचंद द्वारा निकाला गया था।

पी0डब्लू0-6 लालचन्द द्वारा मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान से स्पष्ट है कि उसने अभियुक्त योगेश उर्फ शिशु के घर के सामने कुएं के पास अभियुक्त व पुलिस वालों की मौजूदगी में आलाकत्ल फावड़ा मय बेट कुएं के अंदर घुसकर निकाला था, जिसे पुलिसवालों ने कब्जा लिया और लिखा-पट्टी करके उसके हस्ताक्षर बनवाये थे। फावड़े के माल को रूई लगाकर कपड़े में रखकर सील मुहर किया था। इस साक्षी ने फर्द बरामदगी प्रदर्श क-5, आलाकत्ल 1 अदद लोहे के फावड़े पर वने अपने हस्ताक्षर की पहचान करते हुए उक्त फर्द बरामदगी आलाकत्ल को अपने बयान से साबित किया है।

अभियोजन प्रपत्र कागज संख्या-7क, प्रदर्श क-5, फर्द बरामदगी आलाकत्ल एक अदद लोहे के फावड़े मय लकड़ी के बेट पर साक्षी लालचंद पी0डब्लू-06, सुधर सिंह पी0डब्लू-01, उपनिरीक्षक श्रीराम कटियार पी0डब्लू-09 तथा थानाध्यक्ष उभाशंकर यादव पी0डब्लू-08, गिरजाशंकर श्रीवास्तव तथा अभियुक्त योगेश के हस्ताक्षर अंकित हैं। इस प्रकार पी0डब्लू0-08, पी0डब्लू0-09 व पी0डब्लू0-6 के बयान से अभियुक्त योगेश की निशानदेही पर मृतक अमीर सिंह की हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल फावड़ा की बरामदगी का तथ्य प्रमाणित है।

31. तहरीर प्रदर्श क-1 में यह कथन अंकित है कि मृतक अमीर सिंह की हत्या कारित करने के बाद अभियुक्त योगेश अपने साथी वृजेश के साथ मौके से फरार हो गया था। विवेक के द्वारा घटनास्थल के निर्मित प्रदर्श क-8 में घटनास्थल से अभियुक्तगण के भागने की दिशा को निश्चित किया गया है।

पी0डब्लू-8 के बयान से साबित है कि अभियुक्त योगेश उर्फ शिशु की गिरफ्तारी दिनांक 05.10.2016 को हुई है। मृतक अमीर सिंह की मृत्यु के उपरांत अभियुक्त योगेश उर्फ शिशु का घर से फरार होने का उसका आचरण धारा-8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन संशुद्ध है।

उल्लेखनीय है कि धारा-8 के प्रदर्श क-2 पर अभियुक्त का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। पी0एम0 रिपोर्ट, प्रदर्श क-4 पर मृतक के पहचानकर्ता के रूप में अभियुक्त का नाम अंकित नहीं है। धारा 313 द0प्र0सं0 के अधीन अंकित बयान में अभियुक्त ने यह कथन नहीं किया है कि घटना की तिथि व समय पर वह अपने घर पर मौजूद नहीं था अथवा उसे अपने पिता की हत्या कारित होने का तथ्य की

जानकारी नहीं थी। निश्चित रूप से यदि अभियुक्त योगेश उर्फ शिशु अमीर सिंह की हत्या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कारित की गयी होती तो वह पिता की हत्या के संवध में स्वतः न सिर्फ प्राथमिकी अंकित कराता, पंचायतनामा एवं पी0एम0 रिपोर्ट पर मृतक के निकट संबंधी के रूप में उसके हस्ताक्षर भी अंकित होते।

पी0डब्लू0-02 के रूप में परीक्षित रूबी सिंह, जो कि अभियुक्त योगेश सिंह की पत्नी हैं, ने पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्र कागज संख्या-10ख /2 को प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया है। प्रदर्श क-2 पुलिस अधीक्षक जनपद-कौशाम्बी को साक्षी रूबी सिंह द्वारा दिये गये शपथपत्र की मूलप्रति है, जिसमें यह कथन किया गया है कि " शपथकर्ता के अनुसार अमीर सिंह की हत्या वृजेश कुमार पुत्र संवारे निवासी ग्राम अंधावा थाना-महंवाघाट जिला कौशाम्बी ने नहीं की है। वृजेश कुमार का नाम एफआईआर में गलत लिखाया गया है।"

शपथपत्र प्रदर्श क-2 में पी0डब्लू0 02 रूबी सिंह ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त योगेश ने घटना की तारीख व समय पर मुकदमा वादी के भाई अमीर सिंह की हत्या कारित नहीं किया है तथा एफआईआर में अभियुक्त योगेश का नाम गलत लिखा गया है। अतः पुलिस अधीक्षक जनपद-कौशाम्बी को अभियुक्त योगेश उर्फ शिशु की पत्नी पी0डब्लू0-02 रूबी सिंह द्वारा दिये गये शपथपत्र प्रदर्श क-2 में वर्णित तथ्य से मुकदमा वादी द्वारा घटना के संवध में की गयी एफआईआर तथा अभियुक्त योगेश की अमीर सिंह की हत्या की घटना में संलिप्तता को इंगित करता है।

अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक अमीर सिंह की हत्या कारित होने में प्रयुक्त आलाकल एक अदद लोहे के फावड़े की बरामदगी तभी संभव हो सकती थी, जबकि अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त आलाकल की व्यक्तिगत जानकारी रही हो। अभियुक्त योगेश उर्फ शिशु की निशानदेही पर मृतक अमीर सिंह की हत्या कारित होने में प्रयुक्त आलाकल एक अदद फावड़ा की बरामदगी एवं अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षियों के मौखिक व साबित अभियोजन के अभिलेखीय प्रमाणों के उपरोक्त समग्र विवेकन से अभियुक्त द्वारा अपने पिता अमीर सिंह की धारदार हथियार, लोह के फावड़े से उसके गर्दन व दाहिने हाथ पर प्रहार करके हत्या कारित किये जाने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त योगेश उर्फ शिशु दोषारिद्ध किये जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त योगेश उर्फ शिशु को थाना-महंवाघाट, जनपद-कौशाम्बी से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या-244/16, धारा-302 भारतीय दंड संहिता, के आरोप में दोषारिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा निष्पादित वचनपत्र निरस्त तथा जमानतदात्री को उनके जमानतनामों के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया

जाए। दंड के प्रश्न पर सुनना
02-2021 को अपराध 1.00 बजे

दिनांक : 24.02.2021

25.02.2021

जाए। दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पञ्जावली निर्णय की प्रति के साथ दिनांक 25.02.2021 को अपराध 1.00 बजे पेश हो।

दिनांक : 24.02.2021

(रमेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या-01, कौशाम्बी

25.02.2021

पञ्जावली दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु निर्णय की प्रति के साथ पेश हुई। अभियुक्त जेठ हिरासत उपस्थित हैं। विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। दंड के प्रश्न पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कहा गया कि अभियुक्त योगेश उर्फ शिशु द्वारा अपने पिता अमीर सिंह की धारदार हथियार (फावड़ा) से उसके गर्दन व हाथ पर प्रहार करके हत्या कारित कारित की गई है। अभियुक्त द्वारा कारित जघन्य अपराध हेतु अर्थदंड के साथ ही कठोर दंड से दंडित किया जाये।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कहा गया कि अभियुक्त नवयुवक है। यह उसका प्रथम अपराध है। अभियुक्त के माता की मृत्यु हो चुकी है। उसके घर में उसकी पत्नी एवं एक छोटी पुत्री है, जिनका भरण-पोषण करने वाला उसके अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य नहीं है। अतः क्षमा किया जाये।

निर्णय में विवेचित तथ्य से स्पष्ट है कि अभियुक्त योगेश उर्फ शिशु द्वारा अपने पिता अमीर सिंह की धारदार हथियार लोहे के फावड़े से उसकी गर्दन व हाथ पर प्रहार करके हत्या कारित कारित किया है। अभियुक्त द्वारा कारित जघन्य अपराध हेतु कारावास के साथ अर्थदंड भी अधिरोपित किया जाना उचित है। तदनुसार अभियुक्त को प्रकरण में दोषसिद्ध आरोप में निम्नलिखित आदेश में उल्लिखित दंडादेश दिया जाना समीचीन है।

:- आदेश:-

1. अभियुक्त योगेश उर्फ शिशु को 30प्र0 राज्य वनाम योगेश उर्फ शिशु, मुकदमा अपराध संख्या-244/2016, थाना-गहेवाघाट, जनपद-कौशाम्बी के प्रकरण में सिद्धदोष धारा-302 भारतीय दंड संहिता के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास की सजा तथा 2,00,000/- (दो लाख रूपया मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है।
2. अर्थदंड की धनराशि का आधा हिस्सा अभियुक्त की पत्नी व पुत्री को तथा आधा हिस्सा राज्य सरकार को देय होगी।

3. अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम कारित किये जाने की दशा में अपराधी को पांच वर्ष के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा को भुगतनी होगी।
4. अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में जिला कारागार में बिताई गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित होगी।
5. इस प्रकरण के अभियुक्त जिला कारागार कौशांबी में निरुद्ध हैं। अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट बनाकर जिला कारागार कौशांबी को अविलम्ब प्रेषित किया जाए।
6. धारा 365 द0प्र0सं0 के अनुपालन में इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट कौशांबी को प्रेषित की जाए।
7. अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।
8. बाद मियाद अपील माल मुकदमा नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

दिनांक : 25.02.2021

(रमेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या--01, कौशांबी।

उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 24.02.2021 को तथा निष्कर्षित दंडादेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 25.02.2021

(रमेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या--01, कौशांबी।

Godar

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

पीठासीन : श्री रमेश कुमार यादव (एच.जे.एस.)

1. सत्र परीक्षण संख्या : 77/2019

उत्तर प्रदेश राज्य

अभियोजन पक्ष।

वनाग

1. संजय उर्फ संजू पुत्र सुवई पारसी, निवारी ग्राम-भागलपुर वेगमसराय, थाना-धूमनगंज, जनपद-प्रयागराज।
2. सूरज पारसी पुत्र स्तो बन्धू पारसी, निवारी ग्राम-भागलपुर वेगमसराय, थाना-धूमनगंज, जनपद-प्रयागराज।

.....अभियुक्तगण।

मु0अ0स0-40/2019

धारा-302/34 भा0द0स0

थाना-पूरामुफती

जनपद-कौशाम्बी।

निर्णय

1. पुलिस थाना-पूरामुफती, जनपद कौशाम्बी द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण संजय उर्फ संजू एवं सूरज पारसी के विरुद्ध मु0अ0स0-40/2019, धारा-302/34 भा0द0स0 में परीक्षण हेतु आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद कौशाम्बी को प्रेषित किया गया जो माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरण आदेश के उपरान्त विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक लिखित तहरीर में वर्णित तथ्य के अनुसार यह है कि वादिनी नफीस फातिमा पत्नी इरशाद अली, निवारी ग्राम-वेगमसराय शाही इमामवाड़ा कटरा मुण्डेर, थाना-धूमनगंज जनपद-प्रयागराज द्वारा लिखित तहरीर प्रभारी निरीक्षक थाना-पूरामुफती जनपद कौशाम्बी के समक्ष दिनांक 29.01.2019 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें यह कथन अंकित है कि वादिनी नफीस फातिमा पत्नी इरशाद अली, निवारी ग्राम-वेगमसराय शाही इमामवाड़ा कटरा मुण्डेर, थाना-धूमनगंज, जनपद-प्रयागराज की रहने वाली हैं। वादिनी का बेटा मुहम्मद परवज उम 30 वर्ष, विवाह पर आटे बरताता था। रोजाना की भांति दिनांक-28.01.2019 को सुबह 9 बजे घर से आटे बलाने गया था, देर रात्रि तक जब घर वापस नहीं आया, जिसकी तलाश करने पर वेगमपुर सड़क किनारे उसके बेटे की लाश पड़ी होने की सूचना थानाध्यक्ष पूरामुफती, जनपद कौशाम्बी को देकर कानूनी कार्रवाई करने की याचना की गयी।
3. वादिनी की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना-पूरामुफती में दिनांक 29.01.2019 समय 22:17 को सजनामविना प्रविष्टि संख्या-47, पर चिक

प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०-40/2019 धारा-302 भारतीय दंड

आगे चलकर भा०द०सं० के रूप में निर्णय में लिखा जायेगा) अज्ञात

विरुद्ध दर्ज की गयी जिसमें विवेचनापरान्त प्रकरण के विवेचक द्वारा उपरान्त
नामित अभियुक्तगण संजय उर्फ राजू एवं सूरज पासी के विरुद्ध अंतर्गत
धारा-302/34 भा०द०सं० आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्तगण की हाजिरी सुनिश्चित होने के उपरान्त विद्वान
पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण संजय उर्फ राजू एवं सूरज पासी के विरुद्ध
अंतर्गत धारा-302/34 भा०द०सं० के अपराध के अभियोग में आरोप विरचित किया
गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की।

5. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मूल तहरीर
वादी, फर्द लेने कब्जा एक अदद गुफ्फार व एक अदद राड, चिक एफ.आई.आर.,
कायमी जी.डी., पंचायतनामा, पुलिस फार्म नं०-13, फोटोनाश, रिपोर्ट थाना
पूरामुफ्ती, नमूना मोहर, पी.एम. रिपोर्ट, नक्शानजरी घटनास्थल, नक्शानजरी
वरामदगी व आरोप पत्र, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या कागज संख्या-19
ख/1 व अन्य अभियोजन अभिलेख दर्खिल किया गया है, जिसका निर्णय
में यथास्थान उल्लेख किया जाएगा।

6. अभियोजन द्वारा अपने कथानक का साबित करने हेतु पी०डब्लू०-1
नफीस फातिमा पत्नी इरशाद अली निवासिनी बेगम सराय, शाही इमामबाडा,
थाना धूमनगंज, जिला प्रयागराज, पी०डब्लू०-2 मोनिश सईद पुत्र फराउद्दीन
निवासी गयासुउद्दीनपुर, थाना धूमनगंज जनपद जिला प्रयागराज, पी०डब्लू०-3 मो०
याशीन उर्फ राजू पुत्र अब्दुल मजीद निवासी बम्हरोली थाना धूमनगंज, इलाहाबाद,

पी०डब्लू०-4 नुजहत बेगम पत्नी मो० परवेज निवासी बेगम सराय शाही
इमामबाडा, थाना- धूमनगंज इलाहाबाद, पी०डब्लू०-5 हेड का० देवेन्द्र कुमार सिंह,
पी०डब्लू०-6 उपनिरीक्षक संतार अली, पी०डब्लू०-7 डा० ए.के. गुप्ता, पी०डब्लू०-8
प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह को परीक्षित कराया गया है। इसके साथ ही
सी०डब्लू०-1 नफीस फातिमा(वादिनी), सी०डब्लू०-2 नुजहत बेगम, सी०डब्लू०-3 दीपक
कुमार पुत्र श्री श्याम लाल निवासी गयासुउद्दीनपुर भागलपुर थाना धूमनगंज
इलाहाबाद, सी०डब्लू०-4 मो० जीशान उर्फ सादान पुत्र स्व० मो० मोसिम निवासी
ग्राम हटवा उपरहार थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशांबी व सी०डब्लू०-5 गुडिया देवी
पत्नी मरहूम मो० सोहराब निवासिनी बेगम सराय शाही इमामबाडा कटरा थाना
धूमनगंज जनपद इलाहाबाद परीक्षित हुए हैं।

7. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान
अन्तर्गत धारा-313 दंड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किया गया, जिसमें दोनों
अभियुक्तगण ने घटना की जानकारी न होने पी०डब्लू०-1 नफीस फातिमा,
पी०डब्लू०-2 मोनिश सईद, पी०डब्लू०-3 मो० याशीन उर्फ राजू, पी०डब्लू०-4 नुजहत

गम. पी०डब्लू०-5 हेड का० देवेन्द्र
अली, पी०डब्लू०-7 डा० ए.के. गुप्ता
सिंह द्वारा दिये गये बयान के सम्बन्ध
अतिरिक्त कथन में अभियुक्त सूरज पा
पुलिसवाले पकड़ कर ले गये और सु
ने कथन किया है कि मैंने कुछ नहीं
पीटकर जेल भेज दिया है।

वेगम, पी0डब्लू-5 हंड का0 देवेन्ट कुमार सिंह, पी0डब्लू-6 उपनिरीक्षक संतार अली, पी0डब्लू-7 डा0 ए.के. गुप्ता, पी0डब्लू-8 प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह द्वारा दिये गये बयान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का कथन किया गया है। अतिरिक्त कथन में अभियुक्त सूरज पारशी ने कथन किया है कि मुझे दुकान से पुलिसवाले पकड़ कर ले गये और झूठा फंसा दिये तथा अभियुक्त संजय उर्फ संजू ने कथन किया है कि मेने कुछ नहीं किया है। मुझे जबरदस्ती पुलिस ने मार पीटकर जेल भेज दिया है।

8. सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अभियुक्तगण को समय प्रदान किया गया परन्तु अभियुक्तगण की ओर से सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

9. मेने विद्वान अपर जिला शाराकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

10. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण संजय उर्फ संजू तथा सूरज ने साथ मिलकर वादिनी के लडके परवेज के सिर पर लोहे के सेंड से प्रहार करके तथा मफलर से गला घोटकर उसकी हत्या कारित किया है। अभियुक्तगण के पास मृतक की हत्या करने का हेतुक (Motive) भी साक्षीगण द्वारा साबित किया गया है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप साबित है। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

11. वचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि घटना का कोई चरमदीय साक्षी नहीं है। अभियोजन के साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग परिस्थितित्जन्य साक्ष्य पर निर्भर है। मृतक की हत्या का हेतुक (Motive) साबित नहीं है। अभियोजन सभी कड़ियों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। फर्द वसमदगी भी फर्जी तरीके से बनाई गई है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

12. अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 28.01.2019 को किसी समय स्थान वेगमपुर सड़क के किनारे महद ग्राम सल्लाहपुर अंतर्गत थाना पूरामुफ्ती, जनपद--कौशांबी में अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसार में वादिनी मुकदमा नफीस फातिमा के पुत्र मुहम्मद परवेज जो किराये का आटो चलाता था, के सर पर सड़ से वार कर उसका गला मफलर से कासकर उसकी हत्या कर दी।

13. अभियोजन कथानक को स्थापित करने हेतु अभियोजन द्वारा परीक्षित पी0डब्लू-1 नफीस फातिमा वादिनी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा में शपथ पूर्वक बयान किया कि गो0 परवेज मेरा बेटा था, जिसकी उम्र 30 वर्ष करीब जो

किराय पर आटो चलाता था। रोजाना की तरह वह दिनांक-28 को सुबह घर से आटो चलाने गया था। दर रात तक वापस घर नहीं आया। तलाश करने पर वेगमपुर सड़क किनारे मेरे बेटे की लाश पड़ी मिली, जिसकी सूचना मैंने थाना में दिया था। पत्रावली में लिखित तहरीर का 0 सं 0 4क/3 का देखकर उसकी पहचान किया तथा उस पर अपने अंगूठे निशान की पुष्टि की और कहा कि इसे मैंने एक व्यक्ति से बोलकर लिखवाया था, रुगकर इस पर अपना अंगूठा निशान लगाया था। इसे मैंने दिनांक-29.01.2019 को थाने में दिया था। पूरामुफ्ती थाने में दिया था, इसी पर मेरी रिपोर्ट लिखी गयी थी, इस पर प्रदर्शक-1 डाला गया।

पी0डब्लू0-8 प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक-29.01.2019 को मैं वतौर प्रभारी निरीक्षक थाना-पूरामुफ्ती में तैनात था। उस दिन नफीस फातिमा की लिखित तहरीर के आधार पर फौती सूचना रोजानागवा व हवाले स्पट नं0-29, समय 12.37 बजे दर्ज हुई थी।

पी0डब्लू0-5 हेड का0 देवेन्द्र कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक-29.01.2019 को मैं थाना पूरामुफ्ती में हेड मोहम्मद के पद पर तैनात था। उस दिन वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-40/19, धारा-302 आई.पी.सी. बनाम अज्ञात में, कम्प्यूटर में मेरे द्वारा बोल बोलकर शब्द अंकित कराया गया था तथा साथ ही साथ जी0डी0 नं0-29, समय 12.37 बजे उसी दिन कम्प्यूटर पर मेरे द्वारा बोल बोलकर जी0डी0 का खुलासा किया गया था, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। पत्रावली में संलग्न चिक एफ.आई.आर. का0सं0-4क/1 व 4क/2 है, जिस पर प्रदर्शक-4 डाला गया तथा पत्रावली में संलग्न जी0डी0 का0सं0-10क/16 है, जिस पर प्रदर्शक-5 डाला गया।

पी0डब्लू0-01 नफीस फातिमा मुकदमा वादिनी, पी0डब्लू0-05 हे0का0 देवेन्द्र कुमार सिंह तथा पी0डब्लू0-03 निवेक प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह के उपरोक्त बयान से मुकदमा वादिनी द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना पूरामुफ्ती जनपद-कौशाम्बी को घटना के संदर्भ में प्रस्तुत की गयी लिखित तहरीर कागज संख्या-4क/3 प्रदर्शक-1, चिक एफ0आई0आर0 कागज संख्या-4क/1 व 4क/2 प्रदर्शक-4 तथा नकल जी0डी0 कागज संख्या-10क/16 प्रदर्शक-5 अभियोजन पक्ष के सावित अभिलेख हैं, जिससे अभियोजन के इस कस की पुष्टि होती है कि दिनांक 29.01.19 को वादिनी नफीस फातिमा द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना पूरामुफ्ती जनपद-कौशाम्बी के समक्ष घटना की लिखित तहरीर प्रदर्शक-1 प्रस्तुत की गयी थी, जिसे थाना पूरामुफ्ती में दिनांक 29.01.19 को तैनात हे0का0 देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्शक-1

के-4 मुकदमा अफ
किया गया, जिसका त
37 बजे दर्ज किया गया।
14. पी0डब्लू0-2 नोनिस
धूमनगंज जनपद जिला प्रयाग
कि दिनांक-30.01.2019 को
वाले व दरोगा

क-4 मुकदमा अपराध संख्या-40/19 अंतर्गत धारा-302 भा0द0स0 पंजीकृत किया गया, जिसका तारिकरा नकल जी0डी0 पदार्थ क-5 संख्या-29 में समय 12.37 बजे दर्ज किया गया।

14. पी0डब्लू0-2 मोविश सईद पुत्र फराउददीन निवासी गयासुउददीनपुर, थाना धूमनगंज जनपद जिला प्रयागराज ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक-30.01.2019 को मैं व सैदाब वेगमपुर गांव गये थे। वहां पर पुलिस वाले व दरोगा जी मौजूद थे। घटनास्थल पर मो0 परवेज की हत्या हुई थी। घटनास्थल से मेरे व सैदाब के सामने एक डिब्बे में सादी मिट्टी व एक डिब्बे में खून लगी मिट्टी कब्जा पुलिस ने लेकर अलग-अलग सफेद कपड़े में डिब्बे को लेकर सर्वमोहर कर नगूना मोहर बनाया था। फर्द मौके पर दरोगा जी ने लिखकर पढ़कर सुनाया। मेरे व सैदाब के हस्ताक्षर बनवाये थे। पत्रावली में संलग्न फर्द का0सं0-8क/1 को देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर को पहचान कर पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

दिनांक-31.01.2019 को रामक्ष गवाहन मैं व सैदाब गांव में मौजूद थे, तभी दरोगाजी व पुलिस वाले संजू उर्फ सूरज पासी को लेकर आये थे तथा दरोगाजी ने कहा तुम दोनों लोग रात में चलो आलाकत्त लोहे का राड व मफलर बरामद करवाये तब हम दोनों लोग भी पुलिस व मुल्जिम के साथ चल दिये। सूरबान सिंह के खेत गेहूं के गड में जगे सरपत की झाड़ से अभियुक्त सूरज पासी व अभियुक्त संजू उर्फ संजय ने सरपत की झाड़ से एक अदद मफलर काही कतर का व एक अदद लोहे का राड, जिसमें खून लगा था। उक्त दोनों बरामद मफलर व राड पुलिस कब्जे में लेकर सफेद कपड़े में रखकर सीलकर, सर्वमोहर कर तथा मौके पर फर्द तैयार कर अपना हस्ताक्षर व दोनों मुल्जिम के निशानी अंगूठा व हस्ताक्षर बनवाये थे। पत्रावली में संलग्न का0सं0-3क/2 फर्द को देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। दरोगाजी मेरा बयान लिये थे।

पी0डब्लू0-3 मो0 याशीन उर्फ राजू ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतक परवेज का पंचायतनामा आज से करीब 10 माह पहले पुलिस वाले मेरे सामने करा था। लाश को एक सफेद कपड़े में सील मोहर किया गया था। पंचायतनामा के लिये पांच पंच नियुक्त थे, जिसमें मैं भी था। पंचायतनामा की लिखा-पढी कर पुलिस वाले मुझसे भी हस्ताक्षर बनवाये थे। पत्रावली में संलग्न का0सं0-10क/11 लगायत 10क/12 को देखकर उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान की और कहा यह वही हस्ताक्षर है जो मैंने पंचायतनामा के समय बनाया था।

पी0डब्लू0-6 उपनिरीक्षक संतार अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक-29.01.2019 को मैं थाना पूरामुफ्ती में तैनात था, फिर

दिनांक-28.01.2019
जिला प्रयागराज
थाना धूमनगंज
जिला प्रयागराज
क-5 संख्या-29
पंजीकृत

उस दिन मृतक मो० परवेज पुत्र इरशाद अली, निवासी बगमपुर इमामबाड़ा कटरा, थाना-धूमनगंज, जंगपद पर्यागराज का पंचायतनामा लिये एस.एच.ओ. के निर्देशन में बगमपुर गया था। वहां पर पांच पंच पंचायतनामों की कार्यवाही शुरू किया। मृतक के सर में घाव, खून आलूदा व नाक में चोट का निशान था। लाश को मौके पर रखकर कपड़े में सील मोहर किया था और पंचायतनामों की लिखा-पढ़ी कर पत्रों को पढ़कर सुनाकर उनके हस्ताक्षर बनवाये थे और मैंने भी हस्ताक्षर बनाये थे और 6लाश को सिपाहियों का सुपुर्द कर पोस्टमार्टम के लिये भेजवाया था। पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा का०सं०-10क/11 व 10ख/12 है, जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया तथा फार्म 13 का०सं०-10क/14 फोटोनाश का०सं०-10क/15 चिट्ठी आर.आई. का०सं०-10ख/17 चिट्ठी सी०एम०ओ० का०सं०-10क/18, नमूना मोहर का०सं०-10क/19 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क-7, प्रदर्श क-8, प्रदर्श क-9, प्रदर्श क-10 प्रदर्श क-11 डाला गया।

पी०डब्लू-01 नफीस फातिमा ने बयान की मुख्य परीक्षा में कहा है कि दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था तथा लाश मिलने वाली जगह का मेरी निशानदेही पर नक्शानजरी तैयार किया था।

पी०डब्लू-08 प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक-29.01.2019 को मैं बतौर प्रभारी निरीक्षक थाना-पूरामुफ्ती में तैनात था। एस.आई. रातार अली को मृतक के पंचायतनामा के लिये भेजा गया था, जिनके द्वारा लाश को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उचित फौती सूचना दिनांक-29.01.2019 को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०-40/19, पारा-302 आई.पी.सी. में तरमीम हुआ तथा विवेचना मेरे द्वारा प्रारम्भ किया गया। मेरे द्वारा पर्चा नं०-1 दिनांक-29.01.2019 फौती नकल एफ.आई.आर., नकल रपट काथमी, एफ.आई.आर. फौती लेखक व एफ.आई.आर. जी०डी० लेखक हेड मोहम्मद देवेन्द्र कुमार का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं०-11 दिनांक-30.01.2019 को कित्ता किया गया, जिसमें वादिनी श्रीमती नफीस फातिमा का बयान अंकित किया गया तथा वादिनी के निशानदेही पर घटनारथल को निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया गया। पत्रावली में संलग्न नक्शानजरी का०सं०-7क मेरे लेख हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क-13 डाला गया तथा घटनारथल से खूनआलूदा व रादी मिट्टी समक्ष गवाहान लेकर फर्द तैयार की गयी। फर्द पर प्रदर्श क-2 पहले से ही डाला जा चुका है। फर्द मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। उसके पश्चात् मुल्जिमों की पता रसी सुरागरसी में था कि मुखबरी तथा गोनेस सईद द्वारा जानकारी मिली कि घटना संजय उर्फ संजू ने अपने साथी सूरज के साथ मिलकर वादिनी के लड़के परवेज को मारकर मफलर से गला घोटकर उसकी हत्या की तथा संजू और सूरज

ना नाम मुकदमा में
कित्ता किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा
अभियुक्तगण की निशानदेही
आलाकारल समक्ष गवाहान
नकल सी०डी० किया गया
बनाया गया। पत्रावली में संलग्न
है कि-

राज्य सरकार
पंचायतनामा करने के
नियमों के
अनुसार

का नाम मुकदमा में प्रकाश में लाया गया। पचां नं०-3, दिनांक-31.01.2019 को कित्ता किया गया, जिसमें प्रकाश में आये अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व अभियुक्तगण द्वारा ज़ुर्ग स्वीकार कर बयान अंकित कित्ता किया गया तथा अभियुक्तगण की निशानदेही पर एक अदद मफलर व एक अदद लोहे की राड आलाकतल समक्ष गवाहान वरामद कर फर्द मौके पर तैयार की गयी। फर्द की नकल सी०डी० किया गया तथा वरामदगी स्थल का निरीक्षण कर उसका नक्शा बनाया गया। पत्रावली में सलमन फर्द मफलर व लोहा राड मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क-3 पहल से आला जा चुका है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ तथा पत्रावली में सलमन नगेशानजरी का०सं०-9क मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसमें प्रदर्श क-14 डाला गया। पचां नं०-4, दिनांक-01.02.2019 को कित्ता किया गया, जिसमें संक्षिप्त नकल पंचायतनामा व पंचायतनामा के गवाह सदाब व मोनिस का बयान अंकित किया गया। पचां नं०-6, मृतक की पत्नी नुजहत बेगम का बयान अंकित किया गया तथा तमागी विवेचना व गवाह सबूत के आधार पर अभियुक्तगण संजय उर्फ संजू व सूरज कं विरुद्ध धारा-302/34 में आरोप पत्र मा० न्यायालय को प्रेषित किया जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क-15 डाला गया। आलाकतल राड व मफलर विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी भेजा गया जो क्रमांक 635/19 पर दाखिल किया गया तथा आज मा० न्यायालय में सीलबन्द माल लाया गया, जिसे खोलकर देखा गया तो गवाह ने कहा कि ये वही राड है, जिसे संजू व सूरज ने समक्ष गवाहों वरामद कराया था, जिस पर वस्तु प्रदर्श -1 डाला गया। आलाकतल मफलर जो अभियुक्तगण संजय उर्फ संजू व सूरज द्वारा समक्ष गवाहान वरामद कराया गया था। खूनआलूद भिट्टी सीलबन्द जगत तम्बाकू के डिब्बे में लायी गयी, जिसे गवाह ने देखकर कहा कि यह वही खूनआलूद भिट्टी है जो घटनास्थल से लेकर सर्वमोहर किया गया था, जिस पर वस्तु प्रदर्श क्रमशः 2, 3 डाला गया तथा भिट्टी सीलबन्द खोलकर देखी गयी जो जगत तम्बाकू के डिब्बे में थी। गवाह ने कहा यह वही भिट्टी है जो मौके से लेकर सीलबन्द किया गया, जिस पर वस्तु प्रदर्श-4 डाला गया।

पी०डब्लू०-01 नफीस फातिमा, पी०डब्लू०-02 मोनिश सईद, पी०डब्लू०-03 मो० यारीन, पी०डब्लू०-06 उपनिरीक्षक संतार अली तथा पी०डब्लू०-08 प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि विवेचक प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह के निर्देश पर दिनांक 29.01.2019 को उपनिरीक्षक संतार अली द्वारा मृतक मा० परवेज का पंचायतनामा की कार्यवाही समक्ष राक्षी पी०डब्लू०-03 मो० यारीन समक्ष संपन्न हुई है। इस प्रकार पंचायतनामा से संबंधित अभियोजन अभिलेख कागज संख्या-10क/11 ता 10क/12 प्रदर्श क-6, अभियोजन पत्र कागज संख्या-10क/14, फार्म 13 प्रदर्श क-7, फोटोनाश कागज संख्या-10क/15 प्रदर्श क-8, चिट्ठी आर०आई० कागज

रीजन में जाँच के
 चोट नं०-5-
 चौड़ा पूरी मृतक पर
 बाहिने कान से 5 से०
 लिंगेवर मार्क को फाटने
 आंतरिक परीक्षण-

संख्या-10क/17 प्रदर्श क-9, चिट्ठी सी०एम०ओ कागज संख्या-10क/17
 क-10, नमूना मोहर कागज, संख्या 10क/19 प्रदर्श क-11, मृतक
 पंचायतनामा के उपरान्त उपनिरीक्षक संतार अली द्वारा निमित्त किया गया। का
 नफीस फातिमा की निशानदेही पर पी०डब्लू-08 निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह द्वारा
 टानारथल से संबंधित नक्शा-नजरी आभेयोजन अभिलेख कागज संख्या-7क प्रदर्श
 क-13, मृतक मो० परवेज की मृत्यु कारित किये जाने में प्रयुक्त मफलर व लोहे
 की रॉड से संबंधित फर्द प्रदर्श क-3, वशमदगी रथल से संबंधित घटनास्थल की
 नक्शा-नजरी कागज संख्या-9क प्रदर्श क-14, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की
 आख्या कागज संख्या-19ख/1, घटना में प्रयुक्त लोहे की राड वस्तु प्रदर्श -1,
 मफलर वस्तु प्रदर्श-2, खूनआलूदा गिट्टी व सादी गिट्टी कमरा वस्तु प्रदर्श-2 व
 3 तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302/34 भा०द०स० क अधीन विवेचक द्वारा
 आरोप पत्र प्रदर्श क-15 न्यायालय में प्रेषित किया जाना साबित होता है।

15. पी०डब्लू-01 नफीस फातिमा ने बयान की मुख्य परीक्षा में कहा है कि मेरे
 लड़के की लाश का पोस्टमार्टम हुआ था। दरोगा जी ने गेग बयान लिया था।

पी०डब्लू-08 विवेचक प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ने बयान की मुख्य
 परीक्षा में कहा है कि एस०आई संतार अली को मृतक के पंचायतनामा के लिए
 भेजा गया था, जिनके द्वारा लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था।

पी०डब्लू-07 डा० ए.के. गुप्ता तैनाती मेडिकल कालेज गोरखपुर बालरोग
 विभाग ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक-29.01.2019
 को मैं सी.एच.सी. कनैली में मेडिकल आफिसर के पद पर तैनात था। उस दिन
 मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस में लगायी गयी थी। पूरानुफली की पुलिस
 रविन्दर यादव व होमगार्ड राम सजीवन गुप्ता द्वारा मृतक मो० परवेज पुत्र इरशाद
 अली उम्र 30 वर्ष, निवासी बेगम सराय शाही इमामबाड़ा थाना-धूमनगंज,
 जिला-प्रयागराज के मृत्यु शरीर का मय सीलबन्द व 9 प्रपत्रों सहित पोस्टमार्टम के
 लिये लाया गया था। सील का मिलान किया, सही पाये जाने पोस्टमार्टम की
 कार्यवाही शुरू किया। मृतक की लम्बाई 164 सेंमी०, वजन 60 कि०ग्रा०, मृतक के
 शरीर में अकड़न मौजूद थी, आंख बंद थी व नाक से खून बह रहा था।

बाह्य परीक्षण-

चोट नं०-1- लेसरेटेड वाउन्ड 6 ग 2 ग 1 से०मी० सर के बीच
 माथे पर।

चोट नं०-2- लेसरेटेड वाउन्ड 2 ग 0.5 से०मी० नाक और माथे
 के बीच नेजल बीच में।

चोट नं०-3- केश इंजरी 3 ग 3 से०मी० नास्टेल और नेजल बोन
 टूटी हुई थी।

चोट नं०-4- फटा हुआ धाग 5 ग 1 ग 1 से०मी० आकिपिटल

रीजन में जो की 12 सौमी0 दाहिने कान से थी।

चोट नं0-5- लिंगेचर मार्क 36 से0मी0 लम्बा और 3 से0मी0 चौड़ा पूरी गर्दन पर, जिसकी दूरी दूइढी से 6 से0मी0 बाये व दाहिने कान से 5 से0मी0 बाये कान से 5 से0मी0 दूर था।
लिंगेचर मार्क को काटने पर उसमें खून का थक्का पाया गया।

आंतरिक परीक्षण-

ब्रेन कन्जेस्टेड दांत 16 ग 16 से0मी0 ट्रेकिया कन्जेस्टेड, फेफड़ा कन्जेस्टेड, दोनों तरफ और दाहिने चेहरा में खून भरा हुआ था। आमाशय में 100 एम.एल. अघपचा भोजन पाया गया। आंतों में पिकल मेटेल और गैस पायी गयी। यकृत, पैकियाज व किडनी कन्जेस्टेड पाया गया। मृत्यु का सम्भावित समय 3/4 डे पाया गया।

मृत्यु का कारण-

ऐसफिक्सिया ऐन्टीमार्टम स्ट्रैगुलेशन पाया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद लाये हुए सिपाहियों को मय कागजात सहित लाश को सुपुर्द किया। पत्रावली में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट का0सं0-10क/1 लगायत 10क/9 संलग्न है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क-12 डाला गया।

जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि पोस्टमार्टम कराने के लिये शव के साथ पूरामुफ्ती की पुलिस लेकर आयी थी. दो पुलिसकर्मी थे। पोस्टमार्टम अंदर हो रहा था, वे लोग बाहर बैठे थे। घर का वगैर आया था, इसके सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है। शायद 29 जनवरी की तारीख थीं। पोस्टमार्टम का समय 4-4.30 बजे का समय था। मृतक की कोई दुर्घटना से नहीं आ सकती। लाईगेचर मार्क हार्ड एन्ड वलन्ट आब्जेक्ट से आया था। लाईगेचर मार्क किसी हार्ड वलन्ट आब्जेक्ट से आ सकता है। लाईगेचर मार्क किस आब्जेक्ट से आया है, ये मैं स्पष्ट नहीं बता सकता परन्तु आब्जेक्ट हार्ड एन्ड वलन्ट था। आमाशय में मात्र अघपचा भोजन पाया गया था।

मृत्यु का समय-

पोस्टमार्टम से 3/4 दिन पहले का है। पोस्टमार्टम जल्लाद करता है, हम लोग पूरी देर तक देखते हैं जो जरूरत होती है, उस पार्ट को कटवा कर देखते हैं। ये कहना गलत है कि मैंने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। मात्र कागजी खानापूर्ति करके हस्ताक्षर कराकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रेषित कर दिया।

पी0डब्लू-01 नफीस फातिमा तथा पी0डब्लू-08 विवेक प्रदीप कुमार सिंह तथा पी0डब्लू-07 डा0 ए0के0 गुप्ता के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि दिनांक 29.01.2019 को मृतक परवेज की मृत्यु के उपरान्त मृतक को पोस्टमार्टम के लिए पूरामुफ्ती की पुलिस रवीन्द्र सादव व लोगमार्ड राम राजीवन गुप्ता के द्वारा भेजा गया था तथा डा0 ए0के0 गुप्ता के द्वारा मृतक परवेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

कागज संख्या--10क/1 ता 10क/9 पदश क-12 निर्मित किया गया है।
प्रकार मृतक की हत्या के उपरान्त मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
डा0 ए0के0 गुप्ता के द्वारा प्रदर्श क-12 के रूप में निर्मित किया गया है। तदनु
पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-12 अभियोजन का साबित अभिलेख है।

16- सी0डब्लू-1 नफीस फातिमा ने अभियोजन द्वारा की गई जिरह में बयान किया है कि संजू से और मेरे लडके से बहुत गाराना था। संजू मेरे बहुत के घर आता जाता था। घर बैठता-उठता था। संजू के साथ मेरी बहुत दो-दो चार-चार घंटे दवा इलाज के लिए जाया करती थी। जिस दिन की घटना है। उस दिन मेरा बेटा संजू के साथ गया था। दूसरे दिन सुबह मेरे लडके के मरने की सूचना दीपक ने मेरी बहुत को दिया था। संजू ने लडके के मरने की सूचना हमको नहीं दिया था। उसी रात को मेरे पोते का जन्मादिन था। मुझसे व मेरी बहुत में बोलचाल नहीं है। आज मैं अकेली गवाही देने आ रही हूँ। यह कहना सही है कि मैं संजू को नहीं फसाना चाहती हूँ। यह कहना गलत है कि मेरी संजू से सुलह हो गयी है।
सी0डब्लू-2 नुजहत बेगम ने सशपथ बयान किया है कि मेरे पति की हत्या की सूचना मेरी सास स दीपक ने दी थी। दीपक ने बताया कि परवेज की लाश सल्लाहपुर में पड़ी है। दीपक के बारे में मैं नहीं जानती। उसके पिता का नाम भी मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि दीपक भागलपुर का रहने वाला है। दीपक संजय के चाचा का लडका है। संजय और मेरे पति के बीच में मुझे लेकर कभी कोई झगडा नहीं हुआ था। संजय मेरे पति को दारू और बियर पिलाता था। इसी लिये उसे मैंने अपने घर आने से मना किया था।

अभियोजन की जिरह में इस साक्षी ने बयान किया है कि दीपक जिसने मेरे पति की मृत्यु की सूचना दिया था वह अभियुक्त संजय उर्फ संजू के चाचा का लडका है। दीपक भागलपुर मोहल्ले में रहता है। जो मेरे मोहल्ले से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। दीपक कभी कभार जब गाड़ी खराब होती थी, तब बुलवाने पर आता था। संजय उर्फ संजू से हम लोगों की अच्छी दोस्ती थी। घर आना जाना था। इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि दीपक को मेरे पति की हत्या की जानकारी कैसे हुई।

17. पी.डब्लू 01 वादिनी नफीस फातिमा ने सी.डब्लू 01 के रूप में दिये गये बयान में कहा है कि मेरी बहुत व संजय के बीच नाजायज संबंध की बात जिस पड़ोसी या पड़ोसियों ने उसे बताया था। उसका नाम या पहचान मैं नहीं बता सकती। मैंने नाजायज संबंध स्वयं बनाते नहीं देखा था। मुझे याद नहीं है कि किस आदमी ने मुझे पहली बार मेरे बेटे की लाश मिलाने की सूचना दी थी। दीपक ने मुझसे नहीं बताया था। हो सकता है कि मेरी बहुत को बताया हो। मेरे बेटे और संजय में कभी झगडा नहीं हुआ।

पी.डब्लू 02 के रूप में परिशित गानेश राईद ने पुनः परीक्षा दिये गये बयान

कहा है कि घटना के समय
समासद थी। मृतक मा0 परवेज का
उर्फ संजू का घर भी हमारी पत्नी समासद
करती थी। दिनांक-30.01.2019 को सुलह
न ही घटना के समय में अपना
संजय के साथ मिलकर पत्नी
में भी मैंने परीक्षा के
उर्फ

संजय की पत्नी मरीशम
शिवोदर पी०डब्ल्यू-०२
को उतारा गया है। तबनुसार

में कहा है कि घटना के समय मेरी पत्नी सभासद थी, वार्ड नं-31 नीमसराय की सभासद थी। मृतक गो० परवेज का घर इसी वार्ड में आता है। अभियुक्त संजय उर्फ संजू का घर भी हमारी पत्नी सभासद वार्ड में आता है। हमारे घर चूंकि हमारी पत्नी सभासद है तो वार्ड के लोग रामरया लेकर आते थे, उसका समाधान भी करती थी। दिनांक-30.01.2019 को सुतह संजय उर्फ संजू मेरे घर नहीं आया था, न ही घटना के सम्बन्ध में अपना जुर्म स्वीकार किया, और न ही अपनी पत्नी सूरज के साथ मिलकर घटना कारित करने की बात स्वीकार किया। इस सम्बन्ध में भी मैंने दरोगाजी को उसी दिन कोई बात नहीं बताया था।

पी०डब्ल्यू-02 मोनिश सर्ईद ने जिरह में कहा है कि अभियुक्त संजय उर्फ संजू को मैं नहीं जानता व पहचानता हूँ। घटना कारित करने के संबंध में अभियुक्त संजय उर्फ संजू ने मुझे कुछ नहीं बताया था और घटना कैसे कारित हुई इस संबंध में मैंने न तो दरोगा जी को कुछ बताया। मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि संजय उर्फ संजू परवेज के घर आता-जाता था। धारा-161 द०प्र०स० के अधीन विवेचक को दिये गये बयान के बारे में इस साक्षी ने कहा है कि मैंने ये बातें दरोगा जी को नहीं बताई थी, उन्होंने कैसे लिख लिया मैं इसकी वजह नहीं बता सकता; यह कहना गलत है कि मेरा परिवार राजनीतिक है, मेरी पत्नी सभासद है और अभियुक्त हमारे पत्नी के वार्ड के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगणों के रिश्तेदार के दबाव व प्रभाव के कारण न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण के परिवारवालों ने पैसे का लालच दिया है, जिसके कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ।

पी०डब्ल्यू 04 नुजहत बेगम ने जिरह में कहा है कि पिछले 11 वर्ष से संजय की मित्रता मेरे पति से थी। मैं संजय को पिछले डेढ़ वर्ष से जानती हूँ। संजय मुझे भाभी मानता था और मेरी इज्जत करता था। संजय सहयोगी प्रवृत्ति का भला आदमी है। मेरा आदमी जहां संजय को जो कहता था, संजय वह करता था। दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। संजय और मेरा आदमी पीने खाने लगे थे, तो मैं इस नापसंद करती थी और संजय को आने के लिए मना कर दिया था। जब मैंने संजय को घर आने से मना कर दिया, तो वह मेरे घर नहीं आता था। मेरा और संजय का रिश्ता मात्र देवर-भाभी का था। इसके अलावा मेरा संजय से कोई रिश्ता नहीं था न ही कोई लगाव था। मेरा संजय के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं था। मुझे संजय कभी भी कहीं भी घुमाने टहलाने नहीं ले गया। कहीं ले जाने आने के लिए मेरे पति थे। मेरे पति की हत्या करते किसी को देखा नहीं है।

सी०डब्ल्यू-02 के रूप में परीक्षित पी०डब्ल्यू-04 नुजहत बेगम ने कहा है कि मेरे पति की हत्या की सूचना मेरी सास से दीपक ने दी थी। दीपक ने बताया कि

परवेज की लाश सल्लाहपुर में पड़ी है। दीपक के बारे में मैं नहीं पिता का नाम भी मैं नहीं जानती। वस इतना जानती हूँ कि दीपक रहने वाला है। दीपक संजय के चाचा का लड़का है संजय और मेरे पति में मुझे लेकर कभी कोई झगडा नहीं हुआ था। संजय मेरे पति को दारू और पिताला था इसी लिये उसे मैंने अपने घर आने से मना किया था।

अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि दीपक जिसने मेरे पति की मृत्यु की सूचना दिया था वह अभियुक्त संजय उर्फ संजू के चाचा का लड़का है। दीपक भागलपुर मोहल्ले में रहता है। जो मेरे मोहल्ले से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। दीपक कभी कभार जब गाड़ी खराब होती थी, तब बुलवाने पर आता था। संजय उर्फ संजू से हम लोगों की अच्छी दोस्ती थी। घर आना जाना था। इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि दीपक को मेरे पति की हत्या की जानकारी कैसे हुई। 29 जनवरी को संजय उर्फ संजू ने गुडिया के मोबाइल पर फोन किया और कहा और मुझसे बात किया और कहा कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो बहुत पक्षताओगी। यह कहकर मैंने कहा तुम्हें जो करना हो करो। मुझसे बात न करो। फिर मैंने अपने आदमी से संजू के फोन के बाद मोबाइल पर बात किया और कहा कि आज का आज जन्मदिन है। केक, कैंपस और दूध लेकर आईये। जब मैंने अपने पति से बात किया, उस वक्त मेरे पति के साथ संजय उर्फ संजू था। ये बात फोन पर मेरे पति ने बताया थी और फिर कई बार अपने पति के पास फोन किया तो फोन मेरे पति का स्वीच ऑफ बता रहा था। इस फोन से बात करने के पश्चात करीब साढ़े नौ दस बजे रात को संजय उर्फ संजू मेरे घर आया था। उस वक्त मैंने अपने गेट पर ताला लगाकर घर के अंदर सोने जा रही थी। संजू ने आवाज दिया था और गुडिया को साथ लेकर मेरे घर आया। मेरे बच्चे ताज को मुट्ठी भर चॉकलेट दिया। उसके संजय उर्फ संजू के जैकेट में कपड़े में सिर में गिट्टी लगी हुई थी। दारू पिये हुए था। मुझसे मटर का छिलका और भूसा मांगे थे। तब मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे साथ थे, वही अभी नहीं आये तो कहने लगा, गाड़ी चलाने गये हैं, मोबाइल नहीं उठा रहे हैं। स्वीच ऑफ बता रहा है। संजू उर्फ संजय ने कई बार मुझे धमकी दिया था कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो तुम्हारे आदमी को दारू पिला-पिलाकर मार डालेंगे और तुमको भी बिजली की तार को छुवाकर मार डालूंगा। मेरे पति को जान से मारने की धमकी तीन-चार बार दिया था। यह कहना सही है कि संजू ने मेरे पति की हत्या कर दिया और दीपक संजू के चाचा का लड़का है। उसरो मेरे पति की मरने की सूचना भिजवा दिया। आने पर संजू और सूरज ने मेरे सामने हाथ-जोड़ कर कहा था कि तुम्हारे पति की हत्या हम लोगों ने किया है माफ कर दो। तभी हमने संजू के मुंह पर एक कंसाप मारा था।

वचाव पक्ष की जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि दीपक ने मेरे पति

की मृत्यु की सूचना 29 तारी
जैसे ही दीपक ने मेरे पति को
ने नकाब के लाश के पास पहुंचे
बात रही है ये बातों नहीं बतायी थी
था वही बातें मैं बताती रहो। इतरंग
बतायी थी। दीपक -

की मृत्यु की सूचना 29 तारीख को रात 8 बजे सूचना दिया था। सुबह जैसे ही दीपक ने मेरे पति की मृत्यु की सूचना दिया था तभी मेरी सास और ननंद ने नकाब के लाश के पास पहुंचे थे। मुख्य परीक्षा में उपरोक्त सारी बातें जो आज बात रही हूं, ये बातें नहीं बतायी थी। मुझे सारी बातें याद थी, जो मुझसे पूछा गया था, वहीं बातें मैं बताती रही। दरोगा जी को जो उन्होंने पूछा था, वहीं सारी बातें बतायी थी। दीपक को सूचना देने वाली बात मैंने दरोगा जी को बताई थी। संजू के रात में आने वाली बात बतायी थी और मटर का छिलका देने वाली बात भी बतायी थी। संजू शादी शुदा है। उसके बच्चे है। संजू का घर मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर है। संजू के संबंध में मैंने अपने आदमी से पूछा था, तो उसने पावर हाउस में काम करने की बात बतायी थी। मैंने अपने पति के पास फोन लगाया था, तो पति से ही बात हुयी थी कि मेरे पति ने बताया था कि मैं संजू के साथ ही हूं, नौ सवा नौ तक घर आ जाऊंगा। यह कहना गलत है कि मैं आज बता रही हू, वह झूठ बोल रही हूं।

18. पी0डब्लू-01 / सी. डब्लू. 01 नफीस फातिमा वादिनी, पी0डब्लू 02 मोनिस सईद तथा पी0डब्लू04 नुजहत बेगम द्वारा दिये गये उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि उक्त साक्षियों ने अभियुक्तगण की प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित अपराध के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण को बचाने के लिए मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान के प्रतिकूल बयान दिया है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में मृतक मो0 परवेज की हत्या का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। अतः स्पष्ट है कि अभियोजन का प्रस्तुत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित हत्या के प्रकरणों में हत्या का हेतुक साबित होने के परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने G.Parshwanath Vs State of Karnataka, AIR 2010 SC 2914 o Jagdish Vs State of M.P., 2009(67) ACC 295 (SC) के प्रकरणों में अवधारित किया है-

It is true that in a case of Circumstantial evidence motive does not extreme significance but to say that in the absence of motive, the conviction based on circumstantial evidence cannot, in principle, be made is not correct. Absence of motive in a case based on circumstantial evidence is not of much consequence when chain of proved circumstances is complete. तथा

Sidharth Vashisth alias manu sharma Vs state of NCT of Delhi, 2010(69), ACC 833 (SC) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि-

If the Prosecution witness has turned hostile, the court may rely upon so much of his testimony which supports the case of the prosecution &

is corroborated by other evidence.

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यापारस्था के साक्षी पी0डब्लू-01 नफीस फातिमा तथा पी0डब्लू-02 मोनिसा सईद, पी0डब्लू-03 नुजहत बेगम द्वारा मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान के साथ ही अन्य साक्षियों सम्पुष्टिकारी साक्ष्य तथा मृतक मो परवेज की हत्या की परिस्थितियों के सम्बन्ध में साक्षियों के बयान का अवलोकन अभीष्ट है।

पी0डब्लू-01 वादिनी नफीस फातिमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि मेरी बहु नुजहत बेगम उर्फ कल्लो के पास संजय उर्फ संजू मुल्जिम बराबर मिलने आता था तथा दवा इलाज के बहाने बाहर भी ले जाता था। उसकी मेरे लडके से दोस्ती थी तथा मेरे लडके से बातचीत भी करता था। वह मेरी बहू के साथ आता जाता था तथा बहू के साथ नाजायत सम्बन्ध बना लिया था।

पी0डब्लू-04 नुजहत बेगम ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतक मो0 परवेज मेरा पति था। घटना आज से 10 माह पहले की है। तारीख 28 जनवरी सुबह मेरे पति आटो चलाने गये थे। किराये का आटो चलाते थे। मेरे पति मो0 परवेज का दोस्त संजय उर्फ संजू था। दोस्त के नाते उसका आना जाना मेरे घर पर था। " संजय उर्फ संजू मेरे घर के कार्यों में मदद करता था और उसका लगाव मुझसे हो गया था। जब यह बात मेरे पति को जानकारी हुई तो मेरे पति, संजय उर्फ संजू को घर आने से मना कर दिया। मैंने भी यह बात संजय उर्फ संजू से बतायी थी। मैंने संजय उर्फ संजू को अपने घर आने जाने के लिये मना किया, लेकिन यह बात उसे नागवार लगी, बुरी लगी। संजय उर्फ संजू मन ही मन मेरे पति से रंजिश रखने लगा और उसने अपने साथी सूरज पासी के सहयोग से मेरे पति की हत्या कर दी। मुझे यह नहीं मालूम था कि इतनी से बात पर संजय उर्फ संजू मेरे पति की हत्या कर देगा।" दसोगाजी मुझसे पूछताछ किया था। यही बयान मैंने दसोगाजी को दिया था।

पी0डब्लू-02/पी0डब्लू-04 नुजहत बेगम ने अभियोजन द्वारा की गयी गिरफ्त में बयान दिया है कि 28 जनवरी को संजय उर्फ संजू ने गुडिया के मोबाइल पर फोन किया और कहा और मुझसे बात किया और कहा कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो बहुत पक्षता आगी। यह कहकर मैंने कहा तुम्हें जो करना हो करो। मुझसे बात न करो। फिर मैंने अपने आदमी से संजू के फोन के बाद मोबाइल पर बात किया और कहा कि आज का आज जन्मदिन है। केक, कैंपस और दूध लेकर आईयें। जब मैंने अपने पति से बात किया, उस वक्त मेरे पति के साथ संजय उर्फ संजू था। ये बात फोन पर मेरे पति ने बतायी थी और फिर कई बार अपने पति के पास फोन किया तो फोन मेरे पति का स्वीच ऑफ बतता रहा था। इस फोन से बात करने के पश्चात करीब साढ़े नौ दस बजे रात को संजय उर्फ संजू मेरे घर आया था। उस वक्त मैंने अपने गेट पर ताला लगाकर घ

R के अंदर सोन
लेकर मेरे घर आया
उर्फ संजू के जाकेट में
मुझसे मटर का डिलका
वही अभी नहीं

र के अंदर सोने जा रही थी। संजू ने आवाज दिया था और गुड़िया को साथ लेकर मेरे घर आया। मेरे बच्चे ताज को गुट्टी भर चॉकलेट दिया। उसके संजय उर्फ संजू के जाकेट में कपड़े में सिर में मिट्टी लगी हुई थी। दारु पिये हुए था। मुझसे मटर का छिलका और भूसा मांगे थे। तब मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे साथ थे, वही अभी नहीं आये तो कहने लगा, गाड़ी चलाने गये हैं, मोवाईल नहीं उठा रहे हैं। स्वीच ऑफ बत रहा है। संजू उर्फ संजय ने कई बार मुझे धमकी दिया था कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो तुम्हारे आदमी को दारु पिला-पिलाकर मार डालेंगे और तुमको भी विजली की तार को छुवाकर मार डालूंगा। मेरे पति का जान से मारने की धमकी तीन-चार बार दिया था। यह कहना सही है कि संजू ने मेरे पति की हत्या कर दिया और दीपक संजू के चाचा का लडका है। उससे मेरे पति की मरने की सूचना भिजवा दिया। थाने पर संजू और सूरज ने मेरे सामने हाथ-जोड़ कर कहा था कि तुम्हारे पति की हत्या हम लोगों ने किया है माफ कर दो। तभी हमने संजू के मुंह पर एक कंटापं मारा था।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने बयान किया है कि दीपक ने मेरे पति की मृत्यु की सूचना 29 तारीख को सुबह सात बजे सूचना दिया था। सुबह जैसे ही दीपक ने मेरे पति की मृत्यु की सूचना दिया था तभी मेरी सारा और ननंद ने नकाब के ताश के पास पहुंचे थे। मुख्य परीक्षा में उपरोक्त सारी बातें जो आज बात रही हैं, ये बातें नहीं बतायी थी। मुझे सारी बातें याद थी, जो मुझसे पूछा गया था, वहीं बातें मैं बताती रही। दरोगा जी को जो उन्होंने पूछा था, वहीं सारी बातें बतायी थी। दीपक को सूचना देने वाली बात मैंने दरोगा जी को बताई थी। संजू के रात में आने वाली बात बतायी थी और मटर का छिलका देने वाली बात भी बतायी थी। संजू शादी शुदा है। उसके बच्चे हैं। संजू का घर मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर है। संजू के सबंध में मैंने अपने आदमी से पूछा था, तो उसने पावर हाउस में काम करने की बात बतायी थी। मैंने अपने पति के पास फोन लगाया था, तो पति से ही बात हुयी थी कि मेरे पति ने बताया था कि मैं संजू के साथ ही हूँ, नौ सवा गौं तक घर आ जाऊंगा। यह कहना गलत है कि मैं आज बता रही हूँ, वह झूठ बोल रही हूँ।

सी०डब्ल्यू-3 दीपक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल निवासी गंगासुददीनपुर भागलपुर थाना धूमनगंज इलाहाबाद ने सशपथ बयान किया है कि संजय उर्फ संजू गांव मोहल्ले के मेरे चाचा लगते हैं। मेरा घर और संजय उर्फ संजू का घर मेरे घर से 10-15 मीटर की दूरी पर है। मैं विक्रम मिस्त्री हूँ और मो० परवेज विक्रम चालक थे। मैं उनका अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी गाड़ी मैं बनाता था। मेरी विक्रम बनाने की दुकान महिला ग्राम चौफटका में है। मुझे मो० परवेज के मरने की सूचना सुबह सात बजे सोदान नाम के विक्रम चालक व्यक्ति ने बतायी थी। तब मृत्यु की सूचना मैंने मो० परवेज के घर पर जाकर उनकी माता

को दिया था। जहां पर मो० परवेज की लाश पड़ी, वहां पर मैं नहीं लेकिन सल्लापुर चौकी पर गया था। वहीं पर लाश देखी थी मृतक मो० परवेज सर पर गंभीर चोट का निशान मैंने देखा था।

न्यायालय द्वारा प्रश्न किये जाने पर इस साक्षी ने बयान किया है कि सादान ने मुझे परवेज के मरने की सूचना फोन से दिया था। मैं परवेज को और संजय उर्फ संजू दोनों को जानता था। परवेज और संजय कभी एक साथ मेरे पास नहीं आये थे। ना ही मैं उन लोगों के साथ कहीं गया था।

सी०डब्लू-4 मो० जीशान उर्फ सादान पुत्र स्व० मो० मोसिम निवासी ग्राम हटवा उपरहार थाना पूरामुफ्ती जनपद कौशांबी, ने सशपथ बयान किया है कि परवेज की लाश को मैंने पुलिस चौकी सल्लाहपुर में देखी थी। परवेज की मृत्यु की सूचना मैंने दीपक मिस्त्री को दी थी। कि उनके घरवालों को सूचना दे दे। दीपक विक्रम मैकेनिक है। अभियुक्त संजय उर्फ संजू और मृतक परवेज की आपस में घनिष्ठ मित्र थे। बाद में मुझे पता चला कि संजय उर्फ संजू का मृतक के पत्नी से कुछ चक्कर था। इस बात की मुझे जानकारी हुई थी कि संजय उर्फ संजू ने मृतक की पत्नी को फोन पर धमकी दिया था कि अगर मुझसे नहीं मिलोगी, नहीं बोलोगी तो तुम्हारे आदमी परवेज को मार दूंगा। जो मैंने सुना था। उसी को बता रहा हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने बयान किया है कि मेरा घर पुलिस चौकी से 10 कदम आगे है, दीपक के नंबर पर मैंने सात साढ़े बजे सुबह फोन करके पुलिस चौकी पर लाश रखी होने की सूचना दिया था। संजय और परवेज साथ बैठकरा चाय पिया करते थे। मैं परवेज की पत्नी और संजय उर्फ संजू के चक्कर के संबंध में किन लोगों से सुना मुझे याद नहीं। संजय उर्फ संजू के द्वारा परवेज की पत्नी को फोन करके उसके पति को जान से मारने की धमकी देने वाली बात मैंने किससे सुना था, यह मुझे याद नहीं है। मैं विक्रम पिछले चार वर्ष से चला रहा हूँ।

सी०डब्लू-5 गुड़िया बीवी पत्नी गरहम मो० सोहराब निवासेनी बेगम सराय शाही इमामबाड़ा कटरा थाना धूमनगंज जनपद इलाहाबाद ने सशपथ बयान किया है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ अरबी में कुरान शरीफ पढ़ी हूँ। जहां पर मैं रहती थी, उसी के बगल के कमरे में किराये पर नुजहत बेगम पत्नी स्व० परवेज भी रहती थी। मेरे मोबाइल पर संजय उर्फ संजू ने फोन किया था कि नुजहत बेगम से मेरी बात करा दो। तो मैंने नुजहत बेगम से संजय उर्फ संजू की बात करा दिया। नुजहत बेगम मेरे मोबाइल से अक्सर फोन लगाकर बातें अपने पति से और संजू से बात किया करती थी। इसलिए मेरा नंबर संजय उर्फ संजू के पास पहुंच गया। मुझे नहीं मालूम कि कितनी बार संजू उर्फ संजय ने मेरे मोबाइल पर बात किया था, याद नहीं है।

बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने बयान किया है कि मेरा घर पुलिस चौकी से 10 कदम आगे है, दीपक के नंबर पर मैंने सात साढ़े बजे सुबह फोन करके पुलिस चौकी पर लाश रखी होने की सूचना दिया था। संजय और परवेज साथ बैठकरा चाय पिया करते थे। मैं परवेज की पत्नी और संजय उर्फ संजू के चक्कर के संबंध में किन लोगों से सुना मुझे याद नहीं। संजय उर्फ संजू के द्वारा परवेज की पत्नी को फोन करके उसके पति को जान से मारने की धमकी देने वाली बात मैंने किससे सुना था, यह मुझे याद नहीं है। मैं विक्रम पिछले चार वर्ष से चला रहा हूँ।

बचाव पक्ष की जिरह में इस साक्षी ने बयान किया है कि मैं परवेज और उसकी पत्नी को जानती हूँ, मेरे वगल में रहते थे। हम लोगों के ही मकान में अलग-अलग कमरे में किराये पर रहते थे। परवेज की पत्नी ने एक बार मेरा फोन लेकर के बात किया था। किससे बात किया था, मैं नहीं जानती, मेरे फोन पर एक नंबर आता था और मैं अपना फोन ले जाकर मृतक परवेज की पत्नी की बात करने के लिए दे देती थी। अंतिम बार मेरे मोबाईल पर परवेज की पत्नी के लिए जब फोन आया मुझे याद नहीं है। घटना के हप्ता दस दिन पहले मेरे मोबाइल पर परवेज की पत्नी के लिए फोन आया था और घटना के संबंध में कुछ नहीं जानती।

न्यायालय द्वारा प्रश्न किये जाने पर इस साक्षी ने बयान किया है कि मैं उस आदमी का नाम नहीं जानती जो मेरे मोबाइल पर परवेज की पत्नी से बात करने के लिए फोन करता था। मेरे पूछने पर भी उसने अपना नाम नहीं बताया था। मैंने परवेज की पत्नी से पूछा कि कौन आदमी तुमको फोन करता है तो उसने बताया कि मेरे पति और रात सब लोग जानते हैं और वह हमारे घर भी आता-जाता है। परवेज की बीवी ने मेरे फोन से मेरे सामने कभी उस आदमी से बात नहीं किया। जब भी फोन आता था, मैं अपना फोन उसे देकर चली आती थी। मुझे याद नहीं कि कोई आदमी मेरे साथ जाकर रात में परवेज की पत्नी से भूसा और मटर का छिलका मांगा था। संजय को मैं पहचानती थी, क्योंकि वह परवेज के घर आता-जाता रहता था। संजू और परवेज की पत्नी के बीच क्या संबंध था, मैं नहीं जानती। मैं लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। मैं और परवेज का परिवार एक ही बिल्डिंग में अलग-अलग किराये पर रहते थे। आस-पड़ोस में क्या होता था। मुझसे मतलब नहीं। मेरे नंबर पर परवेज की पत्नी के अलावा, मेरे पड़ोसी के लिए कभी फोन नहीं आता था। परवेज की पत्नी और उसकी मां के बीच कभी झगड़ा हुआ हो। मैं नहीं जानती। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित संजय उर्फ संजू को देखकर कहा कि मुझे याद नहीं है कि यह वह आदमी है जो परवेज के घर आता-जाता था। इस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा।

सी०डब्लू-04 मो० जीशान उर्फ सादान के बयान से स्पष्ट है कि दिनांक 28.01.2019 को मृतक मो० परवेज की हत्या की सूचना उसके द्वारा सी०डब्लू-03 दीपक कुमार को दी गयी, जिसने मृतक मो० परवेज की हत्या की सूचना मृतक के परिवार के सदस्यों को दी गयी थी। सी०डब्लू-05 गुंडिया देवी के बयान से स्पष्ट है कि मृतक मो० परवेज की पत्नी नुजहत वेगम से अभियुक्त संजय उर्फ संजू गुंडिया देवी के मोबाइल से मृतक की मृत्यु के ठीक पहले अर्थात् 28.01.2019 को बात किया था जिसकी पुष्टि सी०डब्लू 02 के रूप में परीक्षित मृतक की पत्नी नुजहत वेगम के द्वारा दिये गये बयान से होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि

अभियुक्त संजय उर्फ संजू ने घटना के ठीक पहले मृतक की पत्नी को करने पर पछताने की धमकी दिया था।

पी.डब्लू.01 वादिनी नफीरा फातिमा तथा पी.डब्लू.04 नुजहत बेगम डबलू.05 गुडिया देवी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्त संजय उर्फ की मृतक मो० परवेज तथा उसके परिवार के सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध साक्षी गुडिया देवी के मोबाइल से अभियुक्त संजय उर्फ संजू की वातचीत मृतक मो० परवेज की पत्नी नुजहत बेगम से होती थी तथा अभियुक्त संजय उर्फ संजू का मृतक मो० परवेज की पत्नी पी. डबलू.04 नुजहत बेगम के साथ नजायज संबंध था। मृतक मो० परवेज की पत्नी नफीरा फातिमा द्वारा अभियुक्त संजय उर्फ संजू को अपने घर आने से मना करने पर उसी बुरा लगा तथा वह मृतक मो० परवेज से रंजिश रखने लगा। इस प्रकार उक्त साक्षियों के बयान से अभियुक्त संजय उर्फ संजू द्वारा मो० परवेज की हत्या कारित करने का हेतुक स्थापित होता है

20. पी.डबलू.01 वादिनी नफीस फातिमा की निशानदेही पर प्रकरण के विवेचक पी.डबलू.आर प्रभारी निरक्षक प्रदीप सिंह द्वारा घटना स्थल की निर्मित नक्शा नजरी प्रदर्श क-13 के अनुशीलन से पाया जाता है कि अक्षर ए से प्रदर्शित स्थल पर बेगमपुर सड़क के किनारे उत्तरी पटरी के उत्तर गहरी खाई में मृतक मो० परवेज की लाश तथा इसी स्थल से खून आलूदा मिट्टी पुलिस द्वारा कब्जे में लिये जाने तथा अक्षर 'बी' से दर्शित स्थल पर मृतक का आटे रिकशा टाडा होना तथा अक्षर 'ए1' से प्रदर्शित स्थल से सादी मिट्टी कब्जे में लिया जाना प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार विवेचक द्वारा निर्मित घटना स्थल की नक्शा नजरी प्रदर्श क13 से स्पष्ट है कि मो० परवेज की हत्या बेगमपुर सड़क के किनारे वहद शाम बेगमपुर में कारित हुई जहां से मृतक को खून आलूदा एवं सादी मिट्टी विवेचक द्वारा एकत्र की गई जिसे वस्तु प्रदर्श 3.4 के रूप में न्यायालय में साबित किया गया है जिसकी सम्पुष्टि पी.डबलू.02 मोनिस सईद के मौखिक अभिसाक्ष्य से होती है।

21. पी.डबलू.08 विवेचक प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार के बयान से स्पष्ट है कि पी.डबलू. 02 मोनिस सईद व साक्षी रोमाब पुत्र मो० सौराब निवासी बैरागीपुर थाना सराय अकिल जनपद कौशांबी हाल पता बेगमसराय थाना धूमनगंज प्रयागराज की उपस्थिति में मृतक मो० परवेज की हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल लोहे की राड व मफलर, अभियुक्तगण संजय उर्फ संजू व सूरज द्वारा दर्शित स्थल से बरामद करते हुए बरामदगी से संबंधित फर्द प्रदर्श क3 तथा बरामदगी सील से संबंधित नक्शा नजरी प्रदर्श क4 के विवेचक द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्श क3 में इस तथ्य का उल्लेख है कि अभियुक्तगण द्वारा कहा गया कि जिस राड लोहे से मृतक परवेज को चोट पहुंचाई गई वह काही रंग के मफलर से गर्दन में डालकर गला दबाया गया जिससे मृतक की मृत्यु हो गई थी राड व मफलर बरामद कर सकते हैं और पुलिस बल के साथ आगे आगे चलकर सुरजन सिंह पुत्र हरीशचन्द्र निवासी

बेगमपुर थाना
अभियुक्त सूरज
दोनों ने बताया कि
मृतक का गला कत्त
लिए गये राड लोहा
हाथ लम्बा है मौके पर
सर्व मोहर करण

वेगमपुर थाना पुरामुफ्ती के खेत में पूरब तरफ मेढ में लगे सरपत के झाड़ से अभियुक्त सूरज पासी की मौजदगी में संजय उर्फ संज ने निकालकर दिये और दोनों ने बताया यही राड है जिसे मृतक को चोट पहचाई यह वही मफलर जिससे मृतक का गला कसा व दबाया गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी कब्जे में लिए गये राड लोहा जिसमें खून लगा लम्बाई करीब तीन बीता तथा मफलर तीन हाथ लम्बा है मौके पर दोनों को अगल अलग दो सफेद कपड़े में रखकर सिलकर सर्व मोहर करके नमूना मोहर बनाया गया।

22. विवेचक द्वारा निर्मित नक्शा नजरी बरामदगी स्थल प्रदर्श क14 के अनुशीलन से पाया जाता है कि ग्राम वेगमपुर में सूरजन सिंह के खेत के पूरब मेढ सरपत में अक्षर "एक्स" से दर्शित स्थल से अभियुक्तगण द्वारा लोहे की राड व मफलर निकालकर विवेचक को दिया गया। उक्त बरामद आला कत्ल वस्तु प्रदर्श 1 व 2 के रूप में विवेचक द्वारा न्यायालय में साबित किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा मो0 परवेज की हत्या में प्रयुक्त मफलर व लोहे की राड बरामद कराया गया, जिससे तथ्य से यह निष्कर्षित होता है कि अभियुक्तगण को मो0 परवेज की हत्या में आला कत्ल लोहे की राड तथा मफलर प्रयुक्त होने की पूर्ण जानकारी थी।

23. पी.डब्लू 08 विवेचक प्रदीप कुमार सिंह के बयान से स्पष्ट है कि मो0 परवेज की मृत्यु से सम्बन्धित आला कत्ल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या दिनांकित 01.07.2019 कागज संख्या 19ख/1 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके परिशीलन से पाया जाता है विवेचक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित गला मुकदमा आला कत्ल लोहे की राड पर खून लगा हुआ था। उक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या से वस्तु प्रदर्श 1 व 2 केमशः घटना में प्रयुक्त लोहे की राड व मफलर का प्रयोग मो0 परवेज की मृत्यु में पर्याप्त होने के तथ्य की पुष्टि होती है।

24. पी डब्लू 07 डॉ ए.के. गुप्ता द्वारा मृतक मो0 परवेज की अंग परीक्षण आख्या प्रदर्श क12 में मृतक मो0 परवेज की शरीर पर कुल 5 चोटें दर्शायी गयी है जिसका विवरण इस प्रकार है-

चोट नं0-1- लेसरटेड वाउन्ड 6 X 2 X 1 से0मी0 सर के बीच माथे पर।

चोट नं0-2- लेसरटेड वाउन्ड 2 X 0.5 से0मी0 नाक और माथे के बीच नेजल बीच में।

चोट नं0-3- केश इजरी 3 X 3 से0मी0 नास्टेल और नेजल बोन टूटी हुई थी।

चोट नं0-4- फटा हुआ घाव 5 X 1 X 1 से0मी0 आकिपिटल रीजन में जो की 12 से0मी0 दाहिने कान से थी।

चोट नं०-5- लिगेचर मार्क 36 सेमी० लम्बा और चौड़ा पूरी गर्दन पर जिसकी दूरी हड्डी से 6 सेमी० दाहिने कान से 5 सेमी० बायें कान से 5 सेमी० दूर था। लिगेचर मार्क को काटने पर उसमें खून का थक्का पाया गया।

पी.डब्लू 07 ए.के गुप्ता द्वारा यह बयान दिया गया है कि लिगेचर मार्क को काटने पर उसमें खून का थक्का पाया गया मृतक के शरीर पर अकड़न मौजूद थी आँख बन्द थी व नाक से खून बह रहा था। मृतक की चोटे दुर्घटना से नही आ सकती लिगेचर मार्क किसी हार्ड व्हाइट ओब्जेक्ट से आ सकती है। मृत्यु का सभावित समय 3/4 डे पाया गया।

Ram Swaroop Vs State of U.P., 2000(40) ACC 432 (SC) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि--

It is well settled that doctor can never be absolutely certain on point of time duration of injuries.

Ramjee Rai Vs State of Bihar, 2007 (57) ACC 385 (SC) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि--

Medical Science has not reach such perfection so as to enable a medical fractioned to categorically indicate the exact timing of death.

पी०डब्लू 07 डा. ए.के गुप्ता के बयान से स्पष्ट है कि उनके द्वारा दिनांक 29.01.2019 को मृतक मो० परवेज के शरीर का अन्तः परीक्षण किया गया जिसमें उन्होंने मृतक की मृत्यु 3/4 दिन होना कहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में मो० परवेज की हत्या कारित होने के निश्चित समय के सम्बन्ध में दिये गये बयान का कोई विशेष महत्व नहीं है। साक्षी डा. ए.के गुप्ता के बयान से इस तथ्य की सम्पुष्टि होती है कि मो० परवेज की हत्या लोहे के राड एवं मफलर से गला कसने के कारण दम घुटने एवं मृत्यु पूर्व कारित चोटों के कारण कारित हुई है, जिसकी सम्पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या कागज संख्या-19ख/1 से होती है।

25- Mritunjoy Biswas Vs Pranab alias kuti Biswas & Another, AIR 2013 SC 3334 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि--**Merely because the accused was not named in the FIR, the same cannot be fatal to prosecution case.**

लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादिनी ने मो० परवेज की हत्या कारित करने से संबंधित व्यक्तियों का नाम अंकित नहीं किया है। लिखित तहरीर में अभियुक्तगण का नाम अंकित न होने से अभियोजन के केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित प्रकरण में अवधारित किया है। अतः लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 में अभियुक्तगण

को नामित न किया
बचाव पक्ष के विद्वान
26 माननीय न्याया
आर. 1974 पेज-2118
आशय का रमि-

को नामित न किये जाने से अभियोजन के केंस को बल न मिलने के संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

26 माननीय न्यायालय की विधि व्यवस्था ललाई बनाम उ.प्र. राज्य ए.आई. आर. 1974 पेज-2118 (सु.को.) के मामले में यह कहा गया है कि "सामान्य आशय का सीधा साक्ष्य जुटाना कठिन है। अतः सामान्य आशय का अनुमान मामले की परिस्थितियों से निकाला जा सकता है। अनेक तथ्य यथा अपराध के करने का समय तथा स्थल, अभियुक्तों के हथियार, उनमें परस्पर सम्बन्ध तथा अपराध करने में उनकी मिलकर की गयी कार्यवाही, सुसंगत है तथा उन पर न्यायालय को सामान्य आशय के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार करना चाहिए।

माननीय न्यायालय की विधि व्यवस्था भोला सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995 क्रि.लॉ जर्नल पेज-1830 के मामले में यह कहा गया है कि "जब दो अभियुक्त घटनास्थल पर एक साथ आये हैं और घटनास्थल को उन्होंने मानव हत्या करने के बाद एक साथ छोड़ा तब यह परिस्थिति अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि उन दोनों व्यक्तियों ने एक सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्यवाही की थी।

फर्द बरामदगी प्रदर्शक 3 तथा फर्द बरामदगी से सम्बन्धित स्थल की नक्शा नजरी क 14 के परिशीलन से स्पष्ट है कि स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में अभियुक्तगण संजय उर्फ संजू एवं सूरज पारी के द्वारा मो० परवेज की हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड एवं मफलर बरामद कराया गया है। यदि मृतक परवेज की हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल लोहे की रॉड एवं मफलर की जानकारी अभियुक्तगण को न होती तो कदाचित अभियुक्तगण घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल घटनास्थल पर पुलिस को बरामद कराने में समर्थ न होते। फर्द बरामदगी तथा साक्षियों के बयान के उपरान्त अभियुक्त संजय उर्फ संजू एवं सूरज पारी के विरुद्ध धारा 302/34 भा.द.संहिता के अपराध के अभियोग में अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। मृतक मो० परवेज के हत्या कारित होने की प्रत्येक कड़ी तथा परिस्थितियों अभियुक्तगण द्वारा एक साथ होकर साशय कारित किये जाने के तथ्य को प्रमाणित करती है। पत्रावली पर ऐसा कोई प्रतिकूल साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्तगण के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों ने मो० परवेज की हत्या कारित किया है। अभियोजन साक्षियों के समग्र बयान से मृतक मो० परवेज की हत्या अभियुक्तगण द्वारा साशय एकसाथ मिलकर कारित किया जाना साबित है।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत एवं उपरोक्त विवेचित
अभिलेखीय एवं अभियोजन के पारिक्षित साक्षियों के
अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 28.01.2019
रात्रि में किसी समय मो० परवेज की हत्या कारित करने का तथ्य युक्तियुक्त
संदेह से परे साबित है, अतः अभियुक्तगण धारा 302/34 भा.द.संहिता के
आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है अतः अभियुक्तगण संजय उर्फ संजू
तथा सूरज पासी को धारा 302/34 भा.द.संहिता के आरोप में दोषसिद्ध
किया जाता है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः दंड के प्रश्न
पर सुनवाई हेतु शीतकालीन अदकाश दिनांक 01.01.2021 को पत्रावली निर्णय
की प्रति के साथ पेश हो।

दिनांक 24.12.2020

(रमेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय कक्ष संख्या 01
कौशांबी।

01.01.2021

पत्रावली दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु निर्णय के साथ पेश हुई।
अभियुक्तगण जेर हिरासत उपस्थित हैं। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं
विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित आये। दंड के प्रश्न पर उभयपक्ष
के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कहा गया कि
अभियुक्तगण नवयुवक हैं। यह उनका प्रथम अपराध है। उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं,
जिनका भरण-पोषण करने वाला उनका आतिरेकत अन्य कोई सदस्य नहीं है। अतः
क्षमा किया जाये।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कहा गया
कि अभियुक्तगण ने एकराय होकर मृतक की पत्नी से अवैध संबंध के कारण
वादिनी के एकमात्र पुत्र मो० परवेज की साशय हत्या कारित की है। मृतक के
परिवार में उसकी मां, विधवा पत्नी तथा छोटे-छोटे बच्चे हैं। मृतक ही उनका
भरण-पोषण करता था। उनके भरण-पोषण का अन्य कोई सहारा नहीं बचा है।
मृतक की मां, पत्नी एवं बच्चों के भरण-पोषण व भविष्य को ध्यान में रखते हुए
आर्थिक सहायता के रूप में अर्थदंड के साथ ही कठोर दंड से दंडित किया
जाये।

निर्णय में विवेचित तथ्य से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने मृतक मो०
परवेज की पत्नी से नाजायज संबंध को लेकर मृतक मो० परवेज द्वारा विरोध करने
पर उसकी एकराय होकर साशय हत्या कारित किया। मो० परवेज की मृत्यु के

उपरोक्त उसकी मां (वादिनी)
धनराशि निधारित किया जाना
कारित अपराध के आरोप में निम्नलिखित
समीचीन है।

1. अभियुक्तगण संजय उर्फ संजू
संख्या-40/19, धारा-302/34 भा०द०सं०
प्रकरण में धारा-302/34

उपरांत उसकी मां (वादिनी), विधवा पत्नी तथा बच्चों के भरण-पोषण के लिए धनराशि निर्धारित किया जाना उचित है। तदनुसार अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में कारित अपराध के आरोप में निम्नलिखित आदेश में उल्लिखित दंडादेश दिया जाना समीचीन है।

:- आदेश:-

1. अभियुक्तगण संजय उर्फ संजू तथा सूरज पासी को मुकदमा अपराध संख्या-40/19, धारा-302/34 भा0द0स0 थाना-पूरामुफ्ती जनपद-कौशाम्बी के प्रकरण में धारा-302/34 भा0द0रा0 के अधीन कारित अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।
2. दोनों अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा तथा दो-दो लाख रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है।
3. अर्थदंड की पचास प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार को तथा शेष बची धनराशि में से 25 प्रतिशत मृतक की मां (वादिनी) एवं 75 प्रतिशत धनराशि मृतक की पत्नी को देय होगी।
4. अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम कारित किये जाने की दशा में अभियुक्तगण को पांच-पांच वर्ष के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा को भुगतनी होगी।
5. अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में जिला कारागार कौशाम्बी में विताई गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित होगी।
6. इस प्रकरण के अभियुक्तगण जिला कारागार कौशाम्बी में निरुद्ध हैं। अभियुक्तगण का सजायाबी वारंट बनाकर जिला कारागार कौशाम्बी को अविलम्ब प्रेषित किया जाए।
7. धारा 365 द0प्र0स0 के अनुपालन में इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट कौशाम्बी को प्रेषित की जाए।
8. अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।
9. बाद मियाद अपील माल मुकदमा नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

दिनांक : 01.01.2021

(रमेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या-01, कौशाम्बी।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 01.01.2021

(रमेश कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या-01, कौशाम्बी।



(1)

न्यायालय प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कौशाम्बी।

वार्षिक निरीक्षण- वर्ष 2020

निरीक्षणकर्ता- श्री वी०के० दुबे (जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी)

निरीक्षण का दिनांक- 17.02.2021

01. मेरे द्वारा इस न्यायालय व कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण दिनांक 17.02.2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि इस न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना से दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 06.08.2020 तक श्री अनुपम कुमार कार्यरत रहे तथा दिनांक 07.08.2020 से अब तक श्री रमेश कुमार यादव बतौर पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं।

02. इस न्यायालय में निरीक्षण वर्ष में सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा किये गये त्रैमासिक निरीक्षण का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	त्रैमास	पीठासीन अधिकारी का नाम	निरीक्षण की तिथि	जिला जज के कार्यालय में भेजे जाने की तिथि
01.	मार्च, 2020	श्री अनुपम कुमार	20 / 21.03.2020	21.05.2020
02.	जून, 2020	श्री अनुपम कुमार	29 / 30.06.2020	19.08.2020
03.	सितम्बर, 2020	श्री रमेश कुमार यादव	16.09.2020	12.10.2020
04.	दिसम्बर, 2020	श्री रमेश कुमार यादव	22 / 24.12.2020	25.01.2021

इस प्रकार निरीक्षण आख्या अनुपालन के पश्चात प्रशासकीय कार्यालय को क्रमशः दिनांक 21.05.2020, 19.08.2020, 12.10.2020 एवं 25.01.2021 को प्रेषित किया जाना दर्शित किया गया है।

03. पीठासीन अधिकारी द्वारा किये गये त्रैमासिक निरीक्षण व्यावहारिक एवं प्रभावकारी हैं।

04. निरीक्षण के समय इस न्यायालय व कार्यालय में निम्नलिखित कर्मचारीगण नियुक्त हैं: -

क्र० सं०	नाम कर्मचारीगण	पदनाम	नियुक्ति का दिनांक
01.	श्री प्रशान्त मिश्रा	आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक	27.10.2020
02.	श्री प्रदीप कुमार मौर्य	रीडर / मुंसरिम	13.10.2020
03.	श्री रजनी कांत त्रिपाठी	सत्र लिपिक	21.08.2020
04.	श्री विजय कुमार	सहायक लिपिक	22.04.2019
05.	श्री वीरेन्द्र दुबे	कार्यालय चपरासी	21.08.2020
07.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	अर्दली	18.08.2020

इस न्यायालय में लम्बित वादों की संख्या को देखते हुये, इस न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है।

05-06. यह न्यायालय कक्ष नवनिर्मित भवन के प्रथम तल पर स्थित है। इस न्यायालय कक्ष से लगा हुआ पीठासीन अधिकारी का विश्राम कक्ष व आशुलिपिक कक्ष हैं तथा इस न्यायालय का कार्यालय कक्ष भी इस न्यायालय से लगा हुआ है। न्यायालय कक्ष व कार्यालय कक्ष अच्छी दशा में है तथा इसमें प्रकाश की समुचित व्यवस्था है। न्यायालय में जो भी फर्नीचर उपलब्ध हैं वे अच्छी दशा में हैं। फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में हैं।

07. इस न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से अन्तरित वाद जैसे-सत्र परीक्षण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण, सिविल अपील, प्रकीर्ण सिविल अपील तथा सिविल पुनरीक्षण की सुनावार्ड की जाती है। सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से समय-समय पर स्थानान्तरित जमानत प्रार्थना पत्रों का भी निस्तारण इस न्यायालय द्वारा किया जाता है।

08. निरीक्षण के समय बताया गया कि इस न्यायालय कक्ष के बाहर नोटिस बोर्ड लगा है जिस पर साप्ताहिक वादों की सूची लगायी गयी है।

09. निरीक्षण के दौरान बताया गया कि इस न्यायालय में दिसम्बर, 2020 के अन्त में सत्र परीक्षण 213, दाण्डिक अपील 05, दाण्डिक पुनरीक्षण 32, दाण्डिक प्रकीर्ण वाद 17, जमानत प्रार्थना पत्र 03 कुल मिलाकर 270

(3)

फौजदारी वाद लम्बित थे तथा दीवानी अपील 02, दीवानी पुनरीक्षण 04, प्रकीर्ण सिविल अपील 06, दीवानी प्रकीर्ण-74 वाद 28 तथा प्रकीर्ण-70 115 कुल मिलाकर 155 दीवानी वाद थे । इस प्रकार इस न्यायालय में फौजदारी, दीवानी व जमानत प्रार्थना से संबंधित कुल 425 वाद दिसम्बर, 2020 के अन्त तक लम्बित थे, जिनसे सम्बन्धित विवरण प्रोफार्मा 9ए के रूप में संलग्न है ।

9बी. दस पुराने वादों का विवरण प्रारूप 9बी के रूप में संलग्न है।

9सी. लम्बित वादों का वर्षानुसार विवरण प्रारूप 9सी के रूप में संलग्न किये गये हैं।

10ए. निरीक्षण के दौरान बताया गया कि इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निरीक्षण वर्ष में गुणदोष के आधार पर 00 सत्र परीक्षण, 05 विशेषवाद (लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012), 02 फौजदारी निगरानी, 09 फौजदारी अपील, 03 प्रकीर्ण फौजदारी, 00 मोटर दुर्घटना वाद, 00 सिविल निगरानी, 00 सिविल अपील, इस प्रकार कुल 19 वाद निर्णीत किया जाना बताया गया, जिनसे सम्बन्धित विवरण प्रोफार्मा 10ए के रूप में संलग्न है।

10बी. इस निरीक्षण वर्ष में गुणदोष पर निर्णीत सभी प्रकार के वादों का वर्षानुसार विवरण प्रारूप 10बी के रूप में संलग्न है।

10सी. इस निरीक्षण वर्ष में पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई भी वाद एकपक्षीय/अदम पैरवी के आधार पर निर्णीत नहीं किया जाना बताया गया।

10डी. इस निरीक्षण वर्ष में इस न्यायालय द्वारा कोई वाद अन्य प्रकार से निर्णीत नहीं किया गया है ।

11.ए ता के: पीठासीन अधिकारी एवं रीडर की डायरी का अवलोकन किया। दोनों डायरियों में आवरण पृष्ठ पर लेबिल चरप्पा है और स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग लिखी गयी है। पीठासीन अधिकारी की पंजिका में कुछ प्रविष्टियाँ

(4)

पीठासीन अधिकारी के हस्तलेख में है। पीठासीन अधिकारी पंजिका में प्रविष्टियाँ स्वयं किया करें। प्रत्येक तिथियों को पर्याप्त मुकदमें सुनवाई के लिए लगाये गये हैं और पर्याप्त काम है। प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित साक्षियों को सम्बन्धित वाद में तिथि नियत करने के पहले अवश्य परीक्षित किया गया है। जिन वादों को स्थगित किया गया है, उनके स्थगन के सम्बन्ध में पर्याप्त आधार होने पर ही पीठासीन अधिकारी द्वारा उन वादों को स्थगित किया गया है। एक सप्ताह में पीठासीन अधिकारी द्वारा 3-4 मुकदमों में अधिवक्ता के व्यक्तिगत आधार पर, समय न होने के कारण तथा विपक्षी द्वारा आपत्ति न किये जाने पर अन्य तिथियाँ नियत की गयी हैं। रीडर की डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनकी डायरी 16.02.2021 तक अग्रसारित की गयी है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 18.12.2020 से दिनांक 24.12.2020 तक नियत किये गये वादों एवं इनमें किये गये कार्यों से सम्बन्धित विवरण संलग्न किया गया है। उक्त तिथियों को नियत वादों तथा इनमें किये गये कार्यों का विवरण निम्न है-

दिनांक 18.12.2020 को 13 मुकदमें सुनवाई के लिए नियत किये गये जिनमें से 01 मुकदमें में बहस सुना जाना तथा अन्य मुकदमों में पक्षकारों के अनुरोध पर अन्य तिथि नियत किया जाना दर्शित किया गया है।

दिनांक 19.12.2020 को 11 मुकदमें सुनवाई के लिए नियत किये गये, जिनमें पक्षकारों को सम्मन भेजने का आदेश निर्गत किया गया तथा अन्य तिथि नियत किया जाना दर्शित किया गया है।

दिनांक 21.12.2020 को 20 मुकदमें सुनवाई के लिए नियत किये गये थे। इस तिथि पर पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे। अतः मुकदमों में पक्षकारों के अनुरोध पर अन्य तिथि नियत किया जाना दर्शित किया गया है।

दिनांक 22.12.2020 को 21 मुकदमें सुनवाई के लिए विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी डायरी में नियत किये गये जिनमें 02 मुकदमें

पीठासीन अधिकारी द्वारा
का बयान अंतर्गत धारा-313 द
में पक्षकारों के अनुरोध पर अन्य

दिनांक 23.12.2020 को
23 मुकदमें सुनवाई के लिए

(5)

में पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस सुनी गयी तथा 02 मुकदमों में अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा-313 द0प्र0स0 अंकित किया जाना तथा अन्य मुकदमों में पक्षकारों के अनुरोध पर अन्य तिथि नियत किया जाना बताया गया।

दिनांक 23.12.2020 को पीठासीन अधिकारी की डायरी में कुल 23 मुकदमों सुनवाई के लिए नियत किये गये थे। इस तिथि पर पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे। अतः मुकदमों में पक्षकारों के अनुरोध पर अन्य तिथि नियत किया जाना दर्शित किया गया है।

दिनांक 24.12.2020 को 11 मुकदमों सुनवाई के लिए विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी डायरी में नियत किये गये जिनमें 01 मुकदमों में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना, एक मुकदमों में डी0डब्लू-01 का बयान अंकित किया जाना तथा अन्य मुकदमों में पक्षकारों के अनुरोध पर अन्य तिथि नियत किया जाना बताया गया।

जिन वादों के निस्तारण के बाद डिक्रियो बनाना आवश्यक होता है उनमें डिक्रियो दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 20, नियम 21 व नियम 98 तथा परिपत्र के पेज 391, 393 से 395 में दिये गये निर्देशों के अनुसार बनाया जाना बताया गया।

12. इस निरीक्षण वर्ष में किसी पक्षकार का बयान वाद बिन्दु निर्मित करने के पूर्व किसी भी मुकदमों में नहीं लिया गया है। पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे कृपया जिन मामलों में आवश्यक हो याचिका में अभिवचनों को स्पष्ट कराने के लिए पक्षकारों का बयान अंकित कर लिया करें।

13. निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि इस न्यायालय में संरक्षक नियुक्ति से सम्बन्धित कोई वाद विचाराधीन नहीं हैं इसलिये किसी अवसर को नोटिस नहीं जारी की गयी है।

14. ए ता सी: अधिवक्ता आयुक्त या अमीन की आख्या से सम्बन्धित

Signed
for completion

(6)

कोई वाद इस निरीक्षण वर्ष में इस न्यायालय में लम्बित नहीं होना
गया।

विवरण दिनांक 05.03.2020
09.04.2020 को माह अप्रैल
को, माह मई 2020 का मासिक
2020 का मासिक विवरण दिनांक
मासिक विवरण दिनांक 05.08.2020
विवरण दिनांक 04.09.2020
दिनांक

15. निरीक्षण के समय बताया गया कि इस न्यायालय में कोई
इजरा वाद लम्बित नहीं है।

16 ता 20. निरीक्षण के समय बताया गया कि इस न्यायालय में कोई
इजरा वाद लम्बित नहीं है।

21. ए.बी.सी.डी.: निरीक्षण के समय बताया गया कि इस न्यायालय में
कोई मूल वाद लम्बित नहीं है।

22. निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि माननीय उच्च
न्यायालय से 01 फौजदारी मुकदमा स्थगित है, जिनसे सम्बन्धित विवरण
प्रोफार्मा नं० 22 के रूप में संलग्न है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित लिपिक को
यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह कम्प्युटर कक्ष से सम्बन्धित मुकदमों
का स्टेटस प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न करें व जानकारी प्राप्त कर आवश्यक
कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

Supported
4

23. निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि प्रकीर्ण सिविल
अपील, सिविल पुनरीक्षण या दाण्डिक पुनरीक्षण, जिनमें अधीनरथ न्यायालय से
वाद की कार्यवाही स्थगित की गयी है या मूल अभिलेख तलब किया गया है,
उनको पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया
जा रहा है।

24. इस न्यायालय द्वारा निर्णीत पत्रावलियों को अभिलेखागार संचित
कराने की नियत तिथि प्रत्येक माह की 25 तारीख है। निरीक्षण के दौरान
बताया गया कि माह दिसम्बर, 2020 तक निर्णीत समस्त पत्रावलियों को
अभिलेखागार संचित किया जा चुका है।

25. निरीक्षण के दौरान बताया गया कि निरीक्षण वर्ष में जनवरी, 2020
का मासिक विवरण दिनांक 03.02.2020 को, माह फरवरी, 2020 का मासिक

(7)

विवरण दिनांक 05.03.2020 को, माह मार्च 2020 का मासिक विवरण दिनांक 09.04.2020 को, माह अप्रैल 2020 का मासिक विवरण दिनांक 05.05.2020 को, माह मई 2020 का मासिक विवरण दिनांक 02.07.2020 को, माह जून 2020 का मासिक विवरण दिनांक 02.07.2020 को, माह जुलाई 2020 का मासिक विवरण दिनांक 05.08.2020 को, माह अगस्त 2020 का मासिक विवरण दिनांक 04.09.2020 को, माह सितम्बर 2020 का मासिक विवरण दिनांक 03.10.2020 को, माह अक्टूबर 2020 का मासिक विवरण दिनांक 03.11.2020 को, माह नवम्बर 2020 का मासिक विवरण दिनांक 02.12.2020 को एवं माह दिसम्बर 2020 का मासिक विवरण दिनांक 02.01.2021 को प्रशासनिक कार्यालय भेजे गये हैं। त्रैमासिक विवरण त्रैमास मार्च 2020 का विवरण दिनांक 09.04.2020 को, त्रैमास जून 2020 का विवरण दिनांक 02.07.2020 को, त्रैमास सितम्बर 2020 का विवरण दिनांक 16.10.2020 को एवं त्रैमास दिसम्बर 2020 का विवरण दिनांक 06.01.2021 को प्रशासनिक कार्यालय भेजा गया है। माह जून 2020 की छमाही विवरणी दिनांक 07.07.2020 को एवं माह दिसम्बर, 2020 की छमाही विवरणी दिनांक 06.01.2021 को प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त करायी गयी हैं। इस प्रकार अधिकांश मासिक, त्रैमासिक व छमाही विवरण समय से प्रशासनिक कार्यालय प्रेषित नहीं किये गये हैं। यह आपत्तिजनक है। मुन्सरिम/रीडर/सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में उपरोक्त विवरणों को समय से प्रशासनिक कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

26. निरीक्षण के समय बताया गया कि निरीक्षण वर्ष में इस न्यायालय में कोई निरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वे पत्रावलियों का बिना निरीक्षण प्रार्थना पत्र के निरीक्षण न करायें। अवैध निरीक्षण रुक जाने पर निश्चित ही निरीक्षण प्रार्थना पत्रों की संख्या बढ़ेगी।

27. निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि निरीक्षण वर्ष में कोई भी स्टाम्प निरीक्षक की निरीक्षण आख्या अनुपालन हेतु शेष नहीं है।

28. निरीक्षण के समय बताया गया कि पत्रावलियों के प्रेषण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं नकल विभाग से कोई

प्रति-प्रेषण लम्बित नहीं है।

29. निरीक्षण के दौरान रीडर द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय में सामान्य नियमावली सिविल एवम् दाण्डिक की पुस्तकें प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में रीडर को निर्देश दिया जाता है वह सामान्य नियमावली सिविल एवम् दाण्डिक से सम्बन्धित पुस्तकें पुस्तकालय से प्राप्त कर उनमें समय-समय पर प्राप्त संशोधनों को अबिलम्ब अंकित करना सुनिश्चित करें।

Sim Nataraj

30. निरीक्षण के समय बताया गया कि इस निरीक्षण वर्ष में माह जून, 2020 का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण वाचक द्वारा नहीं किया गया है। अर्द्धवर्ष दिसम्बर, 2020 का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण रीडर/मुंसरिम द्वारा दिनांक 23.12.2020 को किया गया है। इस संबंध में रीडर/मुंसरिम को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनों अर्द्धवार्षिक निरीक्षण समय पर करना सुनिश्चित करें।

Sim Nataraj

31. पीठासीन अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लेख एवं कार्य से संतुष्ट हैं।

32. निरीक्षण के दौरान रीडर द्वारा बताया कि इस न्यायालय में स्थाई रूप से विधि पुस्तकें प्राप्त नहीं हैं। इस सम्बन्ध में रीडर को निर्देश दिया जाता है वे स्थाई रूप से विधि पुस्तकें पुस्तकालय से अविलम्ब प्राप्त करें तथा स्थाई रूप से प्रदत्त पुस्तकों की एक पंजिका तैयार करके उसमें उनका विवरण अंकित करें।

Sim Nataraj

33. निरीक्षण के समय कार्यालय लिपिक द्वारा बताया गया कि पुस्तकालय से नानसेलेबल फार्मों को प्राप्त करने के लिए इंडेंट समय से भेजकर उन्हें प्राप्त कर लिया जाता है तथा उनका प्रयोग किया जाता है।

34. न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित पत्रावलियों का अवलोकन किया:-

01:-

सत्र परदे
अपराध संख्या 503/2016
भा040सं0 व धार-7 लेबल
कोखराज. ज.

01:- सत्र परीक्षण संख्या-164/2019, राज्य प्रति माजिद अली आदि अपराध संख्या 503/2016, धारा-147,148,149,307,332,333,353,504,427,325 भा0द0सं0 व धारा-7 सी0एल0ए0 व 3/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी। इस पत्रावली में अभियुक्त के विरुद्ध सम्मन जारी करने के लिए आदेश दिनांक 02.11.2020 को पारित किया गया जिसका अनुपालन कार्यालय लिपिक द्वारा दिनांक 30.11.2020 को किया जाना उल्लिखित है।

02:- सत्र परीक्षण संख्या-150/2019, राज्य प्रति महेन्द्र कुमार, अ. सं. 20/2019, धारा-315,504 भा.द.सं थाना मोहब्बपुर पड़सा, जनपद कौशाम्बी। इस पत्रावली में अभियुक्त महेन्द्र कुमार के विरुद्ध सम्मन की कार्यवाही जारी करने के लिए आदेश दिनांक 09.11.2020 को पारित किया गया जिसका अनुपालन कार्यालय लिपिक द्वारा दिनांक 10.11.2020 को किया जाना उल्लिखित है।

03:- सत्र परीक्षण संख्या-24/2020, राज्य प्रति दक्खिनी व अन्य अ.सं. 232/2019, धारा-302,201,120बी भा.द.सं. थाना करारी, जनपद कौशाम्बी। इस पत्रावली से अभियुक्तगण के विरुद्ध सम्मन की कार्यवाही जारी करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2020 किया गया था जिसका अनुपालन लिपिक द्वारा दिनांक 24.11.2020 को किया जाना उल्लिखित है।

इस प्रकार पत्रावलियों पर पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में पत्रावलियों का अवलोकन किये जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अधिकांश पत्रावलियों में कार्यालय द्वारा आदेश का अनुपालन तीन दिन के अन्दर नहीं किया गया है। सम्बन्धित लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय के आदेश का अनुपालन तीन दिन के अन्दर अवश्य कर दिया करें।

इस न्यायालय/कार्यालय में अनुरक्षित पंजिकाओं का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया जो निम्नवत है :-

01. पंजिका प्रारूप संख्या-103 (स्याहा रजिस्टर):-

यह पंजिका सादे कागज पर तैयार की गयी है जो दिनांक 01.10.2018 से अनुरक्षित की गयी है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 19.03.2020 को की गयी है जो वाद संख्या- 215/17 सरकार बनाम अशोक से सम्बन्धित है। इस पंजिका में दैनिक व मासिक,

त्रैमासिक तथा वार्षिक योग का भी विवरण अंकित है। इस निरीक्षण
 कुल योग मु०-1034 रूपये का विवरण अंकित है, किन्तु प्रविष्टि प्रारूप
 अनुसार अंकित नहीं है। सम्बन्धित लिपिक/रीडर को निर्देशित किया
 है कि पंजिका में सभी प्रार्थना पत्रों का और उन पर लगे हुए न्याय शुल्क का
 विवरण पंजिका में प्रविष्टि प्रारूप के अनुसार अंकित करना सुनिश्चित करें।
 इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न करें। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर
 लेबिल तथा इसके स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग लगी है।

02. पंजिका प्रारूप संख्या-80 (सिविल अपील):-

यह पंजिका सादे कागज पर दिनांक 24.04.2018 से अनुरक्षित
 है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 30.06.2020 को
 की गयी है जो वाद संख्या-12/2019 नसीर अब्बास बनाम कलेक्टर जिला
 मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी से सम्बन्धित है। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल
 चस्पा है तथा स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग लगी है।

03. पंजिका प्रारूप संख्या-70 (प्रकीर्ण वाद):-

यह पंजिका सादे कागज पर माह अप्रैल, 2012 से अनुरक्षित
 है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 15.10.2020 को
 की गयी है जो प्रकीर्ण वाद 14/70/2020 चन्द्रकली बनाम नथनलाल से
 सम्बन्धित है। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल चस्पा है तथा स्तम्भों
 के शीर्ष पर हेडिंग लगी है।

04. पंजिका प्रारूप संख्या-74 (प्रकीर्ण वाद):-

यह पंजिका सादे कागज पर माह अप्रैल, 2012 से अनुरक्षित
 है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अन्तिम प्रविष्टि 30.05.2020 को की गयी
 है जो प्रकीर्णवाद संख्या-61/74/19 शकुंधा देवी बनाम रमेश प्रसाद से
 सम्बन्धित है। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल चस्पा है तथा स्तम्भों
 के शीर्ष पर हेडिंग लगी है किन्तु प्रविष्टियाँ स्तम्भों के शीर्ष पर लगी हेडिंग
 के अनुसार नहीं की गयी है। अतः सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया
 जाता है कि वे इस पंजिका में प्रविष्टियाँ इसके शीर्ष पर लगी हेडिंग के
 अनुसार ही किया करें।

05. पंजिका सी.एल.नं.-82 VII-
 यह पंजिका सादे
 है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की
 जो वीवानी पुनरीक्षण
 सम्बन्धित

Sh. N. Singh

Sh. N. Singh

05. पंजिका सी.एल.नं.-02 VII -236(सिविल पुनरीक्षण)-:

यह पंजिका सादे कागज पर माह अप्रैल, 2012 से अनुरक्षित है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अन्तिम प्रविष्टि 30.06.2020 को की गयी है जो दीवानी पुनरीक्षण संख्या-7/19 पंकज कुमार बनाम प्रेमा देवी से सम्बन्धित है। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल चस्पा है तथा स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग लगी है।

06. पंजिका प्रारूप संख्या-14(दाण्डिक निगरानी)-:

यह पंजिका सादे कागज पर माह अप्रैल, 2012 से तैयार की गयी है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 10.12.2020 को की गयी है जो फौजदारी निगरानी सं-02/2020 आशा देवी बनाम सरकार से सम्बन्धित है। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल चस्पा है तथा स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग लगी है।

07. पंजिका प्रारूप संख्या-13(दाण्डिक अपील)-:

यह पंजिका सादे कागज पर माह अप्रैल, 2012 से अनुरक्षित है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 24.06.2020 को की गयी है जो दाण्डिक अपील संख्या-20/19 सरकार बनाम अताउल्ला से सम्बन्धित है। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल चस्पा है तथा स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग लगी है।

08. पंजिका प्रारूप संख्या-11 (दाण्डिक प्रकीर्ण वाद)-:

यह पंजिका सादे कागज पर माह अप्रैल, 2012 से अनुरक्षित की गयी है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अन्तिम प्रविष्टि 12.11.2020 को की गयी है जो प्रकीर्णवाद संख्या-28/20 रामदुलारे बनाम राज्य से सम्बन्धित है। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल चस्पा है तथा स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग लगी है।

09. पंजिका प्रारूप संख्या-15(सत्र परीक्षण)-:

यह पंजिका सादे कागज पर जनवरी, 2014 से अनुरक्षित की

इस निरीक्षण वर्ष की अन्तिम प्रविष्टि प्रविष्टि किया जा रहा है।

गयी है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अंतिम प्रविष्टि दिनांक को की गयी है जो सत्र परीक्षण संख्या- 73/2019 राज्य प्रति उर्फ कुटरा से सम्बन्धित है। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल है तथा स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग लगी है।

इस पंजिका में न्यायालय (पाक्सो एक्ट) में दिये गये दण्ड निरीक्षण वर्ष की अंतिम प्रविष्टि दिनांक वाद संख्या-296/15 राज्य प्रति आवरण पृष्ठ पर लेबिल चस्पा है।

10. पंजिका प्रारूप संख्या-2 (अर्थदण्ड रजिस्टर)-:

यह पंजिका माह जून, 2014 से अनुरक्षित की गयी है। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये मासिक प्रमाणपत्र के अनुसार माह दिसम्बर, 2020 के प्रारम्भ में मु0-22,89,250/-रूपया अर्थदण्ड की वसूली अवशेष थी। माह दिसम्बर, 2020 में कोई भी अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया गया। इस माह में किसी प्रकार का अर्थदण्ड वसूल नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय से मु0-7,79,000/-रूपये की वसूली स्थगित है तथा मु0-15,10,250/-रूपये अर्थदण्ड के बाबत अभियुक्तगण सजा काट रहे हैं। इस प्रकार माह दिसम्बर, 2020 के अन्त में मु0-22,89,250/-रूपया की वसूली अवशेष होना दर्शित है।

निरीक्षण के समय बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा माह दिसम्बर, 2020 तक जमा अर्थदण्ड का सत्यापन कोषागार से कराया जा चुका है।

11. पंजिका प्रारूप संख्या-12ए (जमानत प्रार्थना पत्र रजिस्टर)-:

यह पंजिका सादे कागज पर तैयार कर माह मई, 2012 से अनुरक्षित की गयी है। इस पंजिका में जनपद न्यायाधीश के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त जमानत प्रार्थना पत्रों तथा इस न्यायालय में प्रस्तुत पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित जमानत पत्रों को दर्ज किया जाता है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अंतिम प्रविष्टि दिनांक 17.12.2020 को की गयी है जो जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1121/2020, अ.सं. 75/2020 अन्तर्गत धारा-302 भा0द0स0 जगदीश पासी बनाम राज्य से सम्बन्धित है। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल चस्पा है तथा स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग लगी है।

12. पंजिका प्रारूप संख्या-16 (दण्ड रजिस्टर)-:

यह पंजिका सादे कागज पर माह अप्रैल, 2012 से अनुरक्षित है।

इस पंजिका में न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षाओं एवं फौजदारी वादों (पाक्सो एक्ट) में दिये गये दण्ड का उल्लेख किया जाता है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अंतिम प्रविष्टि दिनांक 25.02.2020 को की गयी है जो विशेष सत्र वाद संख्या-296/16 राज्य प्रति विनोद से संबंधित है। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल चस्पा है तथा स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग लगी है।

13. पंजिका प्रारूप संख्या-9 (पाक्सो अधिनियम):-:

यह पंजिका सादे कागज पर तैयार कर माह जनवरी 2019 से अनुरक्षित की गयी है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अंतिम प्रविष्टि दिनांक 25.02.2020 को की गयी है जो परिवाद संख्या-2/2020 चन्द्रकिशोर बनाम सुरेश कुमार से संबंधित है, चूंकि पाक्सों अधिनियम का क्षेत्राधिकार इस न्यायिक अधिष्ठान के अन्य न्यायालयों को प्राप्त हुआ है इसलिए यह पंजिका मार्च 2020 से इस न्यायालय के प्रयोग में नहीं है।

14. पंजिका प्रारूप संख्या-45

यह पंजिका फौजदारी वाद के निर्णय से सम्बन्धित है तथा सादे कागज पर तैयार की गयी है। यह पंजिका दिसम्बर, 2010 से अनुरक्षित है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 06.03.2020 को की गयी है जो दांडिक निगरानी संख्या-18/2020 कृष्णाकांत बनाम राज्य से सम्बन्धित है।

15. अन्तिम आख्या से सम्बन्धित पंजिका:-:

यह पंजिका सादे कागज पर तैयार कर अगस्त, 2018 से अनुरक्षित की गयी है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 09.02.2020 को की गयी है जो अंतिम आख्या संख्या-04/2020 रामबाबू बनाम मुलायम सिंह से संबंधित है। चूंकि पाक्सों अधिनियम का क्षेत्राधिकार इस न्यायिक अधिष्ठान के अन्य न्यायालयों को प्राप्त हुआ है इसलिए यह पंजिका मार्च 2020 से इस न्यायालय के प्रयोग में नहीं है।

16. बयान का रजिस्टर:-:

यह पंजिका सादे कागज पर दिनांक 24.04.2018 से अनुरक्षित की गयी है। इस पंजिका में न्यायालय में उपस्थित होने वाले साक्षियों के बयान अंकित किये जाने व अधिवक्तागण को प्रतिलिपि जारी किये जाने का

इन्द्राज किया जाता है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष की दिनांक 24.12.2020 को की गयी है, जिसमें वाद संख्या 110/2018 बनाम नरेन्द्र कुमार में डी.डब्लू. 01 का वयान अंकित किया जाना पंजिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें दैनिक व मासिक योग लिखा गया है लेकिन साप्ताहिक योग नहीं लिखा गया है। इस सम्बन्ध में रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में साप्ताहिक योग भी लिखना सुनिश्चित करें तथा पंजिका को प्रतिदिन पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ रखा करें। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल चस्पा है तथा स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग लगी है।

Sin
Natu
①

20. पंजिकाओं की प
सह पंजिका
अनुरक्षित है। इस पंजिका
पंजिकाओं -

17. पंजिका प्रारूप संख्या-18 (खर्चा गवाह रजिस्टर)-:

यह पंजिका सादे कागज पर अप्रैल, 2012 से अनुरक्षित है। यह पंजिका खर्चा गवाहान व प्रमाण पत्र से सम्बन्धित है। इस पंजिका में निरीक्षण वर्ष में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल चस्पा है तथा स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग लगी है।

18. पंजिका प्रारूप संख्या-67-:

यह पंजिका सादे कागज पर अप्रैल, 2018 से अनुरक्षित है। यह पंजिका एम.ए.सी.पी. वादों व अन्य वादों में किये गये फ़ैसले से सम्बन्धित है। इस पंजिका की निरीक्षण वर्ष में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल चस्पा है तथा स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग लगी है।

19. प्रोसेस रजिस्टर-:

यह पंजिका सादे कागज पर तैयार कर अक्टूबर, 2013 से अनुरक्षित है। यह पंजिका न्यायालय द्वारा पारित आदेशिकाओं को दर्ज कर संबंधित को प्राप्त कराने हेतु संरक्षित की गयी है। इस पंजिका पर निरीक्षण वर्ष की अंतिम प्रविष्टि दिनांक 01.12.2020 को की गयी है जो वाद संख्या-49/2007 सरकार बनाम अब्दुल कादिर थाना कोखराज से संबंधित है। इस पंजिका के आवरण पृष्ठ पर लेबिल चस्पा है तथा स्तम्भों के शीर्ष पर हेडिंग नहीं लगी है। इस संबंध में लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजिका पर नियमानुसार हेडिंग लगाकर दर्ज करना सुनिश्चित करें।

Sin
Natu
①

20. पंजिकाओं की पंजिका-:

यह पंजिका सादे कागज पर तैयार कर माह जनवरी 2020 से अनुरक्षित है। इस पंजिका पर न्यायालय एवं कार्यालय के कार्य सम्बन्धी पंजिकाओं का अंकन किया जाता है। इस पंजिका की अंतिम प्रविष्टि प्रासेस रजिस्टर से सम्बन्धित है।

35 ए ता डी.पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने को पूरे दिन व्यस्त रखने हेतु पर्याप्त कार्य प्रतिदिन नियत किया गया है और प्रतिदिन पर्याप्त कार्य किये जाने का प्रयास किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावलियों में विधि पूर्वक सुनवाई करके सम्यक कार्यवाही की गयी है। पीठासीन अधिकारी का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण न्यायालय एवं कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों पर है। पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद बिन्दुओं को निर्मित करते समय उभय पक्षों के अभिवचनों को ध्यान में रखते हुए वाद बिन्दु निर्मित किये जाते हैं। अवयस्क एवं विक्षिप्त व्यक्तियों के हितों की उचित प्रकार से देखरेख पीठासीन अधिकारी द्वारा की गयी है।

निरीक्षण आख्या एक माह में अनुपालन के पश्चात प्रशासकीय कार्यालय में प्रेषित की जायें।

(वीकेदुबे)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।

दिनांक -17.02.2021

सिंहनाथ - १० - ९

Attendance Sheet of Judicial Officers posted in Kaushambi Judgeship April 2020

Sl. No.	Name of the Officer with designation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sri VK. Dubey, District Judge												
2	Sri Anupam Kumar, ADJ Court No.1												
3	Sri Pramod Kumar-IV, ADDL. DJ. F.T.C -I												
4	Sri Mithlesh Kumar Tiwari, ADJ Court No.8 POC SO									CK			
5	Sri Kamlesh Kumar Pathak, ADJ Court No.4												
6	Sri Neeraj Kumar Upadhyay, ADJ Court No.7 POC SO												
7	Sri Rajiv Ranjan, ADJ SPL. JUDGE (POCSO)												
8	Sri Yogesh Kumar-III, ADJ COURT No. 9 POC SO												
9	Sri Kirti Kunal, ADJ/FTC-2												
10	Sri Ramesh Kumar Yadav, Special Judge SC/ST Act												
11	Sri Dinesh Tiwari, Principal Judge Family Court												
12	Sri Kuldeep Singh-III, Chief Judicial Magistrate												
13	Sri Vijay Kumar-III, Civil Judge (Sr. Div.)												
14	Sri Addl. Civil Judge (Sr. Div.)												
15	Sri Civil Judge (Sr. Div.)/FTC												
16	Sri Secretary, DLSA												
17	Smt. Shruti Verma, Civil Judge (Jr. Div.)												
18	Sri Abhishek Gupta, Addl. Civil Judge(Jr. Div.)-1												
19	Sri Sumit Kumar, Addl. Civil Judge(Jr. Div.)-2												
20	Sushri Saba Fatima, CJJD/FTC-I												
21	Sri Shivendra Sharma, CJJD/FTC-II												
22	Sushri Sonal Agrawal, Judicial Magistrate												
Seen by O/c Admin / D.J.		Seen		Seen	Seen		Seen	Seen	Seen	Seen	Seen		

Ram Navami

Sunday

Second Saturday

Sunday

ADJ-2 }
 ADJ-3 }
 ADJ-5 }
 ADJ-6 }
 lying vacant whole month

Other brands from JK Paper

Attendance Sheet of Judicial Officers posted in Kaushambi Judges *May 2020*

Sl. No.	Name of the Officer with designation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sri V.K. Dubey, District Judge	Lockdown - P											
2	Sri Anupam Kumar, ADJ Court No.1	Lockdown - P											
3	Sri Ramesh Kumar Yadav, Special Judge SC/ST Act	Lockdown - P											
4	Sri ADJ Court No.2	-----											
5	Sri ADJ Court No.3	-----											
6	Sri Kamlesh Kumar Pathak, ADJ Court No.4												
7	Sri ADJ Court No.5	-----											
8	Sri ADJ Court No.6	vacant											
9	Sri Rajiv Ranjan, Special Judge POCSO Act												
10	Sri Neeraj Kumar Upadhyay, ADJ Court No.7												
11	Sri Mithlesh Kumar Tiwari, ADJ Court No.8												
12	Sri Yogesh Kumar-III, ADJ Court No.9												
13	Sri Pramod Kumar-IV, ADJ/FTC-1												
14	Sri Kirti Kunal, ADJ/FTC-2												
15	Sri Dinesh Tiwari, Principal Judge Family Court												
16	Sri Kuldeep Singh-III, Chief Judicial Magistrate												
17	Sri Vijay Kumar-III, Civil Judge (Sr. Div.)												
18	Sri Addl. Civil Judge (Sr. Div.)												
19	Sri Civil Judge (Sr. Div.)/FTC												
20	Sri Secretary, DLSA												
21	Smt. Shruti Verma, Civil Judge (Jr. Div.)												
22	Sushri Sonal Agrawal, Judicial Magistrate												
23	Sri Abhishek Gupta, Addl. Civil Judge (Jr. Div.)-1												
24	Sri Sumit Kumar, Addl. Civil Judge (Jr. Div.)-2												
25	Sushri Saba Fatima, CJJD/FTC-I												
26	Sri Shivendra Sharma, CJJD/FTC-II												
	Seen by O/c Admin / D.J.	Seen	Seen		Seen	Seen	Seen	Seen	Seen			Seen	Seen

JRC MAX
Other brands from JK Paper
JK
excelBOND
JK
JK cedar
JK
EDGE
JK

Attendance Sheet of Judicial Officers posted in Kaushambi Judgeship - May-2020

Sl. No.	Name of the Officer with designation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sri V.K. Dubey, District Judge								LB			LB	LB
2	Sri Anupam Kumar, ADJ Court No.1								LB			LB	LB
3	Sri Ramesh Kumar Yadav, Special Judge SC/ST Act								LB			LB	LB
4	Sri ADJ Court No.2												
5	Sri ADJ Court No.3												
6	Sri Kamlesh Kumar Pathak, ADJ Court No.4								du			du	du
7	Sri ADJ Court No.5												
8	Sri ADJ Court No.6								LB			LB	LB
9	Sri Rajiv Ranjan, Special Judge POCSO Act								LB			LB	LB
10	Sri Neeraj Kumar Upadhyay, ADJ Court No.7								LB			LB	LB
11	Sri Mithlesh Kumar Tiwari, ADJ Court No.8								LB			LB	LB
12	Sri Yogesh Kumar-III, ADJ Court No.9								LB			LB	LB
13	Sri Pramod Kumar-IV, ADJ/FTC-1								LB			LB	LB
14	Sri Kirti Kunal, ADJ/FTC-2								LB			LB	LB
15	Sri Dinesh Tiwari, Principal Judge Family Court								LB			LB	LB
16	Sri Kuldeep Singh-III, Chief Judicial Magistrate								LB			LB	LB
17	Sri Vijay Kumar-III, Civil Judge (Sr. Div.)								LB			LB	LB
18	Sri Addl. Civil Judge (Sr. Div.)												
19	Sri Civil Judge (Sr. Div.)/FTC												
20	Sri Secretary, DLSA												
21	Smt. Shruti Verma, Civil Judge (Jr. Div.)												
22	Sushri Sonal Agrawal, Judicial Magistrate												
23	Sri Abhishek Gupta, Addl. Civil Judge(Jr. Div.)-1												
24	Sri Sumit Kumar, Addl. Civil Judge(Jr. Div.)-2												
25	Sushri Saba Fatima, CJJD/FTC-1												
26	Sri Shivendra Sharma, CJJD/FTC-II												

Sunday

Second Saturday

Sunday

JIK CMAX
Other brands from JK Paper
JK EXCEL BOND
JK CEDAR
JK

Attendance Sheet of Judicial Officers posted in Kaushambi Judgeship - June 2020

Name of the Officer with designation	1	2	3	4	05	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Sri V.K. Dubey, District Judge	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
2 Sri Anupam Kumar, ADJ Court No.1	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
3 Sri Ramesh Kumar Yadav, Special Judge SC/ST Act	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
4 Sri ADJ Court No.2													
5 Sri ADJ Court No.3													
6 Sri Kamlesh Kumar Pathak, ADJ Court No.4	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
7 Sri ADJ Court No.5													
8 Sri ADJ Court No.6													
9 Sri Rajiv Ranjan, Special Judge POCSO Act	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
10 Sri Neeraj Kumar Upadhyay, ADJ Court No.7	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
11 Sri Mithlesh Kumar Tiwari, ADJ Court No.8	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
12 Sri Yogesh Kumar-III, ADJ Court No.9	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
13 Sri Pramod Kumar-IV, ADJ/FTC-1	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
14 Sri Kirti Kunal, ADJ/FTC-2	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
15 Sri Dinesh Tiwari, Principal Judge Family Court	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
16 Sri Kuldeep Singh-III, Chief Judicial Magistrate	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
17 Sri Vijay Kumar-III, Civil Judge (Sr. Div.)	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
18 Sri Addl. Civil Judge (Sr. Div.)													
19 Sri Civil Judge (Sr. Div.)/FTC													
20 Sri Secretary, DLSA	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
21 Smt. Shruti Verma, Civil Judge (Jr. Div.)	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	
22 Sushri Sonal Agrawal, Judicial Magistrate													
23 Sri Abhishek Gupta, Addl. Civil Judge(Jr. Div.)-1													
24 Sri Sumit Kumar, Addl. Civil Judge(Jr. Div.)-2													
25 Sushri Saba Fatima, CJD/FTC-I													
26 Sri Shivendra Sharma, CJD/FTC-II													
27 Sri Devesh Chandra, ADJ/FTC II													

Sunday

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Attendance Sheet of Judicial Officers posted in Kaushambi Judgeship - July-2020

Sl. No.	Name of the Officer with designation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sri V.K. Dubey, District Judge													
2	Sri Anupam Kumar, ADJ Court No.1													
3	Sri Ramesh Kumar Yadav, Special Judge SC/ST Act													
4	Pramod Kumar-IV, ADJ Court No.2													
5	Sri ADJ Court No.3													
6	Sri Kamlesh Kumar Pathak, ADJ Court No.4													
7	Sri ADJ Court No.5													
8	Sri ADJ Court No.6													
9	Sri Rajiv Ranjan, Special Judge POCSO Act													
10	Sri Neeraj Kumar Upadhyay, ADJ Court No.7													
11	Sri Mithlesh Kumar Tiwari, ADJ Court No.8													
12	Sri Yogesh Kumar-III, ADJ Court No.9													
13	Sri Kirti Kunal, ADJ/FTC-1													
14	Sri Devesh Chandra Gupta, ADJ/FTC-2													
15	Sri Dinesh Tiwari, Principal Judge Family Court													
16	Sri Kuldeep Singh-III, Chief Judicial Magistrate													
17	Sri Vijay Kumar-III, Civil Judge (Sr. Div.)													
18	Sri Addl. Civil Judge (Sr. Div.)													
19	Sri Civil Judge (Sr. Div.)/FTC													
20	Sri Secretary, DLSA													
21	Smt. Shruti Verma, Civil Judge (Jr. Div.)													
22	Sushri Sonal Agrawal, Judicial Magistrate													
23	Sri Abhishek Gupta, Addl. Civil Judge(Jr. Div.)-1													
24	Sri Sumit Kumar, Addl. Civil Judge(Jr. Div.)-2													
25	Sushri Saba Fatima, CJJD/FTC-I													
26	Sri Shivendra Sharma, CJJD/FTC-II													

Sunday

Second Saturday

Sunday

Attendance Sheet of Judicial Officers posted in Kaushambi Judgeship

Sept. 2020

Sl. No.	Name of the Officer with designation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sri V.K. Dubey District Judge												
2	Sri Ramesh Kumar Yadav, ADJ Court No.1												
3	Sri Kamlesh Kumar Pathak, Special Judge SC/ST Act												
4	Sri Pramod Kumar-IV, ADJ Court No.2												
5	Sri ADJ Court No.3												
6	Sri Dinesh Tiwari, ADJ Court No.4												
7	Sri ADJ Court No.5												
8	Sri ADJ Court No.6												
9	Sri Rajiv Ranjan, Special Judge POCSO Act												
10	Sri Neeraj Kumar Upadhyay, ADJ Court No.7												
11	Sri Mithlesh Kumar Tiwari, ADJ Court No.8												
12	Sri Yogesh Kumar-III, ADJ Court No.9												
13	Sri Kirti Kunal AEM-TC-1												
14	Sri Devesh Chandra Gupta ADJ/FTC-2												
15	Sri Kuldeep Singh-III, Chief Judicial Magistrate												
16	Sri Vijay Kumar-III, Civil Judge (Sr. Div.)												
17	Sri Addl. Civil Judge (Sr. Div.)												
18	Sri Civil Judge (Sr. Div.)/FTC												
19	Sri Secretary, DLSA												
20	Smt. Shruti Verma, Civil Judge (Jr. Div.)												
21	Sushri Sonal Agrawal, Judicial Magistrate												
22	Sri Abhishek Gupta, Addl. Civil Judge(Jr. Div.)-1												
23	Sri Sumit Kumar, Addl. Civil Judge(Jr. Div.)-2												
24	Sushri Saba Fatima, Court sitting CJJ/FTC-I since 15.09.20												
25	Sri Shivena'ta Sharma, Court CJJ/FTC-II sitting since 15.09.20												
	Seen by O/c Admin. / D.J.	Seen	Seen	Seen	Seen	Seen		Seen	Seen	Seen	Seen	Seen	

Sundays

Second Saturday

Other brands from ja rupee

Daily Sitting of Sri Ramesh Kumar Yadav, ADJ, Kaushambi for the month of October 2020.

S.No	Day	On Dias	In Chamber	Remarks
01	01-10-2020	C.L.		
02	02-10-2020	"		
03	03-10-2020	"		
04	04-10-2020	SUNDAY	SUNDAY	
05	05-10-2020	"		
06	06-10-2020	10.30-1.00 Court closed	10.00 AM - 10.30 closed at 1.00 PM.	D.J.
07	07-10-2020		Closed	
08	08-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
09	09-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
10	10-10-2020	SECOND SATURDAY	SECOND SATURDAY	
11	11-10-2020	SUNDAY	SUNDAY	
12	12-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
13	13-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
14	14-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
15	15-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
16	16-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
17	17-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
18	18-10-2020	SUNDAY	SUNDAY	
19	19-10-2020	C.L.		
20	20-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
21	21-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
22	22-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
23	23-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
24	24-10-2020	FOURTH SATURDAY	FOURTH SATURDAY	
25	25-10-2020	SUNDAY	SUNDAY	
26	26-10-2020	Desheko		
27	27-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
28	28-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
29	29-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
30	30-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
31	31-10-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.

Sitting of Sri Ramesh Kumar Yadav, ADJ, Kaushambi for the month of November 2020.

No	Day	On Dias	In Chamber	Remarks
01	01-11-2020	SUNDAY	SUNDAY	
02	02-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
03	03-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
04	04-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
05	05-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
06	06-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
07	07-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
08	08-11-2020	SUNDAY	SUNDAY	
09	09-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
10	10-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
11	11-11-2020	Covid-19 Court	Close of	
12	12-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
13	13-11-2020	Holiday		
14	14-11-2020	SECOND SATURDAY	SECOND SATURDAY	
15	15-11-2020	SUNDAY	SUNDAY	
16	16-11-2020	Holiday		
17	17-11-2020	C.L.		
18	18-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
19	19-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
20	20-11-2020	C.L.		
21	21-11-2020	Spl. C.L.		
22	22-11-2020	SUNDAY	SUNDAY	
23	23-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
24	24-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
25	25-11-2020	10.30-1.30 2.00-2.30 chula	10.00 AM - 10.30 chula 1.30-2.00 - 2.30-5.00	D.J.
26	26-11-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J.
27	27-11-2020	Covid-19		
28	28-11-2020	FOURTH SATURDAY	FOURTH SATURDAY	
29	29-11-2020	SUNDAY	SUNDAY	
30	30-11-2020	"	"	

Daily Sitting of Sri Ramesh Kumar Yadav, ADJ, Kaushambi for the month of December 2020.

S.No	Day	On Dias	In Chamber	Remarks
01	01-12-2020			
02	02-12-2020			
03	03-12-2020			
04	04-12-2020			
05	05-12-2020			
06	06-12-2020	SUNDAY	SUNDAY	
07	07-12-2020			
08	08-12-2020			
09	09-12-2020			
10	10-12-2020			
11	11-12-2020			
12	12-12-2020	SECOND SATURDAY	SECOND SATURDAY	
13	13-12-2020	SUNDAY	SUNDAY	
14	14-12-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J. ✓
15	15-12-2020	Spl. C.L.		
16	16-12-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J. ✓
17	17-12-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J. ✓
18	18-12-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J. ✓
19	19-12-2020	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J. ✓
20	20-12-2020	SUNDAY	SUNDAY	
21	21-12-2020	Spl. C.L.		
22	22-12-2020	10.30-1.30 (Inspection) 2.00-4.30 (1/2 day)	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J. ✓
23	23-12-2020	Spl. C.L.		
24	24-12-2020	10.30-1.30 (Inspection) 2.00-4.30 (1/2 day)	10.00 AM - 10.30 1.30-2.00 - 4.30-5.00	D.J. ✓
25	25-12-2020	Christmas day.		
26	26-12-2020	FOURTH SATURDAY	FOURTH SATURDAY	
27	27-12-2020	SUNDAY	SUNDAY	
28	28-12-2020	Winter vacation		
29	29-12-2020			
30	30-12-2020			
31	31-12-2020			

JANUARY 2021

RAMESH KUMAR YADAV, Addl. Distt. & Sess. Judge (Court No.1), KAUSHAMBI.

MONTH OF JANUARY 2021

DATE	ON DIAS	IN CHAMBER	REMARKS
01.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30AM 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
02.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 2.00-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
03.01.2021	Sunday		
04.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
05.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
06.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
07.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
08.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
09.01.2021	Second Saturday		
10.01.2021	Sunday		
11.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
12.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
13.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
14.01.2021	HOLIDAY		
15.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
16.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
17.01.2021	Sunday		
18.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
19.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
20.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
21.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
22.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
23.01.2021	(Fourth Saturday)		
24.01.2021	Sunday		
25.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
26.01.2021	Republic Day		
27.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
28.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
29.01.2021	12.00-1.00 4.00-5.30	09.15AM-12.00-2.30-5.00 1.00 to 4.00 PM. Duty in court and Tribunal	D.J. ✓
30.01.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J. ✓
31.01.2021	Sunday		

FEBRUARY 2021

RAMESH KUMAR YADAV, Addl. Distt. & Sess. Judge (Court No.1), KAUSHAMBI.

MONTH OF FEBRUARY 2021

DATE	ON DIAS	IN CHAMBER	REMARKS
01.02.2021	C.h.		
02.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	W.D.J
03.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	W.D.J.
04.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	W.D.J.
05.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	W.D.J.
06.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	W.D.J.
07.02.2021	Sunday		
08.02.2021	C.h.		
09.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	W.D.J.
10.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	W.D.J.
11.02.2021	Mauki Anantpur.		
12.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	W.D.J.
13.02.2021	Secound Saturday		
14.02.2021	Sunday		
15.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	W.D.J.
16.02.2021	Basant Ranchow		
17.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
18.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
19.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
20.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
21.02.2021	Sunday		
22.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
23.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
24.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
25.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
26.02.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
27.02.2021	Fourth Saturday.		
28.02.2021	Sunday		

MARCH 2021

RAMESH KUMAR YADAV, Addl. Distt. & Sess. Judge (Court No.1), KAUSHAMBI.

MONTH OF MARCH 2021


DATE	ON DIAS	IN CHAMBER	REMARKS
1.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
2.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
3.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
4.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
5.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
6.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
7.03.2021	Sunday		
8.03.2021	C.H.		
9.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
10.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
11.03.2021	Mahashivratri		
12.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
13.03.2021	Second Saturday		
14.03.2021	Sunday		
15.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
16.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
17.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
18.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
19.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
20.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
21.03.2021	Sunday		
22.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
23.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
24.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
25.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
26.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.
27.03.2021	Fourth Saturday		
28.03.2021	Sunday (HOLI)		
29.03.2021	(HOLI)		
30.03.2021	HOLI		
31.03.2021	10.30-1.30 2.00-4.30	10.00 AM-10.30 1.30-2.00-4.30-5.00	D.J.

संलग्नक है.-10



संयुक्त जिला चिकित्सालय, कौशांबी

56081 बाह्य रोगी प्रपत्र



रजिस्ट्रेशन संख्या (केवल पन्द्रह दिन के लिए मान्य)

नाम रमेश कुमार यादव (A.D.T) उम्र 55 लिंग P.O दिनांक 08/06/21 समय

पिता/पति का नाम पत्नी

व्यवसाय मोबाइल नम्बर डॉक्टर का नाम

- Investigations**
- MP
 - HIV
 - HB%
 - VDRL
 - SPUTUM
 - Widal
 - Bld Grp
 - HBSAG
 - Urine A
 - Sugar
 - Pregnancy
 - Test
 - RBS
 -
 -
 -
- पोषण सलाह

Chief Complaint Past History / Family History

Medical / Surgical History / Known Drug Allergy

Patient Vitals

Provisional Diagnosis Final Diagnosis.....

Covid-19 test (-ve)

LBA - two under

Adm

MRI L5 Spine

Ami

- L S Belt
- 100 Diclofinac 100mg
- tab Calm 100mg
- tab Ranitidine 150mg
- Bed rest / Hard bed for 15 days

परिवार नियोजन के साधन अपनायें, हम दो हमारे दो का संकल्प निभायें।

सम्पूर्ण टीकाकरण कराएं, सात जानलेवा बीमारियों को दूर भागयें।
संयुक्त जिला चिकित्सालय, कौशांबी



संयुक्त जिला चिकित्सालय, कौशाम्बी
60973
बाह्य रोगी प्रपत्र



रजिस्ट्रेशन संख्या (केवल पन्द्रह दिन के लिए मान्य)

नाम ADU रामेश कुमार यास उम्र 35 लिंग M दिनांक 24/6/24 समय

पिता/पति का नाम पता

व्यवसाय मोबाइल नम्बर डॉक्टर का नाम

Investigations

- MP
- HIV
- HB%
- VDRL
- SPUTUM
- Widal
- Bld Grp
- HBSAG
- Urine A
- Sugar
- Pregnancy
- Test
- RBS

Chief Complaint Past History / Family History
Medical / Surgical History / Known Drug Allergy
Patient Vitals
Provisional Diagnosis Final Diagnosis.....

COLETS
10. Backache
difficulty in sitting
11.0.170
132
tab Diclofenac 180
tab Paracetamol 180
150
tab Cal 180
Bed rest for 10 days

डॉ० दीपक सेठ
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
संयुक्त जिला चिकित्सालय, कौशाम्बी
कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश
241001

परिवार नियोजन के साधन अपनार्यें, हम दो हमारे दो का संकल्प निभायें ।

पोषण सलाह

सम्पूर्ण टीकाकरण कराएं, सात जानलेवा बीमारियों को दूर भगायें ।

संलग्नक सं-12

Joint District Hospital Manjhanpur Kaushambi

Medical With Fitness Certificate

This is to certify that Mr/Miss Ramesh kumar Yadav.....S/o /D/O
Mr/Lt. Shri. S.N. Yadav.....aged about 55.....years Male/ Female
R/O.....Judge Colony, Court Compound (A:5).....P/S...
Manjhanpur.....Distt.....Kaushambi examined on dated 8/6/2021...was
suffering from Severe Backache (Post Covid-19)..... &
advised rest for...dated...from 8/6/2021...to 4/6/21

I have examined him/her today & found him/her medically & clinically fit
for work/duty on 5/07/2021.

R. Yadav
05/07/21

Signature attached

Aceer

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संयुक्त जिला चिकित्सालय
मंजहपुर, कोशांबी

Aceer
5/7/2021
Consultant
Joint District Hospital
Kaushambi

या में,

संलग्न सं०-14

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश कक्ष सं०-02
कौशाम्बी।

विषय- श्रीमान जी द्वारा चाही गयी आख्या के सम्बंध में।

महोदय,


सादर अवगत कराना है कि आपके पत्र दिनांक-06.07.
2021 में उल्लिखित आदेश से सम्बंधित आख्या निम्नवत है।

गार्ड फाइल मा० जनपद न्यायाधीश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रशासकीय आदेश संख्या 89 दिनांकित 26.04.2021 का माननीय जनपद न्यायाधीश गार्ड फाइल में उपलब्ध है। शेष प्रशासकीय संख्या-70 दिनांकित 26.03.2021 व प्रशासकीय आदेश संख्या-107 दिनांकित 03.05.2021 व प्रशासकीय आदेश संख्या-161 दिनांकित 25.06.2021 व प्रशासकीय आदेश संख्या-162 दिनांकित 29.06.2021 गार्ड फाइल में उपलब्ध नहीं है, एवं केन्द्रीय नाजिर एवं प्रशासकीय अधिकारी की उल्लिखित दिवसों की आख्या इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

सादर-

दिनांक-06.07.2021


(अनिल कुमार)
रीडर
न्यायालय अपर जिला
जज, द्वितीय,
कौशाम्बी।

← ○ D J Sir



APRIL 19, 2021

संलग्नक सं०-15

प्रिय

प्रमोद !
कललेश !
राजीव !


सच तो यह है कि
जब से आप लोग गये हैं, मैं बहुत
अन्मयस्क रहता हूँ और छोटी छोटी बात
पर बिलावजह क्रोधित हो जाता हूँ, यानी
अपने को नियन्त्रित या संतुलित नहीं
कर पा रहा हूँ ।

ये सब बातें मेरे मूल स्वभाव के विपरीत हैं ।

आने वाले नए अधिकारी भी मेरी इस
स्थिति को समझते रहें और मुझे नैतिक बल
देते हुए, मुझसे सहानुभूति रखें क्योंकि मुझे
यह अपराध बोध भी हो रहा है कि वर्तमान



😊 Type a message



← ○ D J Sir



समय, परिस्थितियों व दशा के कारण, मैं नये जजेज के साथ अपना नैतिक कर्तव्य व धर्म नहीं निभा पा रहा हूँ ।

पिछले दो वर्षों से एक एक दिन, एक माह की तरह लगे लेकिन अब एक एक दिन, एक एक वर्ष की भांती लग रहे हैं ।

12:07 PM

APRIL 26, 2021

APRIL 22, 2021

Cap Doxy-1 LDR Forte 100mg twice daily after breakfast and dinner for 5days

Tab Calpol-650 6-8hrly in fever more than 99F for 5days

Cap Veloz-D empty stomach for 10days

Tab Limcee-500mg twice daily after breakfast and dinner for 15days



😊 Type a message



कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी

इस सम्बन्ध में पूर्व के पारित समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए इस जजशिप में विभिन्न अनुभागों एवं समितियों के प्रभारी अधिकारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा:-

1.	श्री रमेश कुमार यादव, एच.जे.एस.	प्रभारी अधिकारी सामान्य प्रशासन (पदेन)।
2.	श्री कमलेश कुमार पाठक, एच.जे.एस.	नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत। प्रभारी अधिकारी, अमीन।
	श्री योगेश कुमार-III, एच.जे.एस.	सहायक नोडल अधिकारी-I, राष्ट्रीय लोक अदालत। सहायक प्रभारी अधिकारी-I, अमीन।
	सुश्री सबा फातिमा, पी.सी.एस.(जे)	सहायक नोडल अधिकारी-II, राष्ट्रीय लोक अदालत। सहायक प्रभारी अधिकारी-II, अमीन।
3.	श्री मिथिलेश कुमार तिवारी एच.जे.एस.	प्रभारी अधिकारी, लिटीगेशन मामले। प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार (सिविल एवं फौजदारी)।
	श्री देवेश चन्द्र गुप्ता एच.जे.एस.	सहायक प्रभारी अधिकारी-I, लिटीगेशन मामले। सहायक प्रभारी अधिकारी-I, अभिलेखागार (सिविल एवं फौजदारी)।
	सुश्री सोनल अग्रवाल पी.सी.एस.(जे)	सहायक प्रभारी अधिकारी-II, लिटीगेशन मामले।
	श्री सुमित कुमार, पी.सी.एस.(जे)	सहायक प्रभारी अधिकारी-II, अभिलेखागार (सिविल एवं फौजदारी)।
4.	श्री प्रमोद कुमार-IV, एच.जे.एस.	प्रभारी अधिकारी, नजारत। प्रभारी अधिकारी, न्यायालय परिसर की साफ सफाई। प्रभारी अधिकारी, न्यायालय परिसर की सुरक्षा। प्रभारी अधिकारी, टेली फोन।
	श्री योगेश कुमार-III, एच.जे.एस.	सहायक प्रभारी अधिकारी-I, नजारत सहायक प्रभारी अधिकारी-I, न्यायालय परिसर की साफ सफाई। सहायक प्रभारी अधिकारी-I, न्यायालय परिसर की सुरक्षा। सहायक प्रभारी अधिकारी-I, टेली फोन।
	श्री अभिषेक गुप्ता, पी.सी.एस.(जे)	सहायक प्रभारी अधिकारी-II, नजारत सहायक प्रभारी अधिकारी-II, न्यायालय परिसर की साफ सफाई। सहायक प्रभारी अधिकारी-II, न्यायालय परिसर की सुरक्षा। सहायक प्रभारी अधिकारी-II, टेली फोन।
5.	श्री राजीव रंजन, एच.जे.एस.	आहरण वितरण अधिकारी। प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि अनुभाग (सिविल एवं फौजदारी)।

		प्रभारी अधिकारी, विवरणी।
	श्री नीरज कुमार उपाध्याय, एच.जे.एस.	सहायक प्रभारी अधिकारी-I, प्रतिलिपि अनुभाग (सिविल एवं फौजदारी)। सहायक प्रभारी अधिकारी-I, विवरणी।
	श्री सुमित कुमार, पी.सी.एस.(जे)	सहायक प्रभारी अधिकारी-II, प्रतिलिपि अनुभाग (सिविल एवं फौजदारी)। सहायक प्रभारी अधिकारी--II, विवरणी।
6.	श्री कीर्ति कुणाल, एच.जे.एस.	नोडल आफिसर कम्प्यूटर। प्रभारी अधिकारी पुस्तकालय। प्रभारी अधिकारी स्टेशनरी वितरण। प्रभारी अधिकारी प्रश्नोत्तरी एवं पूछताछ। प्रभारी अधिकारी नोटरी एवं शपथ आयुक्त।
	श्री देवेश चन्द्र गुप्ता एच.जे.एस.	सहायक नोडल आफिसर-I, कम्प्यूटर सहायक प्रभारी अधिकारी-I, पुस्तकालय। सहायक प्रभारी अधिकारी-I, स्टेशनरी वितरण। सहायक प्रभारी अधिकारी-I, प्रश्नोत्तरी एवं पूछताछ। सहायक प्रभारी अधिकारी-I, नोटरी एवं शपथ आयुक्त।
	श्री शिवेन्द्र शर्मा, पी.सी.एस.(जे)	सहायक नोडल आफिसर-II, कम्प्यूटर सहायक प्रभारी अधिकारी-II, पुस्तकालय। सहायक प्रभारी अधिकारी-II, स्टेशनरी वितरण। सहायक प्रभारी अधिकारी-II, प्रश्नोत्तरी एवं पूछताछ। सहायक प्रभारी अधिकारी-II, नोटरी एवं शपथ आयुक्त।
7.	श्री कुलदीप सिंह-III, पी.सी.एस.(जे)	प्रभारी अधिकारी प्रोटोकॉल। प्रभारी सम्मन सेल।
पदेन प्रभार		
1.	श्री कुलदीप सिंह-III, पी.सी.एस.(जे)	लॉक अप प्रभारी पदेन।
1.सेलेक्टिंग अथॉरिटी		
1.	श्री वी.के. दुबे, एच.जे.एस.	अध्यक्ष (पदेन)
2.	श्री रमेश कुमार यादव एच.जे.एस.	सदस्य (पदेन)।
3.	श्री विजय कुमार-III, पी.सी.एस.(जे)	सदस्य (पदेन)।
2.प्रशासकीय समिति		
1.	श्री रमेश कुमार यादव, एच.जे.एस.	अध्यक्ष।
2.	श्री योगेश कुमार-III,	सदस्य।

एच.जे.एस.	सुश्री सोनल अग्रवाल, पी.सी.एस.(जे)	सदस्य।
-----------	---------------------------------------	--------

3. उप समिति (अवस्थापना)

1.	श्री मिथिलेश कुमार तिवारी, एच.जे.एस.	अध्यक्ष।
2.	श्री विजय कुमार-III, पी.सी.एस.(जे)	सदस्य।
3.	श्रीमती श्रुति वर्मा, पी.सी.एस.(जे)	सदस्य।

4. क्षोभ निवारण, परामर्शी, वित्तीय स्तरान्वयन समिति

1.	श्री कमलेश कुमार पाठक, एच.जे.एस.	अध्यक्ष।
2.	श्री राजीव रंजन, एच.जे.एस.	सदस्य।
3.	श्री योगेश कुमार-III, एच.जे.एस.	सदस्य।

5. कय एवं भुगतान समिति

1.	श्री प्रमोद कुमार-IV, एच.जे.एस.	अध्यक्ष।
2.	श्री नीरज कुमार उपाध्याय, एच.जे.एस.	सदस्य।
3.	श्री मिथिलेश कुमार तिवारी, एच.जे.एस.	सदस्य।

6. वित्त समिति(वित्तीय भुगतान हेतु)

1.	श्री कमलेश कुमार पाठक, एच.जे.एस.	अध्यक्ष।
2.	श्री मिथिलेश कुमार तिवारी, एच.जे.एस.	सदस्य।
3.	श्री योगेश कुमार-III, एच.जे.एस.	सदस्य।

7. महिला सुरक्षा एवं शिकायत निवारण समिति

1.	श्रीमती श्रुति वर्मा, पी.सी.एस.(जे)	अध्यक्ष।
2.	सुश्री सोनल अग्रवाल, पी.सी.एस.(जे)	सदस्य।
3.	सुश्री सबा फातिमा, पी.सी.एस.(जे)	सदस्य।

8. मॉनीटरिंग कमेटी संरक्षण गृह		
1.	श्री कुलदीप सिंह-III, पी.सी.एस.(जे)	सदस्य।
2.	श्री विजय कुमार-III, पी.सी.एस.(जे)	सदस्य।
3.	सुश्री सोनल अग्रवाल, पी.सी.एस.(जे)	सदस्य।
9. कर्मचारीगण व्यवस्थापन समिति (Transfer/Posting)		
1.	श्री कमलेश कुमार पाठक, एच.जे.एस.	अध्यक्ष।
2.	श्री प्रमोद कुमार-IV, एच.जे.एस.	सदस्य।
3.	श्री राजीव रंजन, एच.जे.एस.	सदस्य।

तदनुसार सभी सम्बन्धित सूचित हों।

V.V-Dubey
(वी0के0दुबे)
जिला जज
कौशाम्बी
दि.-07.02.2021

1/0000
07.2.2021

शुभक. रमेश कुमार मादव
उपर, जिला जज
महामालय बस सं. II
कोशाम्बी।

4.5.2021

संलग्नक सं.-18

सेवा में,
भा० अजय कुमार आचार्य
कोशाम्बी।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मैं अस्वस्थ
हूँ। कोविड-19 से संक्रमण से बचाव हेतु
मेरा पूरा परिवार बस अजय कुमार आचार्य
में निवास कर रहा है। अजय कुमार आचार्य
पर मेरी परवरिश के लिए परिवार का कोई
सुदूर उपस्थित/अपलब्ध नहीं है।
अतः इतिमान की है कि विनम्र निवेदन
है कि आज अपरान्ह 2.30 से सुबह 6.00 तक
दोड़ने की अनुमति प्रदान करने की कृपा
करें।

सादर-

दि० 04.05.2021

रमेश कुमार मादव
04.05.21

रमेश कुमार मादव
उपर, जिला जज
महामालय बस सं. II
कोशाम्बी।

सर्वार्थ सूत्र-

मो० नं० - 888/804/23.

पता-

ग्राम - जैजना, पोस्ट
पुष्पाशरण।

धीमाजी,
सम्बन्धित अधिकारी को उभार
डारा आदेश की सूचना दी गई।
सादर। Byedv
04.05.21
प्रशासनिक अधिकारी

Not Permitted to inform to Office
04.05.21

रमेश कुमार यादव,
अपर जिला जज,
न्यायालय कक्ष सं०-२
कौशाम्बी।

सेवा में,
महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,
श्रीमान् जिला जज
जनपद कौशाम्बी।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि कोविड-१९ के संक्रमण से बचाव के कारण मेरा पूरा परिवार मेरे गृह निवास ग्राम अंजना, पोस्ट-सैदाबाद, तहसील हंडिया, जनपद-प्रयागराज में निवास कर रहा है। परिवार की परवरिश तथा स्वतः के स्वास्थ्य के दृष्टिगत मुझे कोरोना काल में अपने गृह जनपद से जनपद मुख्यालय मंझनपुर, कौशाम्बी आकर न्यायिक कार्य करना पड़ रहा है। प्रत्येक कार्य दिवस पर गृह जनपद प्रयागराज से जनपद मुख्यालय मंझनपुर, कौशाम्बी में न्यायालय कार्य हेतु आने एवं जाने के लिए माननीय न्यायालय की अनुज्ञा आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि वर्तमान कोरोना काल के अवसान की अवधि तक न्यायालय के प्रत्येक कार्य दिवस पर गृह जनपद प्रयागराज से जनपद मुख्यालय मंझनपुर, कौशाम्बी आने व जाने हेतु अनुमति प्रदान करने से संबंधित मेरा प्रस्तुत प्रत्यावेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर-

दिनांक-04.05.2021

भवदीय,

04.05.2021

(रमेश कुमार यादव)
अपर जिला जज, कक्ष सं०-२,
कौशाम्बी।
आई० डी० नं-5953

Sir,
04.05.21